

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2018—चैत्र 9, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2018

क्र. ई.-5-1073-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद द्वारा दिनांक 18 से 24 फरवरी 2018 तक आस्ट्रेलिया में आयोजित ट्रेनिंग के अनुक्रम में दिनांक 25 से 28 फरवरी 2018 तक, चार दिन का एकस-ईंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. ई.-5-1013-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हिमांशु चन्द्र, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 23 फरवरी से 9 मार्च 2018 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित

1963

अवकाश कार्यों पर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. एफ 1(बी) 159-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (04) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	02	श्री अभिनव मिश्रा, लालबहादुर शास्त्री वार्ड, पड़ाव रोड, मण्डला, म. प्र.-481661.	सागर

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयवाधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन

अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002

के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

क्र. एफ 1 (बी)-60-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 7048-03-17-चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची के वरिष्ठता क्र. 36 (अनुक्रमांक 103413) पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री मनीष बकावले, आत्मज श्री मगनलाल बकावले, 03, भ्राता भवन, नारायणदास कालोनी, विष्णान रोड, खरगौन, म. प्र. 451001 के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्र. मेडि.बोर्ड-2017-11839, दिनांक 18 सितम्बर 2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षण

प्रतिवेदन में Unfit due to Height (160.7 c.m.) अंकित होने के कारण इनकी दिनांक 10 जनवरी 2018 को समक्ष में सुनवाई नियत की गई।

(2) श्री मनीष बकावले सुनवाई की नियत तिथि 10 जनवरी 2018 को उपस्थित नहीं हुये और उन्होंने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर यह लेख किया कि उन्हें सुनवाई से संबंधित विभाग का पत्र दिनांक 30 दिसम्बर 2017 दिनांक 12 जनवरी 2018 को प्राप्त हुआ अतः नियत दिनांक को में सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं था. उन्होंने यह भी लेख किया कि स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में उनकी ऊंचाई Marginal difference होने के कारण उन्हें पुनः स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाये.

(3) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 के नियम-8 (2)(क) में निर्धारित ऊंचाई 168 से.मी. या उससे अधिक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये) संबंधी प्रावधानों के विपरीत श्री मनीष बकावले की ऊंचाई 160.7 से. मी. अर्थात् निर्धारित मापदण्ड से कम होने एवं संभागीय चिकित्सा मण्डल, इन्दौर द्वारा इस आधार पर इनके स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में उन्हें Unfit due to Height (160.7 c.m.) लेख किये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2018

फा. क्र. 1-2018-इक्कीस-ब(एक)1388.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 22 फरवरी 2018 को मान्य करते हुए श्री विनिक जैन, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, तेन्दूखेडा जिला-दमोह का त्यागपत्र दिनांक 5 मार्च 2018 से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2018

फा.क्र.17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक)-1191-018.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 20-ए एवं 113 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“20-ए.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुशनगर.	श्री भरत सिंह रावत, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुशनगर.

(1)	(2)	(3)	(4)
113.	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव.	श्री अतुल सक्सेना, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव."

F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (One)-1191-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 20-A and 113 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"20--A	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Luvkushnagar.	Shri Bharat Singh Rawat, Additional Sessions Judge, Luvkushnagar.
"113.	West Nimad Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Bhikangaon.	Shri Atul Saxena, Additional Sessions Judge Bhikangaon.

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-1079-2018.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 13, 23, 24, 25, 54, 58, 65, 80, 85 और 86 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु.- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	श्री राकेश सनोदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो अनूपपुर.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
13.	श्री सिराज अली, सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	श्री राजेश जैन, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंवड़ा.	सेंवड़ा	दतिया	सेंवड़ा	सेंवड़ा
24.	श्री हेमराज सनोदिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, देवास.	देवास	देवास	देवास	देवास
25.	श्री सुनील अहिरवार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, कन्नौद.	कन्नौद	देवास	कन्नौद	कन्नौद
54.	श्री पंकज चतुर्वेदी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, बरेली.	बरेली	रायसेन	बरेली	बरेली
58.	श्री श्यामसुंदर झा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, रीवा.	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा
65.	श्रीमती सविता ओगले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, बुधनी.	बुधनी	सीहोर	बुधनी	बुधनी
80.	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, उज्जैन.	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
85.	श्री हिमांशु शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर
86.	श्री राम सिंह बघेल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश, भीकनगांव.	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-1079-2018.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 3, 13, 23, 24, 25, 54, 58, 65, 80, 85 and 86 entries relating

thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3.	Shri Rakesh Sandoiya, I st Civil Judge, Class-II, Anoopur.	Anoopur	Anoopur	Anoopur	Anoopur
13.	Shri Siraj Ali, XVII th , Civil Judge, Class-I, Bhopal.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
23.	Shri Rajesh Jain, Additional Judge to Civil Judge, Class-I, Sewdha.	Sewdha	Datia	Sewdha	Sewdha
24.	Shri Hemraj Sandodhiya, II nd Civil Judge, Class-I, Dewas.	Dewas	Dewas	Dewas	Dewas
25.	Shri Sunil Ahirwar, II nd Civil Judge, Class-I, Kannod.	Kannod	Dewas	Kannod	Kannod
54.	Shri Pankaj Chaturvedi, Civil Judge Class-I, Bareli.	Bareli	Raisen	Bareli	Bareli
58.	Shri Shyam Sunder Jha III rd Civil Judge, Class-I, Rewa.	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa
65.	Smt. Savita Ogle, Civil Judge Class-I, Budhani.	Budhani	Sehore	Budhani	Budhani
80.	Shri Sankarshan Prasad Pandey, VI th Civil Judge, Class-I, Ujjain.	Ujjain	Ujjain	Ujjain	Ujjain
85.	Shri Himanshu Sharma, Additional Judge to Civil Judge, Class-I, Mandleshwar.	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar
86.	Shri Ram Singh Baghel, Additional Judge to Civil Judge, Class-I, Bhikangaon.	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-1191-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 18, 19, 20, 20-ए 110, 111, 112 एवं 113 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	छतरपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 19, 20 एवं 20-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
19.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.	नौगांव का विद्युत् क्षेत्र.
20.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर	बिजावर का विद्युत् क्षेत्र.
20-ए.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुशनगर.	लवकुशनगर का विद्युत् क्षेत्र.
110.	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.	सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 111, 112 एवं 113 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
111	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन.	खरगौन का विद्युत् क्षेत्र.
112	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह	सनावद तथा बड़वाह का विद्युत् क्षेत्र.
113	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव.	भीकनगांव का विद्युत् क्षेत्र."

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1)-1191-18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 18, 19, 20, 20-A, 110, 111, 112 and 113 and entries

relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“18.	Chhatarpur	IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	All electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 19, 20 & 20-A).
19.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon.	Electricity area of Nowgaon
20.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Bijawar.	Electricity area of Bijawar
20-A	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Luvkushnagar.	Electricity area of Luvkushnagar.
110.	West Nimad Mandleshwar.	Additional Sessions Judge, Mandleshwar.	All electricity area of Civil District Mandleshwar (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 111, 112 & 113).
111.	West Nimad Mandleshwar.	1st Additional Sessions Judge, Khargone.	Electricity area of Khargone
112.	West Nimad Mandleshwar.	Additional Sessions Judge, Barwah.	Electricity area of Sanawad & Barwah.
113.	West Nimad Mandleshwar.	Additional Sessions Judge, Bhikangane.	Electricity area of Bhikangane

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2018

क्र. एफ-1 (ए) 05-2018-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को, सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, नियुक्त करता है:—

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	अधिनियम की धाराएं (3)	क्षेत्र (4)
1	श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	सागर संभाग सागर
2	श्री संजय तिवारी, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर (प्रभारी असि. रजिस्ट्रार).	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39	जबलपुर संभाग जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2018

क्र. 629-2623-2017-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

अनुसूची

क्र.	जिले का नाम	सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)
1	भोपाल	1. श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, अनारक्षित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2018

क्र. एफ-3-9-2009-तेरह.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-57-2018-5-एक, दिनांक 10 मार्च, 2018 के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विशेष गढ़पाले (भाप्रसे-2008) को म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम. जी. रोड, इन्दौर-452 007

इन्दौर, दिनांक 16 मार्च 2018

क्र. 1-2-नवम-(1)86-194.—मैं शोभित जैन, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के आदेश क्रमांक 473-7258-सोलह, दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षकों को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूँ:—

सारणी

क्रमांक	निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	श्री राहुल शुक्ला पिता श्री सुरेन्द्र बाबु	पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किन्तु यह क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम 2014 की धारा 41 (3) के अध्वधीन होगा.
2	श्री प्रणय श्रीवास्तव पिता श्री गोविंदस्वरूप	
3	श्री छोटेलाल साहू पिता श्री कृष्णदेव	
4	श्री अक्षय बानिया पिता श्री कैलाश	
5	श्री मनीष झा पिता श्री राजेन्द्र झा	
6	श्री नवीनकुमार गढेकर पिता श्री श्रावण	
7	कु. किरण भागवानी पिता श्री हरीशचन्द्र	
8	कु. संगीता पंवार पिता श्री पदमसिंह	
9	कु. दिव्या घोगरकर पिता श्री भीमराव	
10	श्री रविन्द्रसिंह डावर पिता श्री रघुवीरसिंह	
11	श्री सज्जनसिंह चौहान पिता श्री कुशलसिंह	

(1)	(2)	(3)
12	कु. स्वाति कनेल पिता श्री उमेशचन्द्र	
13	श्री जसपालसिंह जग्गी पिता श्री त्रिलोचनसिंह (भू.पु.सै.)	
14	श्री बिजेन्द्रसिंह पिता श्री रामचरण सिंह (भू.पु.सै.)	

शोभित जैन, श्रम आयुक्त.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462 016
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018

टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1617-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर
2. कलेक्टर, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छतरपुर
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका टीकमगढ़

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	टीकमगढ़ विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	4 4	सारणी 4-सा-9 सारणी 4-सा-9	4 8	गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ.
 - **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
 - ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.
- टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 मार्च 2018

क्रमांक 44/भूअर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना तहसील सिरोंज जिला विदिशा के ग्राम सेमलखेड़ी के लिये डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा - 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1) सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हे०
		कुल प्रभावित रकवा हे०
1	सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र के लिये ग्राम सेमलखेड़ी की भूमि की आवश्यकता	49.820 हे.
		49.820 हे.

अनुसूची (2) सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम सेमलखेड़ी

तहसील - सिरोंज

जिला - विदिशा

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता या पति का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	रकवा हे. में	क्रय के लिये प्रस्तावित रकवा हे०
1	श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)	28	0.367	0.183

2	श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)	29	0.126	0.126
3	श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)	31	1.379	1.379
4	श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)	33	0.759	0.759
5	श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)	34	0.708	0.708
6	श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)	35	0.885	0.700
7	चन्द्रकांत पुत्र सरदारमल	37	0.405	0.100
8	श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)	38	0.152	0.152
9	शान मियां पुत्र मेहमुद खां (सेवाभूमि)	39	3.896	2.896
10	सुधा बाई पुत्री रघुवीर	42	0.759	0.759
11	ललतो बाई विधवा रामस्वरूप निवासी-भोजपुर	43	0.759	0.759
12	मिश्रीलाल पुत्र हल्लू निवासी-भोजपुर	44	0.759	0.759
13	उमकार पुत्र गोरेलाल	47	0.759	0.759
14	मोहन बाई बेवा हरकिशन, अमोल सिंह, लाल सिंह ना.बा. पुत्रगण हरकिशन, नर्बदीबाई पुत्री हरकिशन सरमाँ मोहनबाई निवासी भोजपुर	48	0.759	0.759

15	नारायण सिंह पुत्र हल्के निवासी-भोजपुर	49	0.759	0.759
16	घांसीराम पुत्र पतिराम	50	0.759	0.759
17	पूरन पुत्र प्रभुलाल	51	0.759	0.759
18	रमेश पुत्र हल्के निवासी-भोजपुर	52	0.759	0.759
19	रामकिशन पुत्र पांचया निवासी-कांजीखेड़ी(सेवाभूमि)	53	0.835	0.835
20	अमानुल्ला खां दुलारे मियां, राजा मियां पुत्रगण फरीदुल्ला खां, परवीन बी पत्नी सलीम मियां, असगर खां, अजहर खां, अतर खां, अफजल खां, दानिश खां, अनस खां, अमान खां, पुत्रगण सलीम मियां नजमा बी, सादमा बी पुत्रियां सलीम मियां	57	1.896	1.896
21	अमानुल्ला खां दुलारे मियां, राजा मियां पुत्रगण फरीदुल्ला खां, परवीन बी पत्नी सलीम मियां, असगर खां, अजहर खां, अतर खां, अफजल खां, दानिश खां, अनस खां, अमान खां, पुत्रगण सलीम मियां नजमा बी, सादमा बी पुत्रियां सलीम मियां	58	2.277	2.277
22	तीर्थ स्थान प्रबंधक राजमल पुत्र बंशीलाल	59	1.897	1.897
23	धमेन्द्र कुमार पुत्र मथुरा लाल निवासी-सिरांज	60	1.201	1.201
24	धमेन्द्र कुमार पुत्र मथुरा लाल निवासी-सिरांज	61	0.569	0.569
25	तीर्थ स्थान प्रबंधक राजमल पुत्र बंशीलाल (वर्तमान प्रबंधक श्री कन्हेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)	62	2.694	2.694
26	रामकिशन पुत्र पांचया निवासी-कांजीखेड़ी(सेवाभूमि)	63	2.263	2.263
27	अमरसिंह किशनलाल, तुलसीराम, सियाराम पुत्रगण गंगाराम, जमना बाई, बेवा गंगाराम, पार्वतीबाई, मान बाई, पुत्रियां गंगाराम निवासी-झागर	64	2.402	2.402
28	कमर सिंह, मनका पुत्रगण घांसीराम, गंगोबाई, उदी बाई, प्रेमदी बाई, पार्वती बाई, पुत्रियां घांसीराम लालाराम, देवी, हरिसिंह पुत्रगण पूरन, कमला बाई, राज बाई, भूरी बाई, कला बाई, उषा बाई, पुत्रियां पूरन, जमना बाई बेवा पूरन निवासी-झागर	65	0.696	0.696

27	रत्ना पुत्र कल्लूरामवती बाई, तुरसा बाई, कल्लू धनबाई, बेवा कल्लू सोना बाई, पुत्री गुमान सिंह	66	1.770	1.770
30	देवलाल, रतना पुत्रगण घांसीराम, भगवती बाई पार्वती बाई, मुन्नी बाई, पुत्रियां घांसीराम प्रेमा दल्ला, पुत्रगण हीरालाल, सुनीता बाई, पुत्री हीरालाल, तुरसा बाई, बेवा हीरालाल, पूरन बल्लू ना.बा. पुत्रगण रामा, मां स्वयं कमला बाई, रजिया बाई, अमरी बाई, पुत्रियां रामा, भूरी बाई बेवा रामा	67	0.759	0.759
31	देवलाल, रतना पुत्रगण घांसीराम, भगवती बाई पार्वती बाई, मुन्नी बाई, पुत्रियां घांसीराम प्रेमा दल्ला, पुत्रगण हीरालाल, सुनीता बाई, पुत्री हीरालाल, तुरसा बाई, बेवा हीरालाल, पूरन बल्लू ना.बा. पुत्रगण रामा, मां स्वयं कमला बाई, रजिया बाई, अमरी बाई, पुत्रियां रामा, भूरी बाई बेवा	68	0.190	0.190
32	काशीराम पुत्री हीरालाल	69	0.253	0.253
33	देवलाल, रतना पुत्रगण घांसीराम, भगवती बाई पार्वती बाई, मुन्नी बाई, पुत्रियां घांसीराम प्रेमा दल्ला, पुत्रगण हीरालाल, सुनीता बाई, पुत्री हीरालाल, तुरसा बाई, बेवा हीरालाल, पूरन बल्लू ना.बा. पुत्रगण रामा, मां स्वयं कमला बाई, रजिया बाई, अमरी बाई, पुत्रियां रामा, भूरी बाई बेवा	70	0.126	0.126
34	काशीराम पुत्री हीरालाल	72	0.089	0.089
35	काशीराम पुत्री हीरालाल	73	0.949	0.949
36	रामचरण पुत्र हीरा	74	1.048	1.048
37	मीना कौसर पुत्री हामिद खां	75	1.833	1.833
38	काशीराम पुत्री हीरालाल	76	0.245	0.245
39	रामचरण पुत्र हीरा	77	0.489	0.489
40	फरहाना बी, मोहम्मद जफर पुत्रपुत्री मोहम्मद रईस खां	78	3.035	3.035
41	सोना बाई पत्नी सुक्का जाति बंजारा निवासी-झागर	79	0.853	0.853
42	फरहाना बी, मोहम्मद जफर पुत्रपुत्री मोहम्मद रईस खां	80	0.853	0.853
43	पूरन पुत्र खेमा निवासी-सिरोज	81	2.401	2.401
44	अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां	82	0.569	0.569
45	मोहम्मद कलीमउल्ला खां पुत्र समी उल्ला खां निवासी-किडी सिरोज	83	0.380	0.380

46	मोहम्मद कलीमउल्ला खां पुत्र समी उल्ला खां निवासी-किड़ी सिरोंज	84	0.190	0.190
47	मोहम्मद कलीमउल्ला खां पुत्र समी उल्ला खां निवासी-किड़ी सिरोंज	85	0.253	0.253
48	अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां	86	0.025	0.025
49	अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां	87	0.443	0.443
50	अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां	88	0.191	0.191
51	अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां	89	0.632	0.582
52	मुनव्वर खां पुत्र मोहम्मद खां	90	1.833	0.450
53	राजा मियां पुत्र मोहम्मद खां	100	1.137	0.480
54	राजा मियां याकूप मियां, लाल मियां, अमीन मियां, पुत्रगण मोहम्मद खां, नसीफा बी, परवीन बी, कबीरा बी, अफजल बी, पुत्रियां मोहम्मद खां,	101	1.265	0.800
	Total		54.555	49.820

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) विदिशा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक ~~वैध~~ भूअर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना तहसील सिरोंज जिला विदिशा के ग्राम कांजीखेड़ी के लिये डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा - 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

सेमलखेड़ी लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम कांजीखेड़ी की प्रभावित भूमि

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हे०
		कुल प्रभावित रकवा हे०
1	सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र के लिये ग्राम कांजीखेड़ी की भूमि की आवश्यकता	14.247 हे.
		14.247 हे.

अनुसूची (2)
सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित डूब क्षेत्र की
भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम कांजीखेड़ी

तहसील - सिरोंज		जिला - विदिशा		
स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता या पति का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	रकबा हे. में	क्रय के लिये प्रस्तावित रकबा हे०
1	काशीराम पुत्र हीरा	2/1	0.158	0.158
2	काशीराम पुत्र हीरा	11/2	1.632	1.632
3	रामचरण पुत्र हीरा	2/2	0.158	0.158
4	रामचरण पुत्र हीरा	11/1	1.631	1.631
5	कुलाबाई पुत्री हीरा	2/3	0.127	0.127
6	बाबूलाल पुत्र पांचया गंगाराम पुत्र पांचया, सुक्को बाई बेवा पांचया मथुरा लाल पुत्र पांचया, गुलाब खिम्मो बाई पुत्री पांचया, अनीस बी पत्नी सलीम खां ऐजाज खां, पुत्र रशीद खां निवासी-सिरोंज	3	0.784	0.784
7	मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी-सिरोंज	12	1.05	1.05
8	इरशाद पुत्र अब्दुल रशीद खां	13/1	0.664	0.664
9	दोजी पुत्र मुल्ली, केसर बाई पुत्री मुल्ली	13/2	0.663	0.663
10	शिवनारायण पुत्र नेनका	14/1	1.012	0.51
11	शिवनारायण पुत्र नेनका	14/2	1.012	1.012
12	बाबूलाल पुत्र पांचया गंगाराम पुत्र पांचया, सुक्को बाई बेवा पांचया मथुरा लाल पुत्र पांचया, गुलाब खिम्मो बाई पुत्री पांचया, अनीस बी पत्नी सलीम खां ऐजाज खां, पुत्र रशीद खां निवासी-सिरोंज	15/1	3.718	3.718
13	भारत सिंह, नेपाल सिंह, तोरन सिंह, जाधव सिंह पुत्रगण पूरन सिंह, कृष्णा बाई, भूरी बाई पुत्रियां पर्वत सिंह	15/2	1.796	1.796
14	विष्णु पुत्र रमेश चन्द्र निवासी-सिरोंज	16/1	2.086	0.212
15	बाबूलाल पुत्र पांचया गंगाराम पुत्र पांचया, सुक्को बाई बेवा पांचया मथुरा लाल पुत्र पांचया, गुलाब खिम्मो बाई पुत्री पांचया, अनीस बी पत्नी सलीम खां ऐजाज खां, पुत्र रशीद खां निवासी-सिरोंज	16/2	1.127	0.132
		Total	17.618	14.247 हे०

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) सिरोंज जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सुचारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 मार्च 2018

प्र. क्र. 17-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: —

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनोर	आंतरी	सर्वे नंबर 1567 1568	रकबा (हे. में) 0.586 0.162	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.
			योग . .	0.748	

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: —

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	कल्याणी	सर्वे नंबर 497	रकबा (हे. में) 0.080	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 मार्च 2018

पत्र क्र. 548-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि टमस मुख्य नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) जवा	(3) देवखर कोठार	(4) 37.75	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, जिला रीवा, (म. प्र.)	(6) टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 550-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि टमस मुख्य नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) जवा	(3) गडेहरा	(4) 10.60	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, जिला रीवा.	(6) टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2018

प क्र. 586-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	गंगेव नं. 3,122	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प क्र. 588-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	देवहटा-251	2.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु.

प क्र. 590-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	टेहरा-196	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 592-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पिपरी-304	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 594-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सड़वा-522	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 596-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बुसौली नं.-4, 383	0.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 598-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	गहिरा-152	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 600-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मढ़ी खुर्द-437	8.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 602-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	देवरा-247	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 604-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) नईगढ़ी	(3) नीवी भाई बांट-551.	(4) 4.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 606-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) सोनवर्षा ख 564	(4) 3.000	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 608-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) सोनवर्षा क.-563.	(4) 2.000	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 610-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तारी खुर्द	2.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2018

क्र. 3180-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बांकामुकासा, प.ह.नं. 31, ब.न.-194, रा.नि.मं.-सिंगोडी-2.	रकबा-01.394 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 03, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 मार्च 2018

क्र. 3253-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40

के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-काराघाट, प.ह.नं. 46, ब.न.-55, रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	रकबा-01.696 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
					(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
					(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
					(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3254-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-करवेपिपरिया प.ह.नं. 39, ब.न.-147, रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा.	रकबा-03,203 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
					(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
					(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
					(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
					(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3255-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जटलापुर प.ह.नं. 52, ब.न.-183, रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा.	रकबा-01.357 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 3256-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जमुनिया, प.ह.नं. 28, ब.न.-191, रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	रकबा-07.315 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3257-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-देवर्धा, प.ह.नं. 31, ब.न.-194, रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	रकबा-22.933 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 3258-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-चौसरा, प.ह.नं. 40, ब.न.-170, रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	रकबा-01.049 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 3293-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-बाम्हनवाड़ा, प.ह.नं. 12, ब.न.-202 रा.नि.मं. चौरई.	रकबा-03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत जमुनिया माइक्रो एरिगेशन स्कीम निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 02, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 15 मार्च 2018

क्र. 126.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बांध निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है: —

अनुसूची

भूमि का विवरण					अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	खनियाधाना	नारोनी	1	0.620	कार्यपालन यंत्री, लोअर ओर परियोजना बांध जल संसाधन संभाग चन्देरी, जिला अशोकनगर.	लोअर ओर बांध निर्माण कार्य
			4	0.040		
			6	0.420		
			8	0.590		
			10	3.950		
			11	0.920		
			12/1	0.200		
			12/2	0.700		
			13	1.150		
			14	1.220		
			15	2.270		
			17	0.380		
			18	1.290		
			19	0.580		
			20	0.200		
			21	0.240		
			22	0.150		
			23	1.080		
			25	0.030		
			27/1	0.100		
			27/2	0.100		
			27/3	0.120		
			27/4	0.120		
			29	0.400		
			30/1	0.090		
			30/2	0.090		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			42	0.060		
			43	0.170		
			45	0.450		
			47/1	0.170		
			47/2	0.240		
			47/3	0.340		
			47/4	0.410		
			48	0.560		
			49	1.010		
			53	0.280		
			54	0.430		
			56	0.290		
			57	0.650		
			58	0.180		
			59	0.790		
			61	1.080		
			65	0.520		
			66	0.300		
			67	0.240		
			68	0.310		
			69	0.090		
			70	0.100		
			71	0.220		
			72	0.890		
			73	1.820		
			75	1.140		
			76ल	1.100		
			77	0.650		
			78	0.720		
			82	0.660		
			83	0.280		
			84	4.080		
			85	0.400		
			86	3.120		
			87	0.250		
			88/1	0.600		
			88/2	0.500		
			89/1	0.750		
			89/2	0.750		
			89/3	0.740		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			89/4	0.740		
			90	0.370		
			91	1.140		
			93/1	0.550		
			93/2	0.600		
			93/3	0.800		
			93/4	0.600		
			93/5	0.500		
			93/6	0.550		
			93/7	0.600		
			93/8	0.600		
			93/10	0.600		
			95	0.270		
			97	0.160		
			104	1.030		
			106	2.160		
			107/1	0.120		
			107/2	0.110		
			108	0.340		
			109	0.060		
			113	0.360		
			114	0.250		
			115	0.240		
			117	0.050		
			118	0.150		
			119	0.100		
			120	0.240		
			121/1	0.120		
			121/2	0.120		
			122	0.570		
			125	0.670		
			126	0.890		
			128	0.230		
			131	0.800		
			132	0.120		
			133	0.010		
			134	0.700		
			135	0.030		
			136	0.320		
			137	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			138	0.290		
			139	0.670		
			140	0.580		
			141	0.020		
			142	0.820		
			143	0.040		
			144	0.400		
			145	0.450		
			146	0.400		
			147/1	0.170		
			147/2	0.180		
			149	1.220		
			150	0.050		
			151दुमट II	0.420		
			152	0.290		
			154	0.050		
			155	0.190		
			156	0.120		
			157	2.020		
			158	0.850		
			159	0.340		
			160	0.340		
			161/2	0.700		
			161/3	0.700		
			161/5	0.600		
			161/6	0.680		
			161/7	0.600		
			161/8	0.700		
			161/9	1.000		
			164	1.610		
			167	0.750		
			168	0.350		
			169/1	0.180		
			169/2	0.170		
			170/1	0.560		
			170/2	0.460		
			170/3	0.460		
			170/4	0.570		
			171	0.490		
			172	0.050		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			173	0.100		
			174/1	0.140		
			174/2	0.230		
			174/3	0.020		
			175/2	0.090		
			176/2	0.060		
			176/1	0.060		
			177	0.020		
			178	0.390		
			179	0.370		
			181	0.380		
			183	0.070		
			184	0.310		
			185	0.020		
			186	0.060		
			188	0.040		
			189	0.470		
			190	0.080		
			191	0.450		
			192	0.200		
			193	0.530		
			194	0.200		
			195	0.850		
			197	0.620		
			198/1	0.170		
			198/2	0.170		
			198/3	0.160		
			199/1	0.300		
			199/2	0.220		
			199/3	0.230		
			199/4	0.260		
			200	0.030		
			203	0.660		
			204	0.330		
			206	0.780		
			207/2	0.280		
			208	0.180		
			209	0.650		
			210	0.020		
			211/1	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			211/2	0.040		
			212	0.150		
			213	0.180		
			215	0.030		
			217	0.100		
			218	0.640		
			219	0.170		
			220	0.100		
			221	0.040		
			222/1	0.190		
			222/2	0.190		
			222/3	0.200		
			222/4	0.200		
			222/513	0.030		
			224	0.200		
			225/1/1	0.800		
			225/1/2	0.530		
			225/1/3	1.200		
			225/2	2.400		
			227	1.380		
			228	0.820		
			229	0.820		
			230/1	0.700		
			230/2	0.800		
			230/3	0.550		
			230/4	0.700		
			230/5	0.550		
			230/6	0.600		
			230/7	0.700		
			230/8	0.600		
			233	1.510		
			234	0.860		
			235/1	0.150		
			235/2	0.150		
			235/3	0.150		
			235/4	0.150		
			236	1.390		
			237	0.720		
			238	0.640		
			239	0.330		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			240	1.090		
			242	0.450		
			243	0.510		
			244/1	0.200		
			245	0.620		
			246	0.380		
			247	0.540		
			248	0.220		
			252	0.160		
			253	0.290		
			254	0.010		
			255	0.440		
			256	0.020		
			257	0.490		
			258	0.310		
			259	0.400		
			260	0.020		
			261	0.050		
			263	0.030		
			264	0.010		
			270	0.270		
			271	0.200		
			272	0.050		
			273	0.060		
			274 ब	0.200		
			275	0.100		
			276	0.100		
			277	0.080		
			279	0.040		
			280	0.080		
			281	0.070		
			282	0.040		
			283	0.030		
			286	0.070		
			289/1	0.010		
			289/2	0.020		
			289/3	0.020		
			289/4	0.010		
			291	0.050		
			292	0.270		
			293	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			295	0.050		
			296	0.210		
			297	0.060		
			298	0.070		
			299	0.030		
			300	0.080		
			301/1	0.010		
			301/2	0.030		
			303	0.040		
			305	0.040		
			306	0.780		
			307	0.410		
			308	0.030		
			309	0.590		
			310	0.020		
			311	0.050		
			316	0.530		
			317	0.200		
			318	0.070		
			319	0.270		
			320	0.090		
			321	0.080		
			322	0.100		
			323/1	0.070		
			323/2	0.030		
			324	0.040		
			325	0.060		
			326	0.130		
			327	0.080		
			328/1	0.080		
			328/2	0.080		
			329	0.150		
			330	0.170		
			332	0.180		
			333	0.230		
			334	0.090		
			335	0.130		
			336	0.040		
			337	0.050		
			338	0.300		
			339	0.100		
			340	0.050		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			341	0.060		
			342	0.060		
			343	0.240		
			344	0.080		
			345	0.100		
			346/1	0.060		
			346/2	0.600		
			346/3	0.050		
			347	0.430		
			348	0.210		
			350	0.240		
			351	0.130		
			352	0.120		
			353	0.150		
			354	0.210		
			355	0.190		
			356	0.090		
			357/1	0.050		
			357/2	0.140		
			358	0.190		
			359	0.110		
			360	0.300		
			361	0.050		
			363	0.710		
			364	0.300		
			365	0.380		
			366	0.050		
			368	0.180		
			369	0.160		
			370	0.350		
			371	0.250		
			372	0.090		
			373	0.120		
			374	0.140		
			375	0.080		
			376	0.110		
			377	0.130		
			379	0.160		
			380	0.180		
			381	0.140		
			382	0.090		
			383	0.020		
			384	0.040		
			386	0.040		
			387	0.850		
			388	0.150		
			389	0.270		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			390	0.120		
			391	0.370		
			392	0.080		
			393	0.420		
			394	0.610		
			395	0.370		
			396	0.030		
			397/1	0.050		
			397/2	0.050		
			397/3	0.060		
			397/4	0.050		
			399	0.080		
			400	0.440		
			401	0.120		
			407	0.260		
			408	0.230		
			409	0.170		
			410	0.210		
			411	0.260		
			412	0.290		
			413	0.190		
			414	0.440		
			415	0.140		
			416	0.060		
			418	0.060		
			419	0.060		
			420	0.580		
			421	0.980		
			422	0.390		
			423	0.860		
			425	0.040		
			426	0.060		
			427	0.010		
			428/1	0.040		
			428/2	0.050		
			429	0.430		
			430/1	0.500		
			430/2	0.250		
			430/3	0.250		
			432	0.980		
			433	0.040		
			434	0.180		
			435	0.100		
			436/1	0.330		
			436/2	0.630		
			436/3	0.300		
			437	0.550		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			439	1.250		
			440	0.430		
			441	0.590		
			442	0.210		
			443	0.210		
			445	0.550		
			446	1.960		
			447	0.630		
			450	0.300		
			451/1	0.330		
			451/2	0.330		
			453	0.300		
			455	0.210		
			456	0.240		
			458	0.040		
			459	0.260		
			460	0.260		
			461	0.270		
			462	0.410		
			463	0.120		
			464/1	0.180		
			464/2	0.020		
			465	0.150		
			466	0.200		
			467	0.170		
			468	0.280		
			469	0.050		
			470	0.290		
			471	0.130		
			472	0.140		
			474/1	0.130		
			474/2	0.480		
			474/3	0.100		
			475/1	0.260		
			475/2	0.250		
			476	0.110		
			477	0.250		
			478	0.160		
			479	0.780		
			480	0.260		
			481	0.630		
			482/1	0.140		
			482/2	0.140		
			482/3	0.110		
			482/4	0.110		
			483	0.500		
			484/1	0.170		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			484/2	0.100		
			485	1.320		
			487	0.070		
			488	0.510		
			489	0.420		
			492	0.290		
			496	0.070		
			497	0.040		
			498	1.020		
			504	0.760		
			505/मिन-1	0.410		
			505/मिन-2	0.060		
			507	0.440		
			509	1.070		
			511	0.520		
			कुल रकबा .	172.480		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2018

प्र. क्र. 36-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महगंवा छक्का	निजी भूमि रकबा 8.43 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.00 है. कुल रकबा 10.43 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 5 फरवरी 2018

प्र. क्र. 07-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनोर
(ग) ग्राम—पुराबनवार
(घ) क्षेत्रफल—0.160 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
204 मिन 1	0.080
204 मिन 3	0.080
योग : <u>0.160</u>	

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा डी-2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 12 मार्च 2018

प्र. क्र. 1-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी

भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—राजापुर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.95 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
257/5	0.30
257/4	0.42
262	0.23
योग : <u>0.95</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. 284-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
 (ख) तहसील—खैरलांजी
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम झिरिया, प.ह.नं. 03, रा.नि.मं. सालेबर्डी.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.141 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
297/1	0.040
295/7	0.081
351/6	0.020
योग . . .	0.141 एवं उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—ग्राम झिरिया तहसील खैरलांजी में मॉयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 मार्च 2018

प्र. क्र. 19-अ-82-वर्ष-2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
 (ख) तहसील—अमानगंज
 (ग) ग्राम—तुन्ना, कटकहा, पटवारी हल्का नं. 30
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.180 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)

61/1	0.06	निजी भूमि
138	0.120	निजी भूमि

कुल रकबा : 0.180

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमानगंज से झिरघाट मार्ग वाया कटकहा-तुन्ना-खिरवा मार्ग लंबाई 8.7 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन ग्राम तुन्ना तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-वर्ष-2017-18.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—कटकहा, हल्का नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.030 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
296	0.010	निजी भूमि
299	0.020	निजी भूमि
कुल रकबा : <u>0.030</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा-तुन्ना-खिरवा मार्ग लंबाई 8.7 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन ग्राम कटकहा तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-वर्ष-2017-18.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना

के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—खिरवा, हल्का नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.430 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
96/1	0.060	निजी भूमि
97/1	0.080	निजी भूमि
96/2	0.170	निजी भूमि
96/3	0.060	निजी भूमि
96/4	0.060	निजी भूमि

कुल रकबा : 0.430

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा-तुन्ना-खिरवा मार्ग लंबाई 8.7 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन ग्राम खिरवा, तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2018

प. क्र. 560-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—रजहा-488
(घ) क्षेत्रफल—1.550 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
120	0.222
119	0.077
115	0.080
114	0.157
93	0.064
91	0.058
90	0.078
89	0.095
88	0.137
87	0.097
86	0.071
79	0.233
78	0.087
77	0.061
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.517
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
81	0.033
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.033
अ+ब योग . .	1.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 562-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—अमहा-7
(घ) क्षेत्रफल—0.060 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
118	0.060
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.060
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब योग . .	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 564-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—		140	0.044
(क) जिला—रीवा		139	0.120
(ख) तहसील—मनगवां		141	0.028
(ग) ग्राम—हर्दी-630		142	0.008
(घ) क्षेत्रफल—0.261 हेक्टर.		152	0.007
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	156	0.019
(1)	(2)	157	0.006
अ-निजी पट्टे की भूमि		228	0.025
1	0.261	389	0.012
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.261	463	0.028
ब-म. प्र. शासन की भूमि		455	0.043
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	467	0.002
अ+ब योग . .	0.261	468	0.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 566-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रामपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—बरेही-400
(घ) क्षेत्रफल—0.435 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
268	0.010
264	0.003

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.435

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब योग . . 0.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी माइनर क्र. 8 एवं 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 568-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—		678	0.003
		131	0.053
(क) जिला—रीवा		130	0.038
(ख) तहसील—सिरमौर		128	0.029
(ग) ग्राम—वेलवा बड़गैयान-397		129	0.090
(घ) क्षेत्रफल—6.085 हेक्टर.		124	0.002
		122	0.001
खसरा नं.	अर्जित रकबा	123	0.003
	(हे. में)	116	0.085
(1)	(2)	126	0.069
		125	0.077
अ-निजी पट्टे की भूमि		115	0.144
74	0.300	114	0.097
75	0.167	109	0.436
79	0.066	110	0.021
79	0.093	108	0.008
81	0.017	397	0.057
83	0.127	50	0.091
86	0.089	49	0.014
155	0.084	53	0.003
158	0.184	54	0.032
182	0.117	46	0.097
185	0.028	47	0.009
186	0.049	410	0.029
180	0.047	411	0.031
179	0.199	412	0.064
177	0.064	418	0.044
175	0.056	419	0.133
173	0.057	24	0.087
171	0.109	20	0.007
239	0.452	395	0.006
247	0.115	368	0.072
246	0.105	378	0.003
290	0.021	388	0.020
199	0.048	677	0.030
198	0.091	676	0.018
203	0.091	1187/389	0.013
204	0.005	671	0.059
196	0.051	670	0.053
205	0.094	669	0.005
206	0.004	668	0.066
139	0.105	665	0.010
134	0.088	647	0.015
133	0.076	571	0.080
386	0.072	572	0.039

(1)	(2)
621	0.031
620	0.101
619	0.006
590	0.065
591	0.047
612	0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.867</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि

166	0.020
161	0.021
164	0.014
163	0.005
162	0.027
178	0.125
23	0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.218</u>
अ+ब का योग . .	<u>6.085</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 570-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—डेलही-242

(घ) क्षेत्रफल—0.186 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

552 0.186

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.186**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 572-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—मड़फा-438
(घ) क्षेत्रफल—0.165 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

14 0.050

81 0.115

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.165

(1)	(2)
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.165</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 574-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—रीठी 554
(घ) क्षेत्रफल—0.183 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

287 0.183

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.183

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.183</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 576-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—नौसा
(घ) क्षेत्रफल—0.376 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

199 0.052
108 0.032
101 0.240
126/2 0.052

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.376

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	<u>0.376</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 578-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

	(1)	(2)
अनुसूची	49	0.053
(1) भूमि का वर्णन—	48	0.009
(क) जिला—सतना	47	0.061
(ख) तहसील—अमरपाटन	57	0.050
(ग) ग्राम—कोठार	59	0.007
(घ) क्षेत्रफल—0.056 हेक्टर.	61	0.016
	60	0.011
	63	0.008
खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
	68	0.077
	102	0.010
अ-निजी पट्टे की भूमि	101	0.069
	178	0.005
348/367	179	0.034
	181	0.009
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	182	0.045
	183	0.032
	203	0.019
ब—म. प्र. शासन की भूमि	201	0.009
	185	0.002
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	186	0.009
अ+ब का योग . .	187	0.001
	191	0.006
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	202	0.033
	200	0.025
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	199	0.083
	196	0.003
	223	0.002
प. क्र. 580-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	224	0.036
	225	0.036
	226	0.014
	227	0.006
	228	0.001
	229	0.019
		0.824

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—महसुआ-515
(घ) क्षेत्रफल—0.824 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

51	0.023
50	0.001

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.824

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 582-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—महसुआ-517
(घ) क्षेत्रफल—0.782 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
121	0.113
122	0.005
124	0.008
125	0.131
130	0.008
101	0.344
99	0.072
98	0.043
97	0.007

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.731

ब—म. प्र. शासन की भूमि

131	0.051
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.051</u>
अ+ब का योग . . .	<u>0.782</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 584-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—बुसौली नं. 3.382
(घ) क्षेत्रफल—0.037 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
12	0.005
9	0.008
8	0.024
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	<u>0.37</u>
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . . .	<u>0.037</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 मार्च 2018

प्र. क्र. 124-अ-82-वर्ष-2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—हरवंशपुरा, हल्का नं. 23
(घ) क्षेत्रफल—1.38 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
675	0.14	निजी भूमि
670	0.08	निजी भूमि
668/2	0.05	निजी भूमि
217/2	0.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
664/2	0.03	निजी भूमि
665/1	0.01	निजी भूमि
210/4	0.04	निजी भूमि
668/3	0.01	निजी भूमि
668/4	0.05	निजी भूमि
667	0.03	निजी भूमि
665/2	0.01	निजी भूमि
668/5	0.03	निजी भूमि
217/3	0.04	निजी भूमि
216	0.03	निजी भूमि
212	0.02	निजी भूमि
426	0.37	निजी भूमि
483	0.38	निजी भूमि

कुल रकबा : 1.38

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहनगर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2018

प्र. क्र. 125-अ-82-वर्ष-2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची			(1)	(2)	(3)
(1) भूमि का वर्णन—					
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
(क) जिला—पन्ना			290	0.03	निजी भूमि
(ख) तहसील—शाहनगर			292	0.06	निजी भूमि
(ग) ग्राम—खमतरा			293	0.02	निजी भूमि
(घ) क्षेत्रफल—1.47 हेक्टेयर.			294	0.01	निजी भूमि
			298/1	0.02	निजी भूमि
			298/2	0.01	निजी भूमि
			297	0.01	निजी भूमि
			301	0.01	निजी भूमि
			1003	0.05	निजी भूमि
			1005	0.02	निजी भूमि
			1012	0.04	निजी भूमि
			1006	0.03	निजी भूमि
			1007	0.04	निजी भूमि
			1010	0.01	निजी भूमि
			1011	0.01	निजी भूमि
39	0.04	निजी भूमि	1256	0.05	निजी भूमि
1274	0.01	निजी भूमि	1257	0.02	निजी भूमि
40	0.04	निजी भूमि	1258	0.02	निजी भूमि
41	0.14	निजी भूमि	1259	0.05	निजी भूमि
1270	0.03	निजी भूमि	1263	0.04	निजी भूमि
1273	0.06	निजी भूमि	1264	0.03	निजी भूमि
42	0.01	निजी भूमि	1266	0.02	निजी भूमि
1268	0.06	निजी भूमि	1267	0.08	निजी भूमि
1269	0.03	निजी भूमि			
48/1	0.01	निजी भूमि			
48/2	0.01	निजी भूमि			
51/1	0.01	निजी भूमि			
51/2	0.01	निजी भूमि			
49	0.02	निजी भूमि			
50	0.01	निजी भूमि			
156	0.01	निजी भूमि			
157	0.04	निजी भूमि			
200	0.04	निजी भूमि			
199	0.02	निजी भूमि			
201	0.06	निजी भूमि			
269	0.01	निजी भूमि			
1000	0.01	निजी भूमि			
268	0.03	निजी भूमि			
291	0.02	निजी भूमि			
271	0.06	निजी भूमि			

कुल रकबा : 1.47

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 26 मार्च 2018

प्र. क्र. 14-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बेरजा
(घ) क्षेत्रफल—0.310 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
221/1/1/1	0.080
221/1/1/2	0.090
221/1/1/3	0.010
221/2/1	0.060
221/2/2	0.020
222/2/2	0.050
योग : 0.310	

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्च-स्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की बेरजा मायनर की 3एल सब-मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर

- (ग) ग्राम—सुपावली
(घ) क्षेत्रफल—0.130 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
584 मिन 1	0.110
585 मिन 1	0.020
योग : 0.130	

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्च-स्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की 5 आर. मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बेरजा
(घ) क्षेत्रफल—0.126 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
940/3	0.126

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रशीदपुर शाखा नहर की 4 एल. मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-26 अ-82-16-17-3188

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम	:	सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	बण्डा
3. ग्राम	:	बम्होरी खुर्द
4. पट.ह.नं.-	:	71
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	21.280 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4			7
1	नरेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1161/1	0.200	0.050	निरंक
2	अच्छेलाल पि. लाड़ले रामदास पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन सासा	भूमिस्वामी	1161/2	0.320	0.160	निरंक
		भूमिस्वामी	1162/5	0.110	0.110	बबूल-12 नीम-1
3	लीलाधर पिता अमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	1161/3	0.050	0.050	निरंक
		भूमिस्वामी	1162/3	0.320	0.160	निरंक
		भूमिस्वामी	1162/6	0.110	0.110	बबूल-5 कोहा-2 कैथा-1 नीम-3 केम-9
4	महरानी पति पंचू काछी सा. सासा	भूमिस्वामी	1161/4	0.200	0.080	कुआ-1
5	रामपाल पि. रज्जन घोषी सा. सासा	भूमिस्वामी	1162/1	0.060	0.030	निरंक
6	रंगवीर पिता हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/2	0.060	0.030	निरंक
7	लीलाधर पिता अमरत रामप्रसाद पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/4	0.130	0.100	निरंक

8	रामअवतार वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह	भूमिस्वामी	1271/2	0.130	0.060	निरंक
		भूमिस्वामी	1272/3	0.270	0.270	निरंक
		भूमिस्वामी	1278/4	1.250	1.250	नलकूप-1
		भूमिस्वामी	1282/4	1.030	1.030	निरंक
9	प्रहलाद सिंह व. मूरत सिंह सा. सासा	भूमिस्वामी	1272/1	0.580	0.580	निरंक
		भूमिस्वामी	1278/1	0.370	0.370	बबूल-7 कोहा-8 उमरान-2 गुसार-1
		भूमिस्वामी	1279	0.220	0.220	निरंक
		भूमिस्वामी	1280	0.420	0.420	निरंक
		भूमिस्वामी	1282/1	0.510	0.510	निरंक
		भूमिस्वामी	1271/1	0.240	0.120	निरंक
10	रामकृपाल वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह	भूमिस्वामी	1272/2	0.300	0.300	कोहा-7 नीम-1
		भूमिस्वामी	1273	0.110	0.110	निरंक
		भूमिस्वामी	1278/3	1.250	1.250	निरंक
		भूमिस्वामी	1282/3	1.030	1.030	निरंक
11	राजकुमार वल्द बाबूलाल साकिन सासा	भूमिस्वामी	1274	1.390	1.390	बबूल-4
		भूमिस्वामी	1275	0.650	0.650	निरंक
12	हीरा सींग कल्याण सींग पिता मुन्ना सींग मिट्टू सींग पिता कन्छेदी बड़ी बहू बेवा कन्छेदी दयाबाई शीलाबाई पुत्रियां कन्छेदी साकिन देह	भूमिस्वामी	1276/1	0.460	0.120	निरंक
		भूमिस्वामी	1277/1	1.400	1.400	बबूल-1
13	मुन्ना सींग वल्द कन्छेदी साकिन सासा	भूमिस्वामी	1277/2	0.250	0.120	कोहा-1
14	घनश्याम वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा	भूमिस्वामी	1278/2	1.520	1.520	निरंक
15	लोकपाल वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा	भूमिस्वामी	1282/2	1.520	1.520	निरंक
16	गजरा बाई कस्तूरी बाई पुत्रियां जीवन सींग साकिन-मेमरा दयाराम तुलसीराम पिता शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	1201/1	0.250	0.250	निरंक
17	दयाराम पिता शंकर साकिन खुर्द	भूमिस्वामी	1202	0.820	0.820	निरंक
		भूमिस्वामी	1205	0.180	0.180	निरंक
18	रामदीप पिता बृजेन्द्रभान सींग साकिन सासा	भूमिस्वामी	1203	0.100	0.100	निरंक
		भूमिस्वामी	1204/1	0.190	0.190	निरंक
		भूमिस्वामी	1207/1	0.140	0.140	निरंक
		भूमिस्वामी	1208	0.150	0.150	निरंक
		भूमिस्वामी	1209/1	0.700	0.200	निरंक
		भूमिस्वामी	1210/1	0.650	0.650	कुआ-1
19	रघुवीर पिता भागरथ साकिन देह	भूमिस्वामी	1204/2	0.280	0.280	निरंक
		भूमिस्वामी	1207/2	0.250	0.250	निरंक
		भूमिस्वामी	1209/2	0.690	0.190	निरंक
		भूमिस्वामी	1210/2	0.650	0.650	निरंक
20	रामचरन अमोल बलवत पिता फिरतू साकिन खुर्द	भूमिस्वामी	1207/3	0.710	0.710	निरंक
21	विजेन्द्र भानसींग पि. जगत सिंह घोषी साकिन देह	भूमिस्वामी	1242/1	0.400	0.300	निरंक
22	रज्जन सिंह वल्द बाबू सिंह घोषी साकिन सासा	भूमिस्वामी	1242/2	0.550	0.550	कुआ-1

23	जस्सू वल्द बनखेड़ी चढ़ार साकिन देह	भूमिस्वामी	1247/1	0.020	0.020	गुरार-1 कैथा-1 उमरानी-1 कोहा-2 आम-1
24	रामचरन वल्द श्यामले विश्वकर्मा सा. सासा	भूमिस्वामी	1247/2	0.230	0.080	निरंक
25	दयाराम, तुलसीराम पिसरान शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	1201/2	0.320	0.320	निरंक
26	नाथूराम पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1217	1.280	0.050	निरंक
27	आजादरानी पति रज्जनसींग सा. सासा	भूमिस्वामी	1242/3	0.480	0.080	निरंक
योग:-			52	25.500	21.280	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 08/04/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-87 अ-82-17-18-3234

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा नहर (परासई) मायनर नहर निर्माण एवं खामखेड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा नहर (परासई) मायनर नहर निर्माण एवं खामखेड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : बहेरिया कलां
 4. पट.ह.नं.- : 10
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.083 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
बांयी मुख्य नहर की शाखा नहर (परासई) मायनर नहर निर्माण हेतु						
1	हल्का, भरत, शुभू, सुरेश पिता पोटई, कस्तूरीबाई, शांतिबाई, गंगाबाई पुत्री पोटई, सब्बो पुत्री रामा सा.देह	भूमिस्वामी	7/1	0.680	0.014	
2	भरतप्रसाद, शिभभूप्रसारद, सुरेश प्रसाद पिता पोटई सा.देह	भूमिस्वामी	7/2	0.090	0.014	
3	बैजनाथ पिता भीकम साकिन देह	भूमिस्वामी	8	0.800	0.020	
4	कनई वल्द अमरसींग साकिन देह	सेवाखातेदार	17	1.200	0.045	
5	अभय सिंह वल्द सोमपाल सींग दांगी साकिन देह	भूमिस्वामी	13	0.960	0.135	
		भूमिस्वामी	14	0.700	0.067	
6	देवेन्द्रसींग वल्द चन्दनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	289	1.520	0.221	
7	धर्मन्द्र सींग उर्फ धरम सिंह वल्द महेश सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	290	4.080	0.186	
8	नमिता पुत्री गोविन्द सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	291	0.400	0.030	
		भूमिस्वामी	292	0.370	0.025	
		भूमिस्वामी	310/2	0.400	0.025	
9	गजराजसींग वल्द देवीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	310/1	0.700	0.025	
10	सुरेन्द्र सींग वल्द गोविन्द सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	312/1	3.600	0.076	
		भूमिस्वामी	311	1.430	0.182	

11	सावित्रीबाई वेवा प्रहलाद सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	312/2	3.300	0.076	
12	राधाबाई जोजे धर्मन्द्र सिंह उर्फ धर्म सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	309/1	1.350	0.006	
		भूमिस्वामी	309/2	1.350	0.006	
13	पंचमसींग पिता धीरज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	349	1.050	0.110	
14	संतोषसींग वल्द बदनसींग साकिन खरगापुर	भूमिस्वामी	351	2.010	0.065	
15	रामवती जोजे सुदामाप्रसाद साकिन पटनाककरी	भूमिस्वामी	352	0.750	0.064	
16	रवीन्द्र सींग वल्द लक्ष्मनसींग सतेन्द्र सींग वल्द रामेश्वरसींग साकिन खरगापुर	भूमिस्वामी	354	2.080	0.079	
17	गंधर्वसींग पिता धीरज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	355	2.140	0.139	
18	ब्रजेन्द्र सींग वल्द प्रहलाद सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	348	7.150	0.150	

खामखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटी नहर निर्माण

19	श्रृगाररानी पति गजराज सींग साकिन केसली, मीराबाई पति श्यामसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	563	0.930	0.057	
20	माधव सींग, गनपतसींग, श्यामसींग, राजेन्द्र सींग, दिलीपसींग पिता बलवंतसींग, बेटीबाई वेवा बलवंतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	564	0.35	0.036	
21	राजेन्द्र सिंह वल्द बलवंत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	567/1	0.440	0.056	
22	बेटीबाई वेवा बलवंत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	567/2	0.220		
23	रामअवतार, प्याररमन, ब्रजेन्द्र, सीताराम पिता इमरत सिंह, घसीटीबाई वेवा इमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	568	0.800	0.056	
24	बेटीबाई वेवा बलवंत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	559	0.430	0.062	
25	मेहताब सिंह, रामराघव पिता रामेश्वर, अनंती, बैजन्ती, हल्लो, गुड्डी, रज्जो पुत्री रामेश्वर साकिन देह	भूमिस्वामी	236/1	0.800	0.129	
26	गजराजसींग वल्द धम्मनसींग साकिन केसली	भूमिस्वामी	236/2	0.800		
		भूमिस्वामी	236/3	0.630		

27	राजेन्द्र सिंह वल्द महाराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	237	2.580	0.122	
28		भूमिस्वामी	243/1	0.580		
29	हम्मीरसींग वल्द जगतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	243/2	0.580	0.097	
		भूमिस्वामी	243/4	0.250		
30	सरजूबाई जोजे महाराजसिंह दांगी साकिन देह	भूमिस्वामी	243/3	0.580		
31	दीपक सिंह, जगत सिंह पिता हरीसींग, मोहिनी, मनोरमा, कीर्ति पुत्री हरीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	244	1.380	0.056	
32	लखन सींग वल्द तेजीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	247	1.440	0.056	
33	जाहरसींग पिता धीरजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	519	1.110	0.129	
34	रवीन्द्र वल्द लक्ष्मनसींग, सतेन्द्र सींग वल्द रामेश्वर सींग साकिन खरगापुर	भूमिस्वामी	518	1.740	0.078	
35	इमरतसींग वल्द छुट्टी साकिन देह	भूमिस्वामी	517	3.030	0.156	
36	बजेन्द्र सींग वल्द प्रहलाद सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	532	2.630	0.017	
37	उदलसींग वल्द जगन्नाथ सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	463	0.630	0.060	
38	रघुवीर सिंह वल्द नन्ने सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	464/1	0.320	0.156	
योग:-			45	60.360	3.083	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-02-अ-82-16-17-3482

सागर, दिनांक 9 मार्च 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर अनुविभागीय अधिकारी, बीना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : बीना-कटनी सेक्शन के समपार क्रमांक-307 बी(सागर-फाटक) के एवज में आर.ओ.बी. एवं आर.यू. बी.निर्माण कार्य
1. जिला : सागर
2. तहसील : बीना
3. ग्राम : बीना इटावा
4. पट.ह.नं.- : 51
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.656 है. + 1700 वर्गमीटर

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	अर्जित रकबा वर्ग मीटर में	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुह. शफीक पिता हाफिज मुह. अमीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सबीना पुत्री खलील अहमद साकिन एम.ई.एस. कोलोनी जबलपुर, श्रीमति लैला पत्नि मोह. याकूब पुत्री खलील अहमद साकिन अटाला उ. प्र. हिस्सा 1/11, मुवीन अहमद, शाहिद अहमद, चीना उर्फ इस्तखार, कल्लू उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर आलम, मुन्ना पिता नईम, मोहम्मद, जरीना बेबी, महजवीन, मुमताज, अरबीना पिता मोह. नईम, मेहरजुननिशा बेवा मो. नईम, हसीन अहमद, सायमा पिता मुफीद अहमद साकिन देह, नूर, सैय्यदी बेवा मुफीद अहमद, अरसद, अलीराजा, सन्नो पिता अहमद रजा साकिन कानपुर	भूमिस्वामी	408/1	2.052	0.151	00	ट्यूब वेल-01 आर.सी.सी.दुकान 9.35x12.30=115
		भूमिस्वामी	412/1	0.491	0.101	00	निरंक
2	गुरुकृपा इन्टर प्राइजेज बाहूबली कालोनी मोतीनगर वार्ड सागर द्वारा कुलदीप सिंह पिता सुरजीत सिंह भाटिया, श्रीलाल पिता सुन्दरलाल जैन साकिन चन्द्रशेखर वार्ड सागर, मुकेश कुमार पिता सुखदीन प्रसाद जैन साकिन मोतीनगर वार्ड बीना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	412/2	0.420	0.222	00	निरंक

3	राहुल पिता हरिसिंह राय साकिन शिवाजी वार्ड बीना भूमिस्वामी (कृषि भिन्न आशय)	भूमिस्वामी	412/4/6	0.060	0.000	570	आर.सी.सी.दुकाने एवं प्लथ 10.90x4.5=47.41 7.70x4.35=33.49 1x50x3.10=4.65 1x7.65x13.90=106.33 13.90x7.65=106.33 (प्लथ)
		भूमिस्वामी	412/4/1	0.340	0.013	00	निरंक
4	देशराज पिता भागीरथ बिलगोया साकिन जवाहरवार्ड बीना	भूमिस्वामी	405/1/1	0.353	0.044	00	निरंक
5	प्रभात कुमार विनोद कुमार प्रमोद कुमार पिता विष्णुप्रसाद व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/5	0.092	0.050	00	निरंक
6	श्रीमति कांति पति प्रभातकुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/18	0.018	0.018	00	निरंक
		भूमिस्वामी	408/19	0.014	0.005	00	निरंक
		भूमिस्वामी	408/20	0.011	0.011	00	निरंक
		भूमिस्वामी	408/21	0.011	0.011	00	निरंक
7	श्रीमति शारदा पति विनोद कुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना	भूमिस्वामी	408/14	0.008	0.008	00	निरंक
		भूमिस्वामी	408/15	0.013	0.011	00	RCC प्लथ 23.20 वर्गमीटर
		भूमिस्वामी	408/16	0.008	0.005	00	निरंक
8	लक्ष्मीबाई वेवा हरिसिंह, राहुल, राजीव, पूजा, नंदिनी पिता हरिसिंह राय साकिन शिवाजी वार्ड बीना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/33	0.011	0.006	00	निरंक
9	मुह. शफीक पिता हफीज मुह. अमीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सबीना पुत्री खलील अहमद साकिन एम.ई.एस. कोलोनी जबलपुर श्रीमति लैला पति मुह. याकूब पुत्री खलील अहमद साकिन अटाला उ.प्र. हिस्सा 1/11, मुबीन अहमद, अहमद चीना उर्फ इस्तखार, कलू उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर, आलम, मुन्ना पिता मुह. नईम, जरीना वेवी, महजबीन, मुमताज, अरबीना पिता मुह. नईम, मेहराजुननिशा वेवा नईम मह. हसीन अहमद, शायमा पिता मुफीद अहमद, नूर, सईदी वेवा मुफीद अहमद, अरशद अली, राजा, शन्ना पिता अहमद रजा साकिन कानपुर हिस्सा 2/11	भूमिस्वामी	408/23	1.071	0.000	1130	आर.सी.सी.दुकान एवं आर.सी.सी. 1x12x6.30=75.60 1x12.60x6.30=79.38 1x21.50x4.70=101.05 1x12.30x3.75=46.12 1x10.50x3.75=39.37 23.70 (RCC) वृक्ष-1 कदम
योग:-		16	4.973	0.656	1700		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 11.04.2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-48 अ-82-17-18-3490

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को जमदर्दा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 583 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : जमदर्दा जलाशय परियोजना
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : गढ़ाकोटा
 3. ग्राम : माधौ
 4. पट.ह.नं.- : 21
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 40.510 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	जगत, जमना पिता छोटेलाल, गनेशीबाई वेवा छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1/1	1.220	1.220	
2	फूलरानी वेवा रामप्रसाद साकिन सिंगपुर तह. सागर	भूमिस्वामी	1/2	0.500	0.500	
		भूमिस्वामी	1/3	0.300	0.300	
		भूमिस्वामी	4/1	0.420	0.420	
		भूमिस्वामी	4/2	0.400	0.400	
		भूमिस्वामी	4/3	0.400	0.400	
		भूमिस्वामी	4/4	0.400	0.400	
		भूमिस्वामी	9/1	0.810	0.080	
3	प्रयाग पिता अर्जुनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	2/1	0.500	0.500	
4	दशरथ पिता अर्जुन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	2/2	0.510	0.510	
5	नन्नु पिता अर्जुन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	2/3	0.510	0.510	
6	कोमल पिता अर्जुन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	2/4	0.500	0.500	
7	जाहिद खां पिता गुलाब खां साकिन देह	भूमिस्वामी	3	1.610	1.610	
8	सुमतरानी वेवा रतनसींग, लखन, चन्द्रभान पिता रतनसींग, अशोकरानी वेवा नत्थुसींग, कलू, हल्लेभाई पिता नत्थुसींग जाति सौर साकिन देह	भूमिस्वामी	5	1.620	0.900	
9	श्रीमति कमला पति रामनारायण साकिन बाजार वार्ड गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	6	1.040	1.040	
10	हरिमजन पिता रामनारायण नेमा साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	7	1.040	1.040	
11	नरेन्द्र पिता भगतसींग, मालती, भारती, नेहा पुत्री भगतसींग, ममतारानी वेवा भगतसींग साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	8	1.040	1.040	
12	राजेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पिता हिरदेसींग, प्रेमरानी वेवा हिरदेसींग लोधी साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	10	1.040	1.040	

13	खेमचंद पिता रामनारायण साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	11/1	1.680	0.600
14	अक्षय पिता खेमचंद साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	13/1	1.600	0.040
15	झल्लू कनई, भागीरथ, कल्याण पिता भगवानदास, अवधरानी देवा भगवानदास, दयाराम, नंदन, लखन पिता मुल्ला, सीता, पार्वती नाबालिग पुत्री मुल्ला वली माँ व खुद हरिबाई देवा मुल्ला साकिन हरदी	भूमिस्वामी	126/4	0.640	0.100
16	संतूसींग वल्द निरपतसींग साकिन हरदी	भूमिस्वामी	127/1	1.900	1.900
17	भूरत पिता निरपतसींग साकिन हरदी	भूमिस्वामी	127/2	2.100	2.100
18	दोपतीबाई पुत्री लल्लूसींग लोधी साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	128/1	5.430	5.430
19	कुन्तीबाई पुत्री लल्लूसींग लोधी साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	128/2	3.280	1.640
20	किशुन पिता बाबूलाल साकिन हरदी	भूमिस्वामी	129/1	0.600	0.600
		भूमिस्वामी	129/2	0.600	0.600
21	उत्तमसिंग वल्द हल्ला साकिन जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	129/3	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	130/3	0.800	0.800
22	बलराम पिता विश्वनाथ साकिन परासिया	भूमिस्वामी	129/4	0.400	0.400
23	पनवेश्वर पिता बाबूलाल साकिन हरदी	भूमिस्वामी	130/1	0.600	0.600
		भूमिस्वामी	130/2	0.600	0.600
24	कनई वल्द नन्नु, केशरबाई पति कनई अहस्तांतरणीय शासकीय पट्टेदार	भूमिस्वामी	131/2	1.600	1.600
25	दली वल्द रमले, रज्जोबाई पति दली साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	131/4	0.600	0.600
26	लखन वल्द दली, कलाबाई पति लखन साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	131/5	0.600	0.600
27	सैयद जाबेद हुसैन पिता सैयद इकबाल हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/1	1.010	1.010
28	श्रीमति नीलोफर बेगम पति सैयद परवेज हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/2	1.010	1.010
		भूमिस्वामी	139/3	0.100	0.100
29	सैयद परवेज हुसैन पिता सैयद इकबाल हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	139/4	0.400	0.400
		भूमिस्वामी	135	1.530	1.530
30	श्रीमति शाहीन बेगम पति सैयद इशरार हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/3	1.520	0.760
31	जमीला पति सैयद इकबाल हुसैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	133	1.530	1.530
32	भरत पिता घनश्याम चौरसिया साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	134	1.540	0.950
		भूमिस्वामी	136	1.540	0.200
33	मंजू पति सुशील कुमार जैन साकिन गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	139/2	2.000	2.000
	योग:-		45	49.470	40.510

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (4) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-49 अ-82-17-18-3491

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को बरौदा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 500 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बरौदा जलाशय परियोजना
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बरौदा रहली
 4. पट.ह.नं.- : 113
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 21.930 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	द्रोपतीबाई वेवा वली साकिन देह	भूमिस्वामी	708	1.120	1.120	
		भूमिस्वामी	710	1.02	1.020	
2	पूरन पिता हल्के साकिन देह	भूमिस्वामी	709	1.020	1.020	
3	चन्दन सिंह पिता पूरन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	711	0.800	0.800	
4	फूलसिंह पिता जियालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	712	0.200	0.200	
5	मु. सीमाबाई पिता भगतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	813	1.60	0.520	
6	रामसुन्दरी राममणी पुत्री चन्द्रभान साकिन देह	भूमिस्वामी	814	0.320	0.320	
7	जयराम सिंह पिता रज्जू सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	815	2.120	1.640	
8	बलराम सिंह, लखन सिंह पिता कृपाल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	828	1.170	0.480	
9	सूरजबाई पुत्री प्रहलाद सींग साकिन टीलाखेड़ी	भूमिस्वामी	829	0.470	0.470	
10	बलराम पिता बाबूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	832	4.550	4.550	
11	दिग्विजय भूपेद्र सीमा डब्बो पिता भगतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	833	0.300	0.300	
		भूमिस्वामी	834	1.410	1.410	
		भूमिस्वामी	837	0.910	0.910	
12	भगवानदास पिता पुटई साकिन देह	भूमिस्वामी	848	1.000	1.000	
13	भगवानदान पिता पुट्टी साकिन देह	भूमिस्वामी	847	0.340	0.340	
14	राजेन्द्र पिता नारायण सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	851	2.500	2.500	
15	रघुराज सिंह पिता सीताराम साकिन देह	भूमिस्वामी	853	3.330	3.330	
	योग:-		18	24.18	21.93	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया

है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-52 अ-82-17-18-3483

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को जमदर्दा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 583 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	जमदर्दा जलाशय परियोजना
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	गढ़ाकोटा
3. ग्राम	:	जरिया खिरिया
4. पट.ह.नं.-	:	19
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.000 है।

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	प्रवेशरानी पति डालचंद साकिन परसोरिया	भूमिस्वामी	10/1	1.990	1.000	
योग:-			01	1.990	1.000	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-67 अ-82-17-18-3487

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की चुरारी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम मिरगावली, ढड़ली, चुरारी, पलेथनी, डबडेरा एवं बरोदिया कलां की लगभग 1000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | मालथौन |
| 3. ग्राम | : | मिरगावली |
| 4. पट. ह.नं. | : | 27 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 42.17 हे. |

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	धनीराम पिता मुल्ले पता सा. ढड़ली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	565	1.16	0.18	
2	प्रतिपालसिंह पिता बुद्धसिंह शिवकुंवर हल्कीबेन सुनीता पुत्री कल्यानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	566	0.26	0.26	
3	गोरेलाल पिता बख्ते पता सा. बरोदिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	567	1.12	0.64	
4	अनंदी पिता देवी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	568	0.16	0.16	
5	बाबूलाल पिता बहोरे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	569	0.36	0.36	
6	लक्ष्मी वेवा रूपचंद रमाकान्त ना0वा0 पुत्र रूपचन्द योग्यता ना0वा0 पुत्री रूपचन्द वली आज्ञा भगोने पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	570/1	0.63	0.63	
7	लालचंद पिता किशोरीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	570/2	0.64	0.48	
8	अनंदी पिता देवी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571	0.64	0.05	
9	पुष्पेन्द्र पिता हिम्मतसीग सा. देह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	622	1.38	0.50	

संख्या	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
10	ननूराजा पिता कल्यानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	627	0.71	0.59	
11	सुहागरानी पति बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	636/1	1.59	1.37	
12	देवीसीग पिता इमरतसीग पता सा0देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	637	0.36	0.36	
13	देवेन्द्रकुमार, कृष्णकांत दिनेशकुमार पिता जयराम गंगादेवी बेबा जयराम पता सा. इन्दौर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	638	2.81	2.81	
14	लोकेशकुमार ना.वा. पालक पिता हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639	0.38	0.38	
15	उभेद पिता परमू पता सा0देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	640/2	0.71	0.04	
16	खिलान पिता अघरा पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	640/3	1.00	0.53	
17	परमानन्द पिता परसादी पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	640/4	0.80	0.63	
18	लोकसेवा सामुहिक कृषिसंस्था मर्यादित समीति पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	641	5.37	0.33	
19	काशीराम पिता रामलाल पता सा. देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	683	0.19	0.19	
20	फूलू पिता मरदन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	684/2	0.46	0.46	
21	दुर्जन पिता पुनू पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	684/3	0.20	0.20	
22	प्रभू पिता उद्रेत पता सा. डडली शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	690/1	0.14	0.07	
23	हरीराम पिता बिरजू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	690/2	0.34	0.22	
24	जगन मलखान पिता किशोरा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	691	0.11	0.11	
25	गिरधारी पिता बिहारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	692	0.65	0.65	
26	लीलाधर, नंदराम, धनप्रसाद रामस्वरूप वा. रामाधर ना.वा पिता प्रेमनारायण पालक मां पानबाई बेबा प्रेमनारायण भूमि स्वामी गोदावरी, शुक्लाबाई सावित्री, मोनाबाई पुत्री प्रेमनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	694	0.54	0.54	
27	सुखदयाल आशुतोष पिता पन्नालाल विमलाबाई सुनीताबाई पुत्री पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	695	0.71	0.60	
28	गिरधारी पिता भुज्जी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	700	0.61	0.06	
29	रामचरन पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	704/2	0.12	0.01	
30	रामकिशन पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	704/3	0.12	0.02	
31	रामचरन रामकिशन पिस. खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	706	0.45	0.45	
32	प्रभू पिता उद्रेता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	707	0.45	0.45	
33	भगोने पिता हल्कू पता सा. डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	708/2	0.40	0.40	
34	वल्दू कपूरे कलू माखन पिता हल्कू सगुनबाई बेटीबाई मुलाबाई पुत्रिया हल्कू कलाबाई बेबा	भूमि स्वामी	708/3	0.74	0.74	

सं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	हल्कू पता सा. डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी					
35	कल्ला पिता मिन्दा पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	708/4	0.97	0.97	
36	रमदीना पिता रमचन्दा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	708/5	0.40	0.40	
37	हजारी पिता हल्कू पता सा. डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	708/6	0.43	0.43	
38	कुसुमबाई बेबा मुल्ला आरती बा0 शारदा ना0बा0 पुत्री मुल्ला मनोज ना0बा0 धर्मेन्द्र ना0बा0 कमलेश ना0बा0 गनेश ना0बा0 आनंद ना0बा0 पिस0 मुल्ला पालक मों कुसुमबाई बेबा मुल्ला पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	708/7	0.80	0.80	
39	गुलावरानी पति भगुन्ता पता सा0देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	709/2	0.80	0.60	
40	परमानन्द पिता पुन्ना पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	709/3	1.00	0.50	
41	गोबिन्दा पिता परमू पता सा0देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	709/5	0.60	0.60	
42	कमलाबाई पति चतरे पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	709/6	0.40	0.40	
43	विदेश, कुन्जनसिंह वल्द दमरू पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	710	2.34	2.34	
44	दमरू पिता फूलसिंह पता सा0 चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	711	0.47	0.47	
45	खुमान, लालसीग, बल्द सूरतसीग अवधरानी बेवा सूरतसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	712	1.45	1.45	
46	धीरजसीग पिता इमरतसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	714	0.10	0.10	
47	रघुराजसिंह पिता रामप्रसाद पता सा. ढडली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	715	0.63	0.63	
48	गजराज सीग पिता मूरतसीग पता सा0देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	716	0.39	0.39	
49	हनुमतसीग बहादुरसीग पिता मानसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	717	4.72	4.49	
50	मलखानसीग पिता रतनसीग पुष्पेन्द्रसिंह ना.वा. बल्द बली नंदसिंह पता सा. डबडेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	718	0.66	0.66	
51	दयालसिंह पिता नंदूसिंह पता सा0 डबडेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	719	0.22	0.22	
52	इमरतसिंह बल्द रतनसिंह पता सा0 डबडेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	720	0.21	0.21	
53	प्रानसिंह पिता अमानसिंह पिता सा0 डबडेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	721	0.20	0.20	
54	खुमान, लालसीग, बल्द सूरतसीग अवधरानी बेवा सूरतसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	722	0.25	0.25	
55	गजराजसीग मूरतसीग पिता लक्ष्मनसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	723	0.38	0.38	
56	गजराज सीग पिता मूरतसीग पता सा0देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	724	0.75	0.75	
57	अमानसिंह सुरजनसिंह सुखसिंह पिता हरप्रसाद पता सा0 डबडेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	725	0.21	0.21	
58	खुमान, लालसीग, बल्द सूरतसीग अवधरानी बेवा सूरतसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	726	0.45	0.45	

क्र.सं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
59	खुमान, लालसीग, बल्व सूरतसीग अवधरानी बेवा सूरतसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	728	0.85	0.85	
60	दुरगसीग पिता मंगलसीग पता सा. रामछायरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	729	0.35	0.35	
61	प्रीतम पिता अजुदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	730	0.25	0.25	
62	प्रीतम पिता अजुदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	733	0.10	0.10	
63	गजराज सीग पिता मूरतसीग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	734	0.99	0.99	
64	प्रीतम पिता अजुदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	735	0.45	0.45	
65	प्रीतम पिता अजुदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	736	0.45	0.45	
66	प्रभान सीग पिता पूरनसीग हरीसीग ना.बा. पिता पूरन सीग संरक्षक भाई रामदास पिता पूरनसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	737/1	0.37	0.37	
67	प्रभान सीग पिता पूरनसीग हरीसीग ना.बा. पिता पूरन सीग संरक्षक भाई रामदास पिता पूरनसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	737/2	0.38	0.38	
68	धीरे पिता बख्ते पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	738	0.58	0.58	
69	लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुडडी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेवा बहोरे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	739	0.58	0.58	
70	प्रीतम पिता अजुदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	740	0.10	0.10	
71	प्रीतम पिता अजुदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	741	1.25	1.25	
72	हनुमतसीग बहादुरसीग पिता मानसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	742	2.10	2.10	
		योग	72	53.940	42.170	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-68 अ-82-17-18-3486

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की चुरारी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम चुरारी, ढड़ली, मिरगावली, पलेथनी, डबडेरा एवं बरोदिया कला की लगभग 1000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	मालथौन
3. ग्राम	:	चुरारी
4. पट. ह.नं.	:	27
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	57.73 हे.

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रघुवीर पिता रंखा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	1.200	0.210	
2	श्रीबाई बेबा साधू दुरजुवा मकुदा बेनीबाई पार्वतीबाई पिता दौलत पिता कलू मनोहर गनेशबाई मुन्नीबाई गीताबाई पिता खिलान भूमि स्वामी बती बेबा खिलान बाबू धासीराम सोमती रानी पि० गजू हरीसींग बालचंद भीना कल्लो सखी हल्कीबेन पिता साधू	भूमि स्वामी	11	1.620	0.560	
3	गजराजसींग मूरतसींग पिस. लक्ष्मन सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/1	1.110	0.150	
4	राजाराम पिता मोपत सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/1	1.200	1.200	
5	माधव प्रसाद पिता किशोरी लाल पता निवासी ग्राम भृगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14/2	0.540	0.540	
6	आनंदी प्राणसिंह पिस.परतापसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	1.240	1.240	

सक्र. नं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
7	हनुमंतसिंह पिता मानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	2.090	1.260	
8	छोटेराल पिता ठाकुरदास पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16/284	2.080	2.080	
9	बहादुरसिंह पिता मानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16/285	2.090	2.090	
10	किशोरा पिता बारेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/1	0.310	0.050	
11	मरदना निरमा नंदुवा पिस.जबरा बृजरानी बेबा जबरा सुन्दरिया गुड्डी व जबरा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	0.700	0.030	
12	कमलिया पुत्री खन्जू जालम पिता गुवन्दा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.450	0.020	
13	राजरानी पत्नि रघुनाथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	0.280	0.010	
14	धूमनसींग हरीसींग पिता मिरचू पता सा. इमलिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51	0.140	0.120	
15	पूरन पिता शंकरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52	0.070	0.010	
16	अजयसींग अरजनसींग पिता बहादुरसिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58	0.050	0.010	
17	हनुमंतसिंह पिता मानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59	0.250	0.250	
18	निर्मल निहाल सतोष सुनील पिता दुलीचद मुन्नीबाई गुड्डीबाई दुलीचद लालचद भागचद कोमल उत्तम पिता पन्नालाल पता सा-चरोदिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60	0.280	0.040	
19	अजयसींग अरजनसींग पिता बहादुरसिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61	1.800	0.280	
20	किशोरा पिता बारेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/1	0.410	0.410	
21	गुलाबरानी पत्नी किशोरी रामसेबक, गजपाल पिता किशोरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/2	0.660	0.400	
22	मोतीलाल वल्द छचे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/3	0.250	0.250	
23	बहादुरसींग वल्द मानसींग जाहरसींग वल्द हनुमंतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	1.840	1.600	
24	दमरू पिता फूलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	0.750	0.750	
25	धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	0.200	0.200	
26	धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79	0.400	0.400	
27	बहादुरसिंह पिता मानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80	2.190	2.190	
28	दामोदर तुलसीराम पिता पल्डू सुखरानी बेबा पल्डू हरीराम रामसखी वालिग देवी ना.वा. पिस. परम पा.मां खुद भूमि स्वामी फूलन बेबा परम प्यारेलाल पिता गनेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81	0.330	0.330	
29	कुसुमरानी पति हनुमंतसींग सा देह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	1.100	1.100	
30	बहोरे पिता धोकल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84	0.860	0.860	

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
31	जालम पिता हल्के पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.160	0.160	
32	अजय अभिषेक अभिलासा पिता संतोषकुमार राजकुमारी बेबा संतोष कुमार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87	1.210	1.210	
33	लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुड्डी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेबा बहोरे पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88	0.380	0.380	
34	रघुवीर पिता रंखा पता सा.देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	89	0.050	0.050	
35	रघुवीर पिता रंखा पता सा.देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	90	0.300	0.300	
36	धीरे पिता बख्ते पता सा.मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91	1.220	1.220	
37	लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुड्डी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेबा बहोरे पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92	0.840	0.840	
38	राहुल पिता ताराचन्द पता सा.देह मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93	1.200	1.200	
39	रघुवीर पिता रंखा पता सा.देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	94	0.320	0.320	
40	रघुवीर पिता रंखा पता सा.देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	95	1.010	1.010	
41	दुन्डा पिता खन्जू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96	0.380	0.380	
42	निर्मलकुमार वल्द दुलीचंद रामकुमार ना.वा. पिता वली उत्तमचंद पता सा. नागालैंड भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97	1.990	1.990	
43	जालम पिता हल्के पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98	0.320	0.320	
44	भगवानसींग पिता लालसींग मूरतसींग ताहरसींग पिस. धीरजसींग पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99	3.940	3.940	
45	देशराज रमेश गन्धर्व लाखन पिस. खिलानसींग पता सा. ढड़ली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100	2.160	2.160	
46	खितई पिता परसू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101	1.260	1.260	
47	हरीराम पिता भोपत सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	0.650	0.650	
48	रमेश प्रकाश नेताराम ममता माया हल्ली कला पिता आलम लाडली बेबा आलम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103	0.160	0.160	
49	दुन्डा पिता खन्जू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104	0.650	0.650	
50	हरनामसिंह ना.वा. पिता हरीरामसिंह पिता भोपतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105	0.580	0.580	
51	हाकमसिंह ना0बा0 वल्द व वली हरीरामसिंह पिता भूपतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106	0.350	0.350	
52	आदेशकुमार पिता उत्तमचंद पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	0.570	0.570	
53	दामोदर तुलसीराम पिता पल्लू सुखरानी बेबा पल्लू हरीराम रामसखी गालिग देवी ना.वा. पिस. परम पा.मां खुद भूमि स्वामी फूलन बेबा परम प्यारेलाल पिता गनेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108	0.570	0.570	
54	जालम पिता हल्के पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	0.430	0.430	

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
55	रतना गोरेलाल मोहन पिता सेतू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110	0.360	0.360	
56	रगनाथ पिता परसू नरेन्द संजय पिस. शिखरचद विन्नी पिता शिखरचद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/1	0.260	0.260	
57	हरीराम पिता भोपत सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/2	0.260	0.260	
58	आदेशकुमार पिता उत्तमचंद पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112	0.620	0.620	
59	भगवानसींग पिता बाबूसींग सियारानी बेवा भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/1	1.160	1.160	
60	वृन्दावन रतिराम पिता कुन्दन सुहागरानी बेवा कुन्दन अरविन्द पिता जगत आशारानी बेवा जगत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/2	1.150	1.150	
61	हरगोविन्द देवेन्द हल्ली पिस माखन सुमतरानी बेवा माखन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/3	0.770	0.770	
62	अनदी पिता परताप सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/4	0.710	0.710	
63	पानसींग पिता परताप सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/5	0.780	0.780	
64	रामरती पिता परताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/6	0.010	0.010	
65	हरीराम देवी वल्द परम फूलन बेवा परम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114	0.590	0.590	
66	रघुनाथ पिता परसू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132	0.110	0.110	
67	अनदी प्राणसिंह पिस.परतापसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133	0.070	0.070	
68	किशोरा पिता बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	134	0.070	0.070	
69	रावरानी बेवा फूलसींग नंदराम वल्द फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	135	0.040	0.030	
70	शंकर पिता प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	243	1.530	1.200	
71	महेन्द सींग पिता दमरू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	245	0.750	0.750	
72	महेन्द सींग पिता दमरू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	246	0.500	0.500	
73	महेन्द सींग पिता दमरू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	247	0.220	0.220	
74	नरेन्दसींग अरजन सींग देवेन्दसींग ना0 वा0 पिता पा जुझारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248	1.460	1.460	
75	बिजयसिंह ना.बा. पिता बली जुझारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249/1	0.530	0.530	
76	साहबसींग ना0वा0 वल्द वली दमरू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249/2	0.530	0.530	
77	जालम मकुन्दी पिस. हल्का, ननीबाई पैमबाई पुत्री हल्का घमार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	250/1	1.130	1.130	
78	तिलक नाबा रामाधार नाबा पा पिता जगभाई पिता शंकरलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	250/2	0.380	0.380	
79	बालचंद पिता हरी सुरेशचंद रमेशचंद निर्मलचंद पिस0 हल्के कमलाबाई पुत्री हल्के सुमतरानी बेवा हल्के पता सा. बरौदिया कला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	250/28 6	0.490	0.490	
80	तारवरसींग ऊदल सींग हीरा पि0 सूरज सींग अशोकरानी बंवा सूरत सींग पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	251	1.780	1.780	

सक्र. नं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
81	नंदराम पिता फूलसींग बालचंद हल्के पिस. हरी गुलाबसींग पिता सूरतसींग सिरदारबहू बेबा रधीरसिंह भूमि स्वामी सियादुलारी बेबा उमेदसिंह महेन्द्रसिंह ना.वा. पिता उमेदसिंह पालक मां व खुद सियादुलारी बेबा उमेदसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	252	0.620	0.620	
82	खरगा पिता पिरुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	256	0.300	0.020	
83	अनंदी पिता परताप पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	262/1	0.270	0.020	
84	अनंदी पिता परताप पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	262/2	0.670	0.100	
85	शोभारन सींग ना.वा. पिता वली नंदराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	263	0.780	0.240	
86	कनई पिता नंदलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	264	0.590	0.480	
87	रजुवा मजूवा पिता कुदऊवा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	269	0.800	0.310	
88	रतन गोरेलाल मोहन पिता सेतू छलोनी बेबा सेतू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270	2.560	0.680	
		योग	88	70.040	57.730	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय, विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-68 अ-82-17-18-3485

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की चुरारी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम बरोदिया कलां, ढड़ली, मिरगावली, चुरारी, डबडेरा एवं पलेथनी की लगभग 1000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : बरोदिया कलां
 4. पट. ह.नं. : 26
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.41 हे.

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदीश पिता पहलवान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/1	0.42	0.42	
2	नंदलाल पिता जानकी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/3	1.21	1.21	
3	दुलीचंद पिता पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155	0.13	0.13	
4	हिरऊ पिता नन्हेलाल पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158	0.78	0.78	
5	दुलीचंद पिता पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159	0.28	0.28	
6	जगदीश पिता पहलवान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	160	0.55	0.55	
7	हिरऊ पिता नन्हेलाल पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	162	0.55	0.55	
8	अमोल मोहनसींग पिता पूरनसींग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	163	0.74	0.74	
9	लालसींग पिता रखुनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166	2.02	0.57	
10	भगवानसींग पिता बाबूसींग सूरजबाई शीलाबाई मालतीबाई पुत्री बाबूसींग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167/3	1.00	1.00	
11	शीला पिता बाबू पता सा. चुरारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167/4	1.00	0.25	
12	सुरेन्द्र पिता डालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	177/3	0.80	0.80	

सक्र. नं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
13	दुलीचंद पिता पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	205	0.70	0.10	
14	सन्नो बी पति मुह. हुसेन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/2	1.06	1.06	
15	स्वरूप खॉ पिता झबू खॉ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/3	0.80	0.25	
16	कल्ला पिता कन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212/2	0.80	0.80	
17	जगरानी बेवा मंजुवा रगवीर बसन्ते पिस. मन्जुवा मूलचंद वा. माखन ललताबाई ना.वा. पिस. भोले पा. मां खुद वतीबाई बेवा भोले पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212/5	0.80	0.40	
18	चेना पिता हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212/6	0.10	0.10	
19	बकत बानो पति काले खां पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212/7	0.80	0.80	
20	तुलसीराम दुली पिता हरिया बेनीबाई पिता हरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	265/1	0.44	0.08	
21	कृष्णकुमार पिता तुलसीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	265/2	0.40	0.06	
22	चिखे चेना रामवती पिता हजारी अलछारी वेवा हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	266	1.03	0.60	
23	चिखे चेना रामवती पिता हजारी अलछारी वेवा हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	268	0.08	0.08	
24	कल्ला पिता कन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	269	0.28	0.28	
25	कल्ला पिता कन्धा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	272/2	0.52	0.40	
26	चिखा पिता हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	272/3	0.80	0.12	
	योग		26	18.090	12.410	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-70 अ-82-17-18-3489

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की चुरारी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम डबडेरा, ढड़ली, मिरगावली, चुरारी, पलेथनी एवं बरोदिया कलां की लगभग 1000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : डबडेरा
 4. पट. ह.नं. : 27
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 18.09 हे.

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	राजू ऊर्फ राम पिता नंदलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	580	1.60	0.23	
2	धनिया शीला बाई पिस. रनजोरा जाहर सल्लू पिस. रती पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	582	0.03	0.03	
3	हरिया पिता हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	583	0.82	0.32	
4	लाम्पू पिता नवला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	584/1	0.25	0.10	
5	सुमंत्राबाई पिता नवला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	584/2	0.05	0.05	
6	पिरुवा पिता नवला प्यारीबहू बेबा परमा गनेश अजुद्धी राकेश ना0 बा0 बल्द परमा वली माँ प्यारी बहू जानकीबाई पुत्री परमा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	584/3	0.50	0.20	
7	सुतिया पिता भरोसा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	585	0.81	0.67	
8	मुन्ना पिता हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	586	0.80	0.80	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
9	मढोला पिता हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	587	0.80	0.80	
10	प्यारी वहू वेवा परम गनेश अजुदिया राकेश पिस. परमा पिता परमा बली मां ब खुदप्यारी वहू वेवा परमा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588	0.75	0.75	
11	कामता पता हल्कई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	589	0.72	0.72	
12	गनेश अजुदी राकेश पिता पिरुवा पता सा. डबडेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590	0.54	0.54	
13	गनेश अजुदी राकेश पिता पिरुवा पता सा. डबडेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	591	0.18	0.18	
14	पर्वत खज्जू पित मोना भाग्यबती मुलाबाई पिता मोना पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	723	1.30	0.30	
15	मरदन पिता घसीटा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	741	0.76	0.10	
16	खिलान पिता भुज्जी सा0 मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	742/2	0.49	0.13	
17	झिरुवा पिता हजरिया पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	745	0.80	0.50	
18	पार्वती वेवा कम्मोद मुन्नासीग पि0 कम्मोदसीग सुदामा सावित्री पुत्री कम्मोदसीग भुजबल सुखसीग पिता भीकमसीग जनकी वेवा भीकमसीग अनूपसीग पिता भीकमसीग सन्तोषसीग पिता गिरवरसीग लड्डीसीग भूरेसीग ललनसीग जगराज पिता जनकसीग पता सा. पारेल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	746	4.71	3.83	
19	कीरतसिंह पंचमसिंह पिस0 चालीराजा पता सा0 पलेथनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	747	1.42	1.42	
20	कीरतसिंह पंचमसिंह पिस0 चालीराजा पता सा0 पलेथनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	748	0.03	0.03	
21	गुवन्दा पिता पुनुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	749	0.04	0.04	
22	ऊदल पिता गोकल सा0 मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	750/1	0.24	0.24	
23	कुसुम बाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	750/2	0.40	0.40	
24	कुसुम बाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	750/3	0.06	0.06	
25	भगुते पिता बन्दू पता निवासी बरोदिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	750/4	0.11	0.11	
26	राजू हरिबाई रश्मि पिता वीरे दीपक बसंती पूनम ना.बा. पिता वीरे बली मां ब खुद जयंती बेबा वीरे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	750/5	0.10	0.10	
27	ऊदल पिता गोकल सा0 मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	750/6	0.40	0.40	
28	सुहागरानी पति बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	751/1	0.24	0.24	
29	कुसुम बाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	751/2	0.18	0.18	
30	बब्बू पिता कच्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	752	0.39	0.39	
31	फदाली पुनु पिस.बुदा पुष्पाबाई पुत्री बुदा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	753	0.49	0.49	
32	पार्वती वेवा कम्मोद मुन्नासीग पि0 कम्मोदसीग सुदामा सावित्री पुत्री कम्मोदसीग भुजबल सुखसीग पिता भीकमसीग जनकी वेवा भीकमसीग अनूपसीग पिता भीकमसीग सन्तोषसीग पिता गिरवरसीग लड्डीसीग भूरेसीग ललनसीग जगराज पिता जनकसीग पता सा. पारेल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	754	0.17	0.17	

सं.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
33	धोकल पिता दुर्जन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	755	0.68	0.68	
34	रभिया बेवा पचा भगोने हजारी तखत जमना हन्जू कुसुम गुड्डी संतोष बाई पिस. हल्कू चन्द्रानी बेवा भूमि स्वामी हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	756	0.45	0.45	
35	भगुते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	758/1	0.70	0.70	
36	राजू हरिबाई रश्मि पिता वीरे दीपक बसंती पूनम ना.बा. पिता वीरे बली मां ब खुद जयंती बेबा वीरे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	758/2	0.35	0.35	
37	भगुते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	759/1	0.05	0.05	
38	गोकल दशरथ बलराम पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम मिरगावली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	759/2 758/2	0.05 0.35	0.05 0.35	
39	प्यारेलाल पिता मोने पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	760	0.15	0.15	
40	प्यारेलाल पिता मोने पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	762	0.79	0.79	
		योग	40	23.750	18.090	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-71 अ-82-17-18-3495

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम ललोई, मगरा, बंगेला, चौकाखुर्द एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | मालथौन |
| 3. ग्राम | : | ललोई |
| 4. पट. ह.नं. | : | 40 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 4.96 हे. |

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	परमलाल रामचंद छोटेलाल पिता कालूराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1104	1.44	0.13	
2	कुंवरबाई पति परम लाल साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1101	0.35	0.08	
3	रामलाल पिता गिरधारी पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व	भूमि स्वामी	1102	0.37	0.01	
4	गिरधारी पिता पुनु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1099/1	0.90	0.04	
5	रामसखी पति रतनलाल सविता पति रूपचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1099/2	0.40	0.03	
6	बुन्देलसिंह पिता रतिरामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1100	1.00	0.22	
7	जगदीश पि. खेमचंद रामसखी कविता पुत्री खेमचंद रामकली बेवा खेमचंद साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	966	0.80	0.01	
8	विनोद कुमार पिता कोमलचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	967	1.48	0.09	

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
9	नरेन्द्र सुरेन्द्र पिता रामगुलाम आरती पुत्री रामगुलाम हीराबाई बेवा रामगुलाम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	968/2	0.40	0.04	
10	प्रेमबाई बेवा गनेशसींग रामकली गयाबाई पिता गनेश सींग सा. देह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	973/3	0.10	0.10	
11	धनसींग पिता पूरनसिंह दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	977/1	1.80	0.10	
12	इन्द्राजसिंह पिता पूरनसिंह दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	977/2	3.95	0.11	
13	पद्मारी पिता खुट्टन कोंटवार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	926	1.75	0.03	
14	जयाबाई बेवा सुक्का शीलाबाई मोतीबाई पिता सुक्का पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	986/1	0.20	0.14	
15	त्रिलोकसींग ना.वा. पिता पालक बलवंत सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	985/3	0.40	0.04	
16	साम्भरसींग पिता प्रहलादसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1013/1	0.10	0.10	
17	रामकृपाल पिता धोकलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1015	2.58	0.15	
18	वीरेन्द्र पिता नेतराम दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1016/1	0.49	0.11	
19	वीरेन्द्र पिता नेतराम दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1016/2	0.50	0.06	
20	शालकराम पिता अरजन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1018	0.38	0.04	
21	रामसींग पिता शिवप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1020/3	1.34	0.10	
22	कीरतसींग पिता चित्तरसींग दयाराम प्रभु शिवा पिता परवतसींग रामरानी बेवा परतापसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	839	1.45	0.09	
23	मुनीमसींग हलकाई शिवराजसींग पिता बटदूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	840	2.05	0.08	
24	मुनीमसींग हलकाई शिवराजसींग पिता बटदूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	841	1.47	0.05	
25	कृपाराम पिता ओमकार सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	843	1.62	0.09	
26	वीरसींग पिता प्रहलादसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	825/1	1.59	0.14	
27	भोगा पिता भैयालाल दामोदर दशरथ कलीबाई गुडडीबाई पिता भैयालाल लक्ष्मीबाई बेवा पुन्ना गंगाराम राजाराम तारा पिस. पुन्ना हरकिशन श्यामबाई पिता भोपत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1098/1	1.15	0.05	
28	रतीबाई बेवा भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	985/1	0.87	0.09	
29	रामसींग पिता भैयालाल दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249/1	3.87	0.03	
30	मालतीबाई पति मुशलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	250/1	2.03	0.08	
31	गजेन्द्रसिंह पिता तोरनसिंह	भूमि स्वामी	251/4	0.4	0.28	
32	प्रकाशचंद पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	255	3.67	0.05	
33	धोकाबाई बेवा बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	256	1.21	0.16	

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
34	अरविन्द पिता धीरजसींग सुषमा प्रीति पुत्री धीरजसींग संतोषरानी बेवा धीरजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	257/1	1.75	0.02	
35	साहबसींग पिता दौलतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	258/1	1.66	0.08	
36	संतोष कुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	259	0.05	0.01	
37	संतोष कुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	261	1.68	0.08	
38	संतोष कुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	260	2.68	0.08	
39	गोवर्धन पिता मिट्टू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	795	1.28	0.10	
40	प्रकाशसिंह पिता ब्रम्हानंद	भूमि स्वामी	796	3.44	0.22	
41	बादलसिंह पिता रतिरामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	780	1.15	0.03	
42	जयसिंह पिता बृजलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	785/2	1.00	0.11	
43	बादलसिंह पिता रतिरामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	779	1.18	0.08	
44	बादलसिंह पिता रतिरामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	778	0.40	0.04	
45	लाखनसिंह पिता मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	876/3	0.80	0.13	
46	मंदिर श्री महावीर जी मु. पुजारी विन्द्रावन पिता गजाधर प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	888	1.42	0.10	
47	राममनोहर बा. गुरनाम विकास सोनम राधिका नाबा पिता इन्द्रराजसींग पालक व खुद मां राधाबाई बेवा इन्द्रराज सींग दांगी नंदकिशोर फेरनसींग गुड्डी रूपवती सुशीला पिता धीरजसींग सावित्रीबाई बेवा धीरजसींग दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	886/1	0.67	0.10	
48	रामनाथ पिता मानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	923	1.21	0.08	
49	शोभाराम पिता प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	925	1.75	0.16	
50	शिवनारायण पिता विन्द्रावन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	928	2.46	0.14	
51	लखनसींग पिता मानसींग धीरजसींग पिता पूरनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	989	2.57	0.16	
52	रनविजयसींग पिता लखनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	971	0.60	0.06	
53	मुन्नासिंह पिता झगडूसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1002	2.28	0.18	
54	शालकराम पिता अरजन पता सा. देह	भूमि स्वामी	1019	0.46	0.05	
55	राघवेन्द्र पिता नत्थूसिंह भूरी बेवा नत्थूसिंह साहबसिंह पिता जगन्नाथ पता सा. देह	भूमि स्वामी	252	0.78	0.03	
56	इन्द्राजसिंह पिता पूरनसिंह दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	985/2	0.47	0.01	
57		भूमि स्वामी		73.85	4.96	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-72 अ-82-17-18-3484

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम ललोई, मगरा, बंगेला, चौकारखुर्द एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : चन्द्रापुर
 4. पट. ह.नं. : 44
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 194.03 हे.

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मुन्नालाल पिता नाथूराम पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/1	0.03	0.03	
2	लालचंद पिता फुन्दी पता सा. ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/3	0.07	0.07	
3	प्रेमनारायण पिता काशीराम ओंकार पिता नाथूराम गुडडी बाई उर्मिलाबाई पुत्री नाथूराम शकुन दुलैया बेवा भूमि स्वामी नाथूराम भदई पिता जूजे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1	0.08	0.08	
4	बबलू पिता लच्छू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/2	0.08	0.08	
5	कुन्दन पिता पन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153/2	0.08	0.08	
6	सुलोचना पिता भगवानदास सा. ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/2	0.1	0.1	
7	मुन्ना पिता मोहन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	269	0.2	0.2	
8	घसीटे अरजन पिता वंशी अमानोबाई बेवा वंशी	भूमि स्वामी	151	0.22	0.22	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	पता सा. देह भूमि स्वामी					
9	तुलसी दीना लछमन पिस. पलटू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104	0.22	0.22	
10	कस्तूरीबाई पति कुन्दनलाल पता सा. ढावरी शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	257	0.25	0.25	
11	पप्पू पिता लच्छू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/3	0.06	0.06	
12	गुलाब पिता भूरत पता सा. ढावरी शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	156	0.27	0.27	
13	मूलचंद पिता भगवानदास पता सा. ढावरी शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	157	0.29	0.29	
14	मुन्नालाला पिता सादू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	159	0.13	0.08	
15	लक्ष्मन पिता रल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	331/1	0.20	0.2	
16	हल्काई पिता सुकलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	261	0.31	0.31	
17	रूपसींग पिता प्रेमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173/1	0.32	0.04	
18	रामवती पति कनईलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	266	0.32	0.32	
19	किशोरी पिता गुमान पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110	0.33	0.33	
20	हरीशंकर पिता रक्खू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119	0.35	0.35	
21	लछमन पिता देवकरन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	262	0.35	0.35	
22	रगवीर सीता पिता दुरजन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	264	0.35	0.35	
23	बलीराम पिता हल्काई पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178	0.35	0.03	
24	कुसुमरानी बेवा खिलान सिंगसा सागौनी सरोजरानी पति माखनसींग पता सा. ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	174	0.36	0.15	
25	कुन्दन कोमल पिसा भूरा पता सा. ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167	0.37	0.37	
26	शंकर पिता अरजन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	245	0.37	0.37	
27	तुलसी पिता पलटू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82	0.38	0.38	
28	राजबाई पिता लच्छू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	268	0.39	0.39	
29	सतनामसींग पिता रघुवीरसींग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	161	0.4	0.03	
30	गोलू पिता कनई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267/2	0.4	0.4	
31	सियाबाई, गंगाबाई पिता खूबा सुमित्राबाई बेवा खूबा धमेन्द्र राहुल मनोहर पिता किसना कविता पुत्री किसन गीताबाई बेवा किसना भूमि स्वामी भू-राजस्व	भूमि स्वामी	75/1	1.09	1.09	
32	सुम्मेर ना.बा. बल्द वलीशंकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/2	0.4	0.4	
33	जयराम पिता हल्काई पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26	0.4	0.4	
34	बहादुर पिता हरदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/1	0.42	0.42	
35	प्रभू पिता रल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/2	0.42	0.42	
36	राजेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह पिता माखनसिंह जाति यादव पता सा. ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152	0.43	0.43	
37	प्रेमनारायण पिस. कासीराम पता सा. देह	भूमि स्वामी	19	0.44	0.44	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी					
38	रूपसिंह पिता प्रेमसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173/2	0.46	0.02	
39	अशोक सीताराम दिनेश सुनीता बैजन्ती शारदा पिता मनु कुंवरबाई बेवा मनु शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.25	0.25	
40	मनीराम रमेश पिता काशीराम जाति यादव पता सा चन्द्रापुरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166/1	0.51	0.45	
41	छोटेलाल पिता कल्याण जाति यादव पता सा ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166/2	0.52	0.45	
42	हल्काई पिता कल्याण जाति यादव पता सा ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166/3	0.52	0.52	
43	सरोजरानी पति माखन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	168	0.55	0.55	
44	रतीराम पिता नथू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	272	0.55	0.55	
45	नथूवा पिता गनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/3	0.4	0.4	
46	बाबूलाल पिता कुट्टी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	131/3	0.44	0.44	
47	बहादुर कल्लू पिता परमू पता सा ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/2	0.59	0.3	
48	श्रीदेव पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर बाके देह मुह. आजाद कुमार पिता ज्ञानकुमार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	328/2	0.6	0.6	
49	शिवकुमार पिता अमरसींग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/4	0.16	0.16	
50	शिवशंकर पिता अमरसींग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	309	0.44	0.44	
51	श्यामसुन्दर पिता जमना प्रसाद पता सा. मेहर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233/2	0.6	0.15	
52	कड़ोरी पिता आलभ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270	0.37	0.37	
53		भूमि स्वामी	271	0.21	0.21	
54	अम्बिप्रसाद पिता जगन्नाथ प्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293	0.61	0.61	
55	हल्काई पिता धन्से नथूवा पिता परमा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	252	0.61	0.61	
56	बैजनाथ पिता पंचम पता सा. ढावरी शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	0.61	0.04	
57	मितू पिता सुक्के पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	259	0.22	0.22	
58	फुल्ले पिता रामलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	328/1	0.62	0.62	
59	रामकिशोर सुम्मेर पिता शंकर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/1	0.63	0.63	
60	रामसींग पिता भगोनी पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242	0.4	0.4	
61	मुन्ना पिता मोहनलाल भौरप्रसाद बाबूलाल सीताराम पिस. भैयालाल सुहागरानी बेवा भैयालाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	316	0.65	0.65	
62	मैंदाबाई बेवा परम चन्दाबति पुन्नीपरम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/2	0.63	0.63	
63	परम पि. लालसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/3	0.46	0.46	
64	सरदार सीताराम पिता हल्काईब्दाकाबाई रुकमणीबाई पिता हल्काई ज्ञानबाई बेवा हलकाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69	0.04	0.04	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
65	गंगा अनन्दी पिता रल्ली भूमि स्वामी भू-राजस्व	भूमि स्वामी	256	0.6	0.6	
66	गनेश पिता देवकरन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	282	0.7	0.7	
67	रामाधार पिता राजाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233/1	0.74	0.15	
68	किशोरी पिता बारेलाल पता सा. शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	279	0.4	0.4	
69	जगदीश अनीता सरोज सावित्री सत्यवती सभी पिता अच्छेलाल मालती बेवा अच्छेलाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	274	0.8	0.8	
70	कपना पिता अम्बिका प्रसाद पता सा.देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	294	0.81	0.81	
72	मीराबाई पति अम्बिकाप्रसाद पता सा.देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	295	0.81	0.81	
74	ओसाब सिंह पि.गुलाब सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	357	0.81	0.81	
77	तारारानी पति चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67	0.81	0.81	
79	बदीपसाद पिता छोटेलालयादव पता सा.दावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	171	0.81	0.81	
81	कृष्णा बाई पुत्री देवीप्रसाद	भूमि स्वामी	361	0.61	0.31	
82	गोवर्धन पिता कनई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267/1	0.83	0.83	
83	लोकमन इमरत ताराबाई कल्लोबाई पिता गौरीशंकर	भूमि स्वामी	98	0.3	0.3	
84	श्याम पिता निरभय पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	287	0.84	0.84	
85	मुन्ना पिता मोहनलाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	319/1	0.84	0.84	
86	नरेन्द्र सिंह पिता माखन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149	0.48	0.48	
		भूमि स्वामी	165	0.38	0.38	
87	शंकर पिता अरजनविनायण वारी बेवा अरजन पता सा.देह. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106	0.87	0.87	
88	सियाबाई भागबाई दयाबाईबेडीबाई पुत्री खिलानसीग गुलाबसीग पिता दुरगसीग पता सा. हमुमात पहाडी माल गु. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	180	0.88	0.12	
89	बैजनाथ पिता पंचम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/4	0.92	0.92	
90	ज्योति पिता लखनसिंह राजपूत पता सा. वांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	351	0.95	0.45	
91	ममताबाई पति महेन्द्रकुमार पता सा.देह	भूमि स्वामी	80	0.26	0.26	
		भूमि स्वामी	311	0.7	0.7	
92	गुटिया पिता भुडवल	भूमि स्वामी	303	0.78	0.78	
93	सूरज पिता खुमान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	1.01	1.01	
94	बादलसीग पिता गजराजसीगराजपूत पता सा.देह	भूमि स्वामी	333/2	0.1	0.1	
		भूमि स्वामी	334/2	0.7	0.7	
95	कोसमबाई पति मुकीम खां पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	315	1.05	1.05	
96	सुकके पिता भावसिग पता सा.देह. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	273	1.05	1.05	
97	पता सा.देह	भूमि स्वामी	358	0.1	0.1	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
98	कन्छेदी पिता नोनीतरामगडरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	307	1.06	1.06	
99	कोमल चंद गुलाबचंद पिसा.दीपचंद	भूमि स्वामी	63	0.86	0.86	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	333/1	0.2	0.2	
100	अमरसिंग पिता दंगल	भूमि स्वामी	308	0.8	0.8	
101	जस्से पिता भावसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	265	1.08	1.08	
102	कुदऊ बारेलाल गुबन्दीराजधर पिता जालम	भूमि स्वामी	101	0.28	0.28	
	प्रभा सुबधा पिता जालम	भूमि स्वामी	111	0.6	0.6	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	117	0.2	0.2	
103	जगदीश श्रीराम वा रामाधार ना वा पुत्री दुन्दाबाई चंदाबाई ना विनीता वंदना नाबा पिता कुरें वली व भूमि स्वामी खुद मां सकुनबाई बेवा कुरें पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30	1.1	0.6	
104	चन्द्ररानी पति लालचंद पता सा. ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/1	1.1	0.55	
105	शिरवरचंद पिता पूरज पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	127	1.11	1.11	
106	तुलसीराम नाबा पिता व पा हरदयाल पिता बारेलाल पता सा. ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123	1.11	1.11	
107	गुलाब राकेश पिता राजकुमार	भूमि स्वामी	362	0.68	0.2	
108	चतुर्भुज पिता पन्नालाल	भूमि स्वामी	362	0.72	0.72	
	पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	155	0.43	0.43	
109	कुसमरानी वेवा खिलान सीग	भूमि स्वामी	162	1	0.74	
	पता सा0ढावरी	भूमि स्वामी	163/2	0.17	0.17	
110	सुकके जस्ता हरिया खुमान पिता भावसीग बडी बहू बेबा भावसीग मलखान वर्षा पिता तुलसीराम धनाबाई बेबा तुलसीराम	भूमि स्वामी	92	0.91	0.91	
111	छोटेलाल पिता सुकलाल	भूमि स्वामी	323	0.32	0.32	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	330	0.85	0.85	
112	जगन गनेश लछमन किशोरीनन्नीबाई ललताबाई गुलाब	भूमि स्वामी	306	0.8	0.8	
113	नारायणप्रसाद पिता नोनीतरामगडरिया	भूमि स्वामी	337/1	0.1	0.02	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	337/2	0.5	0.05	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	337/3	0.3	0.05	
		भूमि स्वामी	342/1	0.28	0.1	
114	मलखान वर्षा पिता तुलसीराम धनाबाई बेबा तुलसीराम	भूमि स्वामी	280	0.78	0.78	
115	हरीराम पिता बंसते	भूमि स्वामी	94	0.95	0.95	
116	नाथूराम गुलाबबाई पिता परम पता सा.देह. शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	25	1.2	1.2	
117	रामदास पिता लच्छू. पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320	1.2	1.2	
118	शिवदायल जगदीश गुन्वतीअगूरीबाई पिता वसन्ते काशीबाई वेवा वसन्ते पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/2	1.2	1.2	
119	हल्काई पिता धनसे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84	1.2	1.2	
120	गनेशी बेवा पहारी रामलालफूलसिंग प्रकाश ना.बा.	भूमि स्वामी	103	1.2	1.2	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	पिता पहारी पा. मां गनेशी पता सा.उमरई भूमि स्वामी					
121	राजेन्द्रकुमार पिता हल्काईभुकेश पि. कल्लू रामकिशोर ना.बा. पालक पिता शंकर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	348	1.2	0.88	
122	प्रकाश कौशल्या प्रियंका सभूपिता हरीराम कमलरानी बेबा हरीराम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	349	1.2	0.85	
123	बाबूलाल पिता दुरजन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	350	1.21	0.97	
124	पंचे पिता भुजवल पता सा.देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	235	1.21	0.1	
125	घसीटे अरजन पता सा.देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	237	1.21	0.16	
126	उत्तम पिता पूरन पता सा.देह	भूमि स्वामी	85/2	0.15	0.15	
127	कुंजी पिता कुदऊ	भूमि स्वामी	88	1.06	1.06	
128	गंगाराम पिता गनेश पता सा. ढावारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	304	1.16	1.16	
128	गंगाराम पिता गनेश	भूमि स्वामी	112	1.14	1.14	
	पता सा. ढावारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114	0.07	0.07	
129	प्रभू पिता मोतीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96	0.3	0.3	
130	रल्ली पिता धोकल पता स. ढावारी	भूमि स्वामी	99	0.12	0.12	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	258	0.8	0.8	
		भूमि स्वामी	260	0.33	0.33	
131	प्रमोद कुमार विनोद कुमार मुलायम नेमीचंद रिषव कुमार रज्जू कुमार शीलाबाई कमलाबाई वियाबाई पिता सुन्दरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	322	1.25	1.25	
132	दीना पिता पल्लू पता सा.देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	81	0.86	0.86	
		भूमि स्वामी	310	0.4	0.4	
133	दीनदयाल पिता प्यारेलाल पता सा.असौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	1.27	1.27	
134	राहुल आरती भारती सध्या सभौ ना0बा0 पिता गरिवर ऊषाबाई बेबा गिरवर सीग	भूमि स्वामी	47	0.57	0.57	
135	नथू पिता चेतु देवाई बेबा चेतू सतनाम सीताराम तेजसीग लाखन आजाद गनेश पिता आनंदी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	247	1.3	0.26	
136	हलकाई छोटेलाल पिसा.सुखलाल रवेरावारी बेबा	भूमि स्वामी	93	0.99	0.99	
137	मानसीग मोतीलाल पिता चूरापप्पू पिता रामसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172	1.31	0.38	
138	चौदा पिता मुक्का पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	325	1.32	1.32	
139	गुलाब वीरन शिवल नन्नीबाईमुलाबाई सहोद्राबाई सन्तोषबाई	भूमि स्वामी	49	0.46	0.46	
140	हरीदास पिता पन्नालाल पता सा. ढावारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	154	1.38	0.94	
141	राजकुमार पिता छोटेलाल	भूमि स्वामी	360	0.61	0.33	
142	मुन्ना रतीराम पिता हल्काई हल्लीबाई पि0हल्काई	भूमि स्वामी	105	0.34	0.34	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	148	0.2	0.2	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	0.85	0.85	
142	मुल्लू पिता मानसीग गनेशप्रेमबाई पिता मानसीग	भूमि स्वामी	241	0.81	0.81	
143	ग्याप्रसाद पिता रघुनाथ पता सा-देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249	1.45	0.96	
144	सीताराम पिता पंचम	भूमि स्वामी	132/5	1.05	0.1	
145	सुनील अनिल लखन पिता जाहर सा0ढावरी	भूमि स्वामी	132/6	1.08	0.1	
146	पप्पू पिता आनंदी	भूमि स्वामी	73	0.8	0.8	
	जाति कुशवाहा	भूमि स्वामी	317	0.71	0.71	
147	गोदनसीग पिता गजराजसीग	भूमि स्वामी	331/2	0.40	0.36	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	334/1	0.40	0.40	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	336	0.74	0.74	
148	लछमन रामसखी मुन्नीबाई सभी पिता चेतु देवबाई बेबा चेतु	भूमि स्वामी	276	0.47	0.47	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277	1.08	1.08	
149	रतन पिता परसादी	भूमि स्वामी	83	0.48	0.48	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	275	0.58	0.58	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	301	0.52	0.52	
150	फूलचंद पिता गंगाराम पता सा. ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	142	1.60	1.60	
151	हरदास पि भैयालाल	भूमि स्वामी	41	1.05	1.05	
152	देवीसिग पिता चुन्जे पता सा.देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	107	0.39	0.39	
153	अमोल शेरसीग पिता धनसिग रामा पुत्री गनेशपरसादी बेबा धनसीग पता सा.ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/1	1.60	1.60	
154	रमेश पिता मोतीलाल	भूमि स्वामी	46/1	1.20	1.20	
	पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95	0.35	0.35	
155	दुरजन पिता हल्के	भूमि स्वामी	263	1.02	1.02	
	पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298	0.61	0.61	
156	जसरथ पिता तुलई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	300	1.64	1.64	
157	रामदास पप्पू बल्लू कमलाबाई सियाबाई वा हल्के भाई	भूमि स्वामी	321	1.57	1.57	
158	अरजन पिता वंशी	भूमि स्वामी	240	1.01	1.01	
	पता साकिन देह	भूमि स्वामी	250/2	0.66	0.56	
159	नारायण देवी अशोक सभी पिता कडौरी तुलसा बेबा कडौरी चरन राजाराम पिता गुलाब	भूमि स्वामी	52	0.87	0.87	
160	भैरोप्रसाद बाबूलाल सीताराम पिता भैयालाल सुहाग-	भूमि स्वामी	70	0.98	0.98	
	रानी बेबा भैयालाल पता सा.देह	भूमि स्वामी	318	0.67	0.67	
		भूमि स्वामी	319/2	0.08	0.08	
161	सियाबाई गंगाबाई पिता खूबा सुमित्राबाई बेबा खूबा धरमेन्द्र राहुल मनोहर पिता किसना कविता पुत्री किसना गीताबाई बेबा किसना	भूमि स्वामी	75/1	1.09	1.09	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	312	0.21	0.21	
		भूमि स्वामी	124	0.4	0.4	
162	मुरलीधर पिताकुट्टी	भूमि स्वामी	108/1	1.2	1.2	
	पता सा. ढावरी	भूमि स्वामी	131/2	0.43	0.43	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/2	0.14	0.14	
163	शिवलाल पिता पुनू सीताराम पिता हल्काई	भूमि स्वामी	48	0.6	0.6	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.04	0.04	
164	पंचे पिता टुन्डे	भूमि स्वामी	51	1.21	1.21	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	345	0.46	0.32	
165	राजबहादुर विजयबहादुर पितालाखनसीग	भूमि स्वामी	292	1.21	1.21	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	297	0.61	0.61	
166	कुन्दन पिता लच्छू	भूमि स्वामी	97	0.34	0.34	
	पता सा. ढावरी	भूमि स्वामी	100	1.58	1.58	
167	सुक्के पिता अजुट्टी	भूमि स्वामी	65	1.29	1.29	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	66	0.23	0.23	
168	भूरा कुन्दन कोमलपिता भूरा वसदेवा पता सा.ढावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	163/1	0.33	0.33	
169	चौदा आशा रम्भू पिस.सुक्के बडी बहू बेवा हल्के पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	296	2.00	2.00	
170	डगई पिता सुकलाल	भूमि स्वामी	115	0.80	0.80	
171	मुन्ना जयराम सभी पिता रतन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248	2.01	1.82	
172	कडोरी पिता मनु	भूमि स्वामी	299	1.84	1.84	
173	सतनाम सीताराम तेजसीग गनेश लखन आजाद पिता आनंदी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	278	0.80	0.80	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	324	1.22	1.22	
174	नाथूराम पिता नारायण सिग	भूमि स्वामी	158/2	0.25	0.25	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	302	1.28	1.28	
	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	305	0.35	0.35	
		भूमि स्वामी	313	0.14	0.14	
175	विक्रमपिता घूमन	भूमि स्वामी	79	0.58	0.58	
176	दीपक पिता बखते	भूमि स्वामी	130	1.21	0.90	
177	कडोरी पन्चोबाई मलतीबाईवा0फित्ताबाई चिन्ना गोटी ना0वा0 पिता बलू पा0व खुद माँ गोरीबाई वेवा बलू पता सा.देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	327	2.05	2.05	
178	दुरजन पिता दमरू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	326	2.12	2.12	
179	सोनाबाई पति श्याम	भूमि स्वामी	244	0.88	0.75	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	286	0.94	0.94	
180	मोहन पिता रामधरन	भूमि स्वामी	122	0.4	0.4	
	पता सा. ढावरी	भूमि स्वामी	129	1.76	1.76	
181	हल्लू पिता मोहनलाल राजू अमित अनीता अगूरी सभी ना0बा0 जमुनाबाई बेबा हरीराम	भूमि स्वामी	57	1.62	0.51	
182	हरीराम पिता प्यारेलाल	भूमि स्वामी	89	0.82	0.82	

सक्र. नं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
183	मूलचंद पिता भगवानदास सा0ढावरी	भूमि स्वामी	147/1	0.62	0.62	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	164	1.7	1.7	
184	गोवर्धन पिता भैयालाल सा देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	31	2.33	1.78	
185	राजू पिता गोकल	भूमि स्वामी	32	2.35	2.35	
186	गुलामचंद पिता सुन्दरलाल	भूमि स्वामी	71	0.88	0.88	
187	प्रभु पिता रल्ली	भूमि स्वामी	78/2	1.00	1.00	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86/1	0.8	0.8	
		भूमि स्वामी	86/2	0.2	0.2	
		भूमि स्वामी	87	0.88	0.88	
188	लटोरी गोवर्धन पिता हीरालालसुमत्राबाई बेवा हीरालाल	भूमि स्वामी	72/2	1.46	1.46	
189	रामबती बाई पति नॉनित राम	भूमि स्वामी	72/1	1.00	1.00	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	342/2	2.02	0.52	
190	गुलाब सन्तोष सुखलाल घसीटी सरस्वती गौरा सभी पिता भगोले चिरोजा बाई बेबा भगौनी	भूमि स्वामी	58	2.02	1.18	
191	पिता दरऊ भागबाई वेवादरऊ	भूमि स्वामी	283	1.52	1.52	
192	लछमन पिता रल्ली	भूमि स्वामी	36	0.4	0.4	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	38	0.22	0.22	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78/1	2.71	2.71	
193	गजराज सिंग पिता फुन्दीलाल	भूमि स्वामी	64/1	0.65	0.65	
194	रामशरण पिता रल्ली	भूमि स्वामी	332	0.47	0.47	
195	नाथूराम गुलाब बाई पिता परम हलकई पिस. धनसे	भूमि स्वामी	144	0.16	0.16	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	146	0.46	0.46	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	251	1.78	1.35	
		भूमि स्वामी	255	1.29	1.29	
196	माखनसीग पिता बाबूलाल	भूमि स्वामी	108/2	1.20	1.20	
	पता सा0ढावरी	भूमि स्वामी	109/2	0.30	0.30	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173/3	0.60	0.02	
	माखन लाल पिता बाबूलाल	भूमि स्वामी	175/1	0.13	0.07	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	175/2	0.14	0.07	
		भूमि स्वामी	175/3	0.13	0.07	
197	घसीटा पिता बंशी	भूमि स्वामी	243	1.22	1.13	
	पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	250/1	0.66	0.56	
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	253	1.02	1.02	
		भूमि स्वामी	254	0.6	0.6	
		भूमि स्वामी	281	0.4	0.4	
198	यशपाल पप्पू पिता बसंतसीगसुमत्राबाई बेवा बसंतसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	356	4.14	3.48	
199	रामकली बेवा अच्छेलालरामसेन रामनाथ	भूमि स्वामी	125	1.02	1.02	
	रामनाथ पिस. अच्छेलाल	भूमि स्वामी	143	2.42	2.42	
	पता सा. ढावरी	भूमि स्वामी	170	0.77	0.77	
200	चतुर्भुज/कुट्टी पता सा. ढावरी	भूमि स्वामी	128	0.12	0.12	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	131/1	0.43	0.43	
		भूमि स्वामी	132/1	3.68	3.68	
201	महेन्द्र कुमार पितासुकलाल	भूमि स्वामी	28	3.58	1.58	
	पता सा.देह	भूमि स्वामी	121	0.4	0.4	
		भूमि स्वामी	314	0.8	0.8	
202	मेहगू पिता सुखदीन	भूमि स्वामी	42	2.16	1.1	
	पता सा.देह.	भूमि स्वामी	344	0.91	0.74	
203	मुन्नी पिता कुदऊ	भूमि स्वामी	338/3	1.14	1.14	
204	जगन पिता हल्काई पता सा0देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	56/2	0.60	0.60	
205	गनेश पिता कुदऊ	भूमि स्वामी	338/1	0.57	0.57	
206	लटोरी व फूलाबाई ना.बा.पिता गम्पे पा. खुर्द मां सिन्नीबाई बेवा गम्पे पता सा.देह भूमि स्वामी पता सा.देह	भूमि स्वामी	341	2.37	0.63	
207	रतनसिंह पि.रामगुलाम पता निवासी ढाबरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.8	0.04	
208	सीताराम पिता रामचरन पता सा. ढावारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	2.02	0.07	
209	चतुर्भुज पिता कुही	भूमि स्वामी	18	0.61	0.32	
210	उदले पिता रन्जीत पता सा.देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	24	1.21	0.43	
211	बहादुर सिंह धनीराम,पिता हिम्मत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/2	1.64	0.24	
	हेमचंद पिता नंदराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39	1.47	1.47	
212	मंगल लीलाधर पि हल्काई	भूमि स्वामी	44	1.21	0.1	
213	मंगल लीलाधर पि हल्काई	भूमि स्वामी	45	0.81	0.03	
214	प्रभू पिता मोतीलाल	भूमि स्वामी	46/2	0.93	0.93	
215	मुलाबाई छोटीबाई पिता काशीराम सा देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	340	1.78	0.02	
216	महेन्द्र कुमार पितासुकलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126	0.40	0.40	
217	वेनीबाई पति छोटेला	भूमि स्वामी	138/1	0.22	0.03	
218	आशाबाई वे मिहीलाल जाति यादव पता निवासी धोरट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	138/2	0.59	0.10	
219	हरीराम पिता प्यारेलाल	भूमि स्वामी	234	1.10	0.01	
220	ममताबाई पति महेन्द्र कुमार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/1	0.42	0.42	
221	जमना पिता कुदऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	338/2	0.57	0.57	
222	रतनाम सिंह पिता रगवीर सिंह जाती दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	160	0.37	0.1	
223	तरवर पिता मोहनलाल पता शा पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	211/7	0.5	0.1	
224	पचोबाई शकुनबाई पुत्री रामदयाल नंदराम गंगाबाई पिता दमरू भागबाई बेवा दरऊ देवी	भूमि स्वामी	239	0.98	0.15	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	पिता अजुदी दशोदा देवका फूला पुत्री अजुदी भूमि स्वामी					
225	धीरे पिता नत्थू सबरानी बेवा नत्थू सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1	1.52	1.52	
226	कमल पिता धीरे भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/2	0.2	0.2	
227	धीर पिता नत्थू भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59	0.61	0.61	
228	धीर पिता नत्थू भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60	0.45	0.45	
229	भगवतशरण पिता पूरन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61	0.7	0.7	
230	करन पिता मुलु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	355/1	1.03	0.07	
231	करन पिता मुलु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	355/2	0.20	0.03	
232	गन्दु मुन्ना कुसुमबाई ना.वा. व पालक परोक्षित पता सा. मगरा शासकीय पट्टेदार लगान	भूमि स्वामी	359	2.00	0.1	
233	अमितेश पिता महेन्द्र सा. देह	भूमि स्वामी	329	0.82	0.82	
				228.33	194.03	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-73 अ-82-17-18-3493

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम चौकाखुर्द, मगरा, ललोई, बंगेला एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : चौकाखुर्द
 4. पट. ह.नं. : 36
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.42 हे.

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	भागीरथ प्यारेलाल पिता रगवर सा. बंगेला लोकपालसींग प्यारेलाल मोहनसींग पिस. गुलाब सा. मगरा	भूमि स्वामी	108	0.85	0.02	
2	हल्की विन्नी पिता गोरेलाल कुसुम निम्मी पता सा. मगरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107/1	0.06	0.02	
3	जगभानसिंग पिता गुलाबसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105	0.74	0.18	
4	लोकपाल सींग जोधनसींग मोहन सींग पिता गुलाब पता सा. मगरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104	2.57	0.13	
5	रामाधार ना.वा. वल्द बली बलीराम पिता जुझारसींग पता सा. मगरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/3	0.20	0.02	
6	राधेश्याम पिता सूरजसींग पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	0.98	0.01	
7	सीताराम पिता गुलाबसींग पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59	0.83	0.02	
8	रंधीरसींग पिता पूरनसींग पता सा. बंगेला भूमि	भूमि स्वामी	80/2	0.64	0.05	
9	सीताराम पिता गुलाबसींग पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/1	0.54	0.05	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
	2	3	4	5	6	7
10	रामकृपाल अंगद संजय रामरतन पिस नन्हा यादव पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79/2	0.64	0.07	
11	वीरसींग पिता गोरेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79/1	0.13	0.01	
12	वीरसींग पिता गोरेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78/1	0.27	0.08	
13	प्रकाश पिता मुशीलाल पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/3	1.71	0.13	
14	हम्मीरा भगुन्ता लाड़बाई पिता कड़ोरा कलाबाई बेवा कड़ोरा पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	1.21	0.12	
15	बल्दवान प्रान पिस. फूलसिंह यादव पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	0.89	0.10	
		भूमि स्वामी	6/1	0.70	0.04	
		भूमि स्वामी	5/1	0.66	0.05	
16	रामरतन पिता नन्हेलाल सा. बंगेला	भूमि स्वामी	78/2	0.24	0.02	
17	रामकिशोर पिता मुशीलाल सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79/4	1.72	0.02	
		भूमि स्वामी	56	1.21	0.01	
18	प्रभानसींग सुल्तानसींग पिता वल्दवान सींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.69	0.02	
		भूमि स्वामी	5/2	0.67	0.02	
19	चंद्रप्रकाश पिता ठाकुरदास पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60/1	1.30	0.07	
20	राजेश पिता साहबसींग	भूमि स्वामी	64/2	0.77	0.16	
			Total	18.15	1.42	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (षाठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-74 अ-82-17-18-3494

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम बंगेला, मगरा, ललोई, चौकाखुर्द एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : बंगेला
 4. पट. ह.नं. : 39
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.38 हे.

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरेश पिता भोले पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	651/3	0.38	0.07	
2	पहलवान सींग पिता भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	647	0.35	0.01	
3	भूपेन्द्र ना.बा. पिता व पा. उदयसिंह पिता डालसिंह जितेन्द्र पिता पंचमसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	630	1.50	0.19	
4	मंदिर श्री हनुमान जी स्वामी	भूमि स्वामी	615	2.44	0.19	
5	चन्द्रभानसींग पिता लखनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	610	0.96	0.04	
6	जालम हल्काई मनु पिता हिरऊ पता सा. तिगरा खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	611/1	0.14	0.04	
7	जनकाबाई पिता लाखनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	607/2	0.1	0.06	
8	संतोषकुमार बिहारीलाल नंदकिशोर देवन्ती मुनिया अर्चना पिता बंदूराम जुगनूबाई बेवा	भूमि स्वामी	603	1.27	0.01	

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
	2	3	4	5	6	7
	बंदूराम गोकल मूलचंद पिता हल्का बारी बहू बे. हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी					
9	बहादुर पिता चंदनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	604	1.15	0.16	
10	शिवानी पति खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	568	2.16	0.08	
11	सत्यनारायन पिता रतीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	552	0.59	0.06	
12	रतन पिता मानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	553	0.81	0.08	
13	शिवलाल पिता पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	547	0.81	0.08	
14	उदयसींग पिता डालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	546/1	0.48	0.16	
15	पंचमसींग पिता डालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	555	0.17	0.01	
16	रामवती पत्नी मुल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	545	0.72	0.12	
17	रविन्द कुमार पिता भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	558/2	1.23	0.19	
18	पहलवान पिता श्यामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	470/1	0.49	0.09	
19	परमलाल रामचरन छोटे लाल पिता कालूराम पता सा. ललोई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	559	0.66	0.09	
20	संतोषरानी पति तुलाराम पता सा. ललोई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	462/4	0.4	0.40	
21	गंगाराम पिता तखतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	322	1.57	0.13	
22	रामा ना. वा. पिता व पालक मूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	321/2	0.2	0.08	
23	राजभाई पिता मोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320	0.55	0.12	
24	वीरसींग पिता लछमनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	1.1	0.09	
25	आनंद कुमार पि. तुलसीराम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48/1	0.24	0.14	
26	बाबूलाल पिता रामदयाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी भूमि स्वामी भूमि स्वामी	47/1 46/1 45/1	0.41 0.11 0.42	0.02 0.03 0.01	
27	तुलसीराम रामसेवक पिता सूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52/2	0.2	0.04	
28	रघीरसींग पिता पूरन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55	0.49	0.04	
29	प्रेमरानी पति बालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56	0.25	0.01	
30	प्रीतमसींग लल्लू पिता रतीराम गुलाबरानी बेवा रतीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74/1	1.12	0.04	
31	हम्मीरसींग गुलाबसींग पिता कुन्दनलाल प्रेमबाई बेवा कुन्दनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	1.67	0.12	
32	सीताराम पिता गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59	0.94	0.07	
33	राधे पिता सूरज पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/2	1.26	0.14	
34	केदारसिंह अरविन्द पि. राधेश्याम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68/1	0.85	0.12	
35	अच्छे भाई पिता तुलसीराम रामजी ना.बा. पिता रामसेवक पालक तुलसीराम	भूमि स्वामी	46/2	0.12	0.02	
36	सुखलाल झगडू क्रान्तिबाई पिता पुनुवा सहोद्राबाई बेवा पुनुवा मल्ला पिता गुबन्दी गोल्ली बारी बेवा गुबन्दी बतीबाई मल्लीबाई पुत्री गुबन्दी मजलीबहू बे. मुन्ना पता सात्र देह भूमि	भूमि स्वामी	469	0.37	0.02	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
	2	3	4	5	6	7
	स्वामी सुशीला ज्योति ना.वा. पुत्री मुन्ना पालक गौं मजलीबहू पता सा. देह भूमि स्वामी					
37	राजेश पिता साहबसींग अरविन्द धर्मस अमित पिता कुवरसींग रानी पुत्री कुवरसींग गजराजबाई बेवा कुवरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	319	0.74	0.01	
				29.42	3.38	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-75 अ-82-17-18-3492

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम मगरा, बंगेला, ललोई, चौकाखुर्द एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : मगरा
 4. पट. ह.नं. : 39
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.40 हे.

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रगवीर पिता छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	0.61	0.07	
		भूमि स्वामी	30	0.86	0.10	
2	सावित्रीबाई पुत्री नाथूराम जनकरानी बेवा नाथूराम राधेश्याम पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	1.75	0.26	
3	फूलसींग पिता मोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29	1.15	0.02	
4	जगभानसींग पिता मुल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	0.80	0.06	
5	पार्वतीबाई पति रघुराज सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/1	0.39	0.25	
6	अमरसींग पिता भैयालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	0.48	0.09	
7	लोकपाल सींग जोधनसींग मोहनसींग पिस गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	1.48	0.06	
8	मोहनसींग पिता गुलाब सींग केहरसींग ना.वा. पि. जोधन सींग बली मोहन सींग जनकरानी पत्नि लोकपालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.63	0.13	

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
9	गहादेव पिता लाखन सींग हरीबाबू पिता प्रकाशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	1.86	0.11	
10	फूलसींग पिता मोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.33	0.02	
		भूमि स्वामी	62/1	1.63	0.24	
11	सूरतसींग पिता भारत सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/1	0.49	0.13	
12	लाडले पिता जगन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/1	0.58	0.15	
13	श्यामलाल पिता हरचंदी पता सा. बंगेला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65/1	1.42	0.10	
14	शिषपाल सिंह बल्द भगवान सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1	0.30	0.11	
15	शेरसींग / जालम सा. देह	भूमि स्वामी	195/1	0.12	0.02	
16	उर्मिला पति भगवान सींग सा. देह	भूमि स्वामी	195/2	0.42	0.02	
17	अरवे सिंह पिता जुझारसिंह सिरदार बहू बेवा बेवा जुझारसिंह लक्ष्मीनारायण, रामकुमार पिता मलखान बेवा जुझारसिंह	भूमि स्वामी	206	0.39	0.02	
18	बलराम पिता लक्ष्मनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62/2	0.40	0.06	
19	कृष्णकांत तिलक सींग तखतसींग ना.वा. पिता व पालक पिता अनंतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63/1	0.79	0.22	
20	देव शंकरजी बाके ग्राम मगरा मुह गजराजसींग अनंतसिंह पुत्रगण बालकिशन भगवानसिंह पिता रंधीरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79/2	0.04	0.04	
21	रघुराज सींग पिता बालकिशन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/3	0.16	0.02	
22	बखतसींग पिता बालकिशन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	1.13	0.07	
23	अखेसींग बलीराम पिस. जुझारसींग सिरदार बहू बेवा जुझारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण, रामकुमार पिता मलखान बेवा जुझारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75	1.59	0.13	
24	लोकपाल पिता गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191	1.35	0.15	
25	प्रेमसींग पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192/1	1.35	0.04	
26	जाहर पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	196/2	1.33	0.19	
27	कन्हैयालाल भगवानसींग पिता रन्धीरसींग पानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204	2.20	0.04	
28	बलीराम पिता जुझारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202	2.05	0.15	
29	शिवराज सींग पिता व पा. अखेसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	205	0.40	0.05	
30	वीरसींग पिता खिलानसींग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार लगान	भूमि स्वामी	201	1.01	0.02	
31	जानकी बाई पिता सूरतसींग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार लगान	भूमि स्वामी	210	0.80	0.11	
32	जागदीश रामजी पिता इमरत शब्बोबाई. विमला बाई पुत्री इमरत	भूमि स्वामी	213	0.60	0.01	
33	पंचम सींग पिता राजाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212	1.16	0.02	
34	बबू पिता हल्कू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	222/1	0.66	0.10	

क्र.सं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
35	मालतीबाई बेवा पूरन रामगोपाल सुनील दीपक पिता पूरन सुमन ना.बा. पुत्री पूरन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	223	0.60	0.04	
			Total	34.31	3.40	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-76 अ-82-17-18-3488

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की लच्छासर जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम खटौरा, लच्छासर, समसपुर एवं दरी की लगभग 355 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : लच्छासर जलाशय योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : खटौरा
 4. पट. ह.नं. : 30
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 39.86 हे.

::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	दिविया पिता लटकन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	290/1	0.760	0.760	
2	औंकारसिंह पिता पंचमसींग रोशनसींग ना.वा. पा. पिता अजमेरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	290/2	0.810	0.810	
3	मुलाम पिता दमरू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293	1.200	0.010	
4	अजमेरसिंह पिता पचम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	294/1	0.700	0.650	
5	औंकार सिंह पिता पचम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	294/2	0.700	0.210	
6	गोंदरानी पति अजमेर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	295/2	0.800	0.610	
7	खिलान पिता भोले सौर कमलरानी पति खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	296/7	1.000	0.230	
8	मगरावारी देवा हल्का देवसींग रामकली हल्का पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	296/8	0.600	0.420	
9	कमलसींग माता लक्ष्मीबाई बेडिया पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	296/9	1.000	0.490	

क्र.सं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
10	पुनू पिता दरऊ पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	296/10	1.000	0.480	
11	कल्यान पिता गनेश पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	296/11	1.000	0.520	
12	बल्ही पिता दल्ये पता सा-दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	296/12	1.000	1.000	
13	रामसींग पिता पन्चम पता सा० दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	296/13	1.000	1.000	
14	कल्यान पिता रमले पता सा० दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	296/14	1.000	0.800	
15	जमना घनश्याम देवकी पिस. खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	297	0.020	0.020	
16	अरजन हिम्मत सरजूसींग पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298	1.320	0.250	
17	अरजन लटकन सरजू पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	299	1.480	0.420	
18	सगुनसींग पिता रन्धीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	300	1.360	0.040	
19	संजू पिता जमना प्रसाद मोरपाल पिता घनश्याम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	301	1.570	1.570	
20	प्रीतम हिम्मत शेरसींग जयराम प्रभात पिस. भन्ते पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302	1.440	1.440	
21	वीरन अली कल्ल पार्वती बाई रति बाई ममताबाई पित बल्दू लाडली बाई पिता बल्दू तिलक जिग्गू विमल नाबा सरस्वती चदा पिता बैजनाथ पता सा. मडावन मार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	303/1	1.240	1.240	
22	भरतसिंह पिता नथू यादव पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	303/2	0.370	0.370	
23	जमना पिता खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	305	1.140	0.610	
24	जमना घनश्याम देवकी पिस. खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	306	0.170	0.170	
25	वीरन अली कल्ल पार्वती बाई रति बाई ममताबाई पित बल्दू लाडली बाई पिता बल्दू तिलक जिग्गू विमल नाबा सरस्वती चदा पिता बैजनाथ पता सा. मडावन माट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	307	1.140	1.140	
26	नथू पिता दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	308/1	2.170	2.170	
27	रामगोपाल पिता जमना मोरपाल पिता घनश्याम सतपाल पिता वीरन हरपाल पिता अमोल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	308/2	0.920	0.920	
28	रविन्द्र ना० बा० हेमन्त ना० बा० भारती ना० बा० आरती ना० बा० स्वाती ना० बा० पा० व खुद माँ मोनबाई बेबा बाबू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	308/3	1.200	1.200	
29	दंगल पिता दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	308/4	0.450	0.450	
30	बैजनाथ. प्रसाद पिता हरिनारायण पता सा. बरौदियाकलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	308/5	0.920	0.450	
31	करनसींग पिता रजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	309	0.210	0.160	
32	फेरन पिता भगोने पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	310	0.840	0.840	
33	जमना पिता खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	312	0.050	0.050	
34	वीरन अली कल्ल पार्वती बाई रति बाई ममताबाई पित बल्दू लाडली बाई पिता बल्दू तिलक जिग्गू विमल नाबा सरस्वती चदा पिता बैजनाथ पता सा.	भूमि स्वामी	313	0.250	0.250	

क्र.सं.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	मडावन माट भूमि स्वामी					
35	नथू पिता दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	314	0.080	0.080	
36	कुसमबाई पिता कुंदऊ बल्ले पिता कुंदऊ मिहीलाल फूलसीग पिस. बालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	315	0.050	0.050	
37	अमोलसीग अच्छेलाल प्रभु विश्राम अनंतसीग पिता करन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	316	0.200	0.200	
38	थानसीग पिता मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/1	0.330	0.330	
39	हाकम सीग पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/2	0.310	0.310	
40	सुम्मेर पिता फूलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/3	0.320	0.320	
41	गोपाल पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/4	0.710	0.670	
42	कुसमबाई पिता कुंदऊ बल्ले पिता कुंदऊ मिहीलाल फूलसीग पिस. बालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317/5	0.840	0.840	
43	तेजसीग पिता मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	318	0.400	0.400	
44	भगोना पिता गनेश, तेजसीग ना.बा. पा. पिता भूमि स्वामी अनंदी राजेन्द्र सविता रामप्यारी पिस. नथुवा, गुडडीबाई बेवा नथुवा, तेजसीग ना.बा. पा. पिता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मिहीलाल सा. देह हरदास ना.बा.पा. पिता तन्सू सा. पता मडखेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	319/1	0.990	0.840	
45	बालकिशन पिता गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	319/2	0.620	0.620	
46	अनंदी बल्द नथू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	319/3	0.110	0.110	
47	रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	319/4	0.200	0.200	
48	रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	319/5	0.130	0.130	
49	रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	319/6	0.320	0.320	
50	रामपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320/1	0.710	0.710	
51	घनश्याम देवकी पिता खिलानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320/2	0.800	0.800	
52	वीरन अमोल सीग कल्यानसीग पिस. वल्दू आशाराम ना.बा. पिता हल्के बली आजा बल्दू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	321	1.510	1.510	
53	कल्यान पिता बल्दू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	323/1	0.870	0.870	
54	रामगोपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	323/2	0.850	0.630	
55	बारेलाल पिता चौदे पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	324/2	1.000	1.000	
56	चौदे पिता दरऊ पता सा0 देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	324/3	0.960	0.480	
57	किशोरसीग पिता कम्मोदसीग पता सा. मडखेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	325	0.680	0.030	
58	रूपसिंह सुखसिंह नर्मदाबाई सुखवती पिता करनसिंह पानबाई बेवा करनसिंह पता सा. मडखेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	326	0.680	0.070	
59	भगोना पिता गनेश, तेजसीग ना.बा. पा. पिता भूमि स्वामी अनंदी राजेन्द्र सविता रामप्यारी पिस. नथुवा, गुडडीबाई बेवा नथुवा, तेजसीग ना.बा. पा. पिता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मिहीलाल सा. देह हरदास ना.बा.पा. पिता तन्सू सा. पता मडखेरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	328/1	1.120	0.570	
60	रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	328/2	0.190	0.190	
61	सुम्मेर पिता फूलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	329/1	0.150	0.080	
62	गोपाल पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	329/2	0.160	0.100	
63	रामकिशोर ना0बा0 पालक व पिता बल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	330/2	0.180	0.010	
64	अमोलसीग अच्छेलाल प्रभु विश्राम अनंतसीग पिता करन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	360	1.930	0.170	
65	गुडडीबाई पति अच्छेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	372	0.740	0.220	
66	घूमन पिता अमर सीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	373/1	0.100	0.050	
67	विशाल पिता अमरसीग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	373/2	0.100	0.050	
68	सेवा पिता गनेशजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	373/3	0.100	0.030	
69	बुदेल सिंह पिता घूमनसिंह जाति घोषी पता सा. खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	373/4	0.100	0.040	
70	घूमन पिता अमर सीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374/1	0.060	0.020	
71	विशाल पिता अमरसीग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374/2	0.070	0.010	

72	हरीसींग पिता अमर सींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374/3	0.160	0.030
73	सेवा पिता गनेशजु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374/4	0.220	0.010
74	बुदेल सिंह पिता घूमनसिंह जाति घोषी पता सा. खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374/5	0.220	0.050
75	तुलाराम पिता सेवाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374/6	0.160	0.030
76	नथू पिता दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	377	0.630	0.490
77	राजपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	378	0.940	0.570
78	कल्लू सुखराम राकेश शिवराज पिता भग्नी कमलरानी बेबा भग्नी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	379/2	1.200	1.140
79	रामकुँवर पति सुखराम पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	380	0.690	0.690
80	शारदाबाई रेखाबाई पुत्री रूपसींग शीलरानी बेबा रूपसींग राकेश शिवराज ना.वा. पिता भागीरथ भूमि स्वामी पा. मां कमलरानी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	381/1	0.310	0.310
81	रामपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	381/2	0.980	0.500
82	देवी पिता लटकन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	382	0.700	0.700
83	शारदाबाई रेखाबाई पुत्री रूपसींग शीलरानी बेबा रूपसींग कल्लू सुखराम राकेश शिवराज पिता भग्नी गुलाबबाई पुत्री रजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	383	0.780	0.400
84	करनसींग प्रानसींग पिस. तुलसी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	386	2.750	0.130
	योग		84	59.240	39.860

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 3 मार्च 2017

क्रमांक 1902-भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक...../अ-82/2017-2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम परसुलिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची(1):—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:— ग्राम परसुलिया

स.क्र.	विवरण	अर्जित रकबा हे.में.	प्रयोजन
1	2	3	4
1	परसुलिया	30.477	मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में शेष प्रभावित भूमि
कुलयोग :-		30.477	

—: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:— ग्राम परसुलिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	रोड़िया पिता धूल्या, बंशी पिता गोप्या कैशीबाई बेवा नरवदिया जाति धोबी नि.ग्राम भू-स्वामी	329	0.190	0.065
योग		1	0.190	0.065
2	प्रेमसिंह, नारायणसिंह, निहालसिंह पिता रामनाथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता पदमसिंह हि.66 पैसे, भंवरसिंह, कृष्णपालसिंह, गणपतसिंह, बनेसिंह पिता मोकमसिंह, मु. गेन्दकुंवर बेवा मोकमसिंह, रघुवीरसिंह, जसरथसिंह, दयालकुंवरबाई, भंवरकुंवरबाई पिता अर्जुनसिंह, पूजाबाई, कविताबाई, सोहनसिंह पिता प्रभूनाथसिंह, मनुबाई बेवा प्रभूनाथसिंह, प्रेमकुंवरबाई पिता भीमसिंह हि.34 पैसे जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	361 ✓ 364 ✓	0.278 ✓ 4.148 ✓	0.038 0.748
योग		2	4.426	0.786
3	मोजीलाल पिता रतिराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	405 ✓	0.240 ✓	0.052
योग		1	0.240	0.052

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
4	रामनारायण पिता रतिराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	369/1 ✓	0.546 ✓	0.386
		369/2 ✓	0.545 ✓	0.290
		369/3 ✓	0.546 ✓	0.346
	योग	3	1.637	1.022
5	चुन्नीलाल पिता रतिराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	369/4 ✓	0.537 ✓	0.537
	योग	1	0.537	0.537
6	जगदीश, रामचन्द्र, अयोध्याबाई, रामकलाबाई पिता गंगाराम, भंवरीबाई बेवा गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	371 ✓	1.379 ✓	1.379
	योग	1	1.379	1.379
7	लक्ष्मीनारायण, जवाहरलाल पिता उम्मेदराम, भूलीबाई, धापूबाई, कमलाबाई, रतनबाई, भंवरीबाई पिता उम्मेदराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	372 ✓	1.291 ✓	1.291
		373 ✓	0.202 ✓	0.202
		374 ✓	0.670 ✓	0.670
	योग	3	2.163	2.163
8	केसरसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	375 ✓	0.696 ✓	0.556
		378 ✓	1.113 ✓	0.152
	योग	3	1.809	0.708
9	रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	864/535 ✓	0.885 ✓	0.885
	योग	1	0.885	0.885
10	सूरजसिंह, कमलसिंह, गजराजसिंह पिता शेरसिंह मु.उमरावबाई बेवा शेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	630 ✓	0.151 ✓	0.151
		749/2 ✓	0.190 ✓	0.190
	योग	2	0.341	0.341
11	बदरुद्दीन पिता जुम्माखां जाति मुसलमान नि.ग्राम भू-स्वामी	631 ✓	0.240 ✓	0.240
	योग	1	0.240	0.240
12	नारायणसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	632 ✓	0.013	0.013
		633/1 ✓	0.177 ✓	0.177
		637/1 ✓	0.169 ✓	0.106
		638 ✓	0.240 ✓	0.240
	योग	4	0.599	0.536
13	श्रीमति शान्ति शाक्यवार पति डालचन्द जाति कोली पता निवासी राजगढ़ रोड, कोली मोहल्ला, ब्यावरा भू-स्वामी	624/1/1/2 ✓	0.506 ✓	0.506
		624/1/1/4/1 ✓	0.037 ✓	0.037
	योग	2	0.543	0.543
14	अमृतलाल पिता चम्पालाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	624/2/1/1 ✓	0.161 ✓	0.161
	योग	1	0.161	0.161

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
15	दोलतराम पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	624/2/2 ✓	0.126 ✓	0.126
		626/2/1 ✓	0.054 ✓	0.054
		627/2 ✓	0.506 ✓	0.506
		552/4 ✓	1.279 ✓	0.800
	योग	4	1.965	1.486
16	शफीक खाँ पिता नत्थेशाह, असगर पिता जहाँगीर खाँ मु. जुम्माबाई बेवा नत्थेशाह जाति मुसलमान नि. ग्राम भू-स्वामी	626/1/1, ✓ 628/1/1 ✓	0.068 ✓	0.068
	योग	1	0.068	0.068
17	रमजानी पिता अर्जुनशाह मु. शकीलाबाई बेवा अर्जुनशाह जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया	627/1 ✓	0.506 ✓	0.506
	योग	1	0.506	0.506
18	भंवरसिंह पिता मोकमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया	629/1/1 ✓ 643/1 ✓	0.156 ✓ 0.329 ✓	0.156 0.329
	योग	2	0.485	0.485
19	कृष्णपालसिंह पिता मोकमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया	629/1/2 629/2 643/2 ✓	0.110 0.202 0.657 ✓	0.110 0.202 0.657
	योग	3	0.969	0.969
20	गेन्दकुंवर बेवा मोकमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया	643/3	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
21	लतीफखाँ, मोहम्मदखाँ, हमीदखाँ पिता इनायतखाँ, सुवानीबाई बेवा इनायतखाँ जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया	642/1 ✓	0.202 ✓	0.202
	योग	1	0.202	0.202
22	गायत्रीबाई पति कन्हैयालाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	642/2 ✓	0.202	0.202
	योग	1	0.202	0.202
23	चम्पालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	639/2/2 ✓ 552/5 ✓	0.443 ✓ 1.280 ✓	0.203 0.800
	योग	2	1.723	1.003
24	बहादुरसिंह पिता इन्दरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया	544 833/543 ✓	0.657 ✓ 0.050	0.177 0.031
	योग	2	0.707	0.208
25	शिक्षा विभाग बुनयादी शाला भवन ग्राम परसुलिया भू-स्वामी	547 548 ✓ 549 ✓ 550/2 ✓	0.114 0.215 ✓ 0.228 ✓ 0.708 ✓	0.114 0.215 0.228 0.708
	योग	4	1.265	1.265

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
26	ईश्वरीप्रसाद, प्रेमनारायण, हरिनारायण पिता देवचन्द जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	550/1/1/1 ✓	0.602 ✓	0.602
	योग	1	0.602	0.602
27	शिवनारायण, दूलीचन्द पिता हरलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	550/1/1/2 ✓	0.602 ✓	0.602
	योग	1	0.602	0.602
28	रामेश्वर, शिवनारायण, ओमप्रकाश, रामचन्द्र, प्रेमनारायण पिता मांगीलाल, उमरावबाई बैवा मांगीलाल, प्रेमबाई पुत्री मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	552/1	0.853	0.600
	योग	1	0.853	0.600
29	रामबक्ष पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	552/2 ✓	0.853 ✓	0.600
	योग	1	0.853	0.600
30	नरसंग पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	552/3 ✓	0.853 ✓	0.600
	योग	1	0.853	0.600
31	शिवनारायण पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया	552/6 ✓ 553/2/6 ✓	2.559 ✓ 0.548 ✓	2.000 0.248
	योग	2	3.107	2.248
32	भंवरलाल पिता रेवाराम, चन्दाबाई पत्नि भंवरलाल जाति चमार नि.ग्राम भं-स्वामी	553/1/11 ✓	0.700 ✓	0.400
	योग	1	0.700	0.400
33	बक्शु पिता शंकर जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/6 ✓	0.900 ✓	0.200
	योग	1	0.900	0.200
34	मदन पिता गोप्या जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/7 ✓	0.900 ✓	0.300
	योग	1	0.900	0.300
35	नारायण पिता रेवाराम, भंवरीबाई पति नारायण जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/53 ✓	0.900 ✓	0.700
	योग	1	0.900	0.700
36	खुशीलाल पिता देवीराम जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/5 ✓	0.900 ✓	0.190
	योग	1	0.900	0.190
37	कमल पिता कन्हैयालाल सुशीलाबाई पति कमल जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/14 ✓	0.600 ✓	0.150
	योग	1	0.600	0.150
38	शिवजी पिता मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया	553/1/19 ✓	0.700 ✓	0.300
	योग	1	0.700	0.300

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
39	सीताराम पिता कालूराम, अयोध्याबाई पति सीताराम जाति बेलदार नि.ग्राम दूधी	553/1/52 ✓	1.000 ✓	0.400
	योग	1	1.000	0.400
40	रूपनारायण पिता हरलाल, सियारानी पति रूपनारायण जाति कंजर नि.ग्राम दूधी	553/1/41 ✓	0.600 ✓	0.200
	योग	1	0.600	0.200
41	मलखानसिंह, बृजेश पिता लक्ष्मीनारायण मुरामवतीबाई बैवा लक्ष्मीनारायण, त्रिपालसिंह, जंगलसिंह, राजू पिता प्रेमसिंह, सौरमबाई बैवा प्रेमसिंह जाति भानमता नि.ग्राम दूधी	553/5 ✓	1.012 ✓	1.012
		553/9 ✓	0.759 ✓	0.759
	योग	2	1.771	1.771
42	अकबरअली, इन्दूशाह पिता गफूरशाह, भूरीबाई बैवा गफूरशाह जाति फकीर नि.ग्राम ब्यावरा भू-स्वामी	553/8 ✓	0.506 ✓	0.506
	योग	1	0.506	0.506
43	शिवनारायण, गीताबाई पिता पून्या, राजू, बलराम, कुष्णाबाई, हेमलताबाई पिता जगदीश, जसोदाबाई बैवा जगदीश जाति कलाल नि. ग्राम परसुलिया	555 ✓	2.187 ✓	1.453
		556 ✓	1.025 ✓	0.481
		557/1 ✓	1.197 ✓	1.020
	योग	3	4.409	2.954
44	शफीक पिता नत्थेशाह, अख्तर पिता जहागीर, शहजादी पति शफीकखां जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया	559/1 ✓	1.594 ✓	1.329
	योग	1	1.594	1.329
	कुलयोग :-	कुलकिता-71	45.605	30.477

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 1903-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बाईहेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बाईहेड़ा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	जगन्नाथ, नारान पिता लक्ष्मण जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	✓39/3/2 —40/1/2 —129/2/2 ✓130/2/2 - 169/2 —170/3/2 —128/1/2	0.079 ✓ 0.040 ✓ 0.585 ✓ 0.013 ✓ 0.069 ✓ 0.015 ✓ 0.631 ✓	0.079 0.040 0.585 0.013 0.069 0.015 0.379
	योग	7	1.432	1.180
2	नियामतबाई बेवा गोरीलाल, चन्द्रकलाबाई बेवा अनारसिंह, देवनारायण, सत्यनारायण पिता अमरसिंह, जुझारसिंह, करणसिंह पिता गोरीलाल जाति रुवाला नि. ग्राम भू-राजस्व	— 33 — 105 — 106 — 107 — 118	1.607 ✓ 0.784 ✓ 0.696 ✓ 0.076 ✓ 1.556 ✓	1.607 0.627 0.696 0.076 0.855
	योग	5	4.719 ✓	3.861 ✓
3	ग्यारसीराम, जशोदीबाई पिता भंवरिया जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी	— 34/2 — 35/2 — 110/2 — 347/2 — 349/2 — 109/2 — 322/3/2	0.814 ✓ 0.266 ✓ 0.544 ✓ 0.019 ✓ 0.171 ✓ 1.074 ✓ 0.082 ✓	0.814 0.266 0.544 0.019 0.171 0.698 0.082
	योग	7	2.970 ✓	2.594 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
4	जीतमल पिता भागमल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	36/1 34/1 35/1 110/1 347/1 349/1 109/1	0.411 - 0.815 - 0.265 - 0.544 - 0.019 - 0.172 - 1.075 -	0.411 0.815 0.265 0.544 0.019 0.172 1.075
	योग	7	3.301 -	3.301 -
5	विजयसिंह पिता देवा जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी	251/2	0.506 -	0.063 -
	योग	1	0.506 -	0.063 -
6	काशीराम, नन्नूलाल, अमृतलाल, गौरीशंकर पिता कन्हैयालाल, लच्छीबाई बेवा कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	251/3 -	0.202 -	0.038 -
	योग	1	0.202 -	0.038 -
7	गजरीबाई बेवा भेरू, ओमप्रकाश पिता भेरू, अनार, सजन, शांति, धापूबाई पिता भेरू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	254 -	0.822 -	0.379 -
	योग	1	0.822 -	0.379 -
8	भंवरलाल, छगनलाल, देवीलाल, अनोख, नारानी पिता प्यारा जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	255/1 -	0.335 -	0.162 -
	योग	1	0.335 -	0.162 -
9	घीसालाल, अयोध्याबाई पिता गंगाराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	255/2 -	0.335 -	0.162 -
	योग	1	0.335	0.162
10	बिहारीलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	284/1 -	0.279 -	0.279 -
	योग	1	0.279 -	0.279 -
11	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी खसरा नं. 418 एगारा 117 है।	292 137/1/3	0.126 0.759	0.126 0.759
	योग	2	0.885	0.885
12	पूनमचन्द्र पिता देवा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	304 - 78/1/7/1 -	0.076 - 0.550 -	0.076 - 0.550 -
	योग	2	0.626 -	0.626 -
13	जमनाबाई बेवा गोरीलाल, देवीलाल, बापूलाल, हरिसिंह पिता गोरीलाल, बदीलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	314/1 - 341/1 -	0.253 - 0.253 -	0.253 - 0.253 -
	योग	2	0.506 -	0.506 -

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
14	देवीलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	314/2/1- 174/1-	0.080 ✓ 0.094 ✓	0.080 ✓ 0.094 ✓
	योग	2	0.174	0.174
15	बद्रीलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम राजगढ़	314/2/2- 174/2-	0.080 ✓ 0.092 ✓	0.080 ✓ 0.092 ✓
	योग	2	0.172 ✓	0.172 ✓
16	बापूलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	314/2/3 ✓ 174/3 ✓	0.080 ✓ 0.092 ✓	0.080 ✓ 0.092 ✓
	योग	2	0.172 ✓	0.172 ✓
17	पर्वतसिंह पिता चिमना जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	315/1- 53/5 ✓ 63/5 ✓ 54/5 ✓ 315/8 ✓	0.319 ✓ 0.005 ✓ 0.008 ✓ 0.130 ✓ 0.318 ✓	0.319 ✓ 0.005 ✓ 0.008 ✓ 0.130 ✓ 0.318 ✓
	योग	5	0.780 ✓	0.780 ✓
18	गोरीलाल पिता चिमना जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	315/2 ✓ 53/4 ✓ 63/4 ✓ 54/4 ✓ 315/7 ✓ 316/4 ✓	0.318 ✓ 0.004 ✓ 0.008 ✓ 0.131 ✓ 0.319 ✓ 0.160 ✓	0.318 ✓ 0.004 ✓ 0.008 ✓ 0.131 ✓ 0.319 ✓ 0.160 ✓
	योग	6	0.940 ✓	0.940 ✓
19	घीसालाल पिता चिमना जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	315/3 ✓ 53/3 ✓ 63/3 ✓ 54/3 ✓ 315/6 ✓ 316/3 ✓	0.318 ✓ 0.004 ✓ 0.009 ✓ 0.130 ✓ 0.318 ✓ 0.161 ✓	0.318 ✓ 0.004 ✓ 0.009 ✓ 0.130 ✓ 0.318 ✓ 0.161 ✓
	योग	6	0.940 ✓	0.940 ✓
20	हरिसिंह पिता मांग्या जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	315/4 ✓ 53/2 ✓ 63/2 ✓ 54/2 ✓ 315/10 ✓ 316/2 ✓	0.477 ✓ 0.006 ✓ 0.013 ✓ 0.196 ✓ 0.477 ✓ 0.240 ✓	0.477 ✓ 0.006 ✓ 0.013 ✓ 0.196 ✓ 0.477 ✓ 0.240 ✓
	योग	6	1.409	1.409 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
21	रामनारायण पिता मांग्या जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	315/5 - - 315/9 - - 53/1 - - 63/1 - - 54/1 - - 182 - - 316/1 -	0.477 - 0.478 - 0.006 - 0.006 ✓ 0.196 ✓ 0.101 - 0.240 ✓	0.477 0.478 0.006 0.006 0.196 0.101 0.240
	योग	7	1.504 ✓	1.504 ✓
22	शिवनारायण, दुधारसिंह पिता शंकरलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	- 362 - - 181 - - 199 - - 363 ✓	0.582 - 0.152 ✓ 0.152 ✓ 2.099 ✓	0.582 0.152 0.152 2.099
	योग	4	2.985 ✓	2.985 ✓
23	रामप्रसाद, देवीलाल पिता नन्दा, भंवरलाल, अमृतलाल, रामचन्द्र, शिवनारायण पिता प्यारा जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	- 366 - - 370 - - 69 -	0.392 - 0.443 ✓ 0.164 -	0.392 0.443 0.164
	योग	3	0.999 ✓	0.999 ✓
24	जयराम, रमेश पिता रामचन्द्र, रमकुबाई बेवा रामचन्द्र जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	- 62 - - 65/1 - - 197/3 - - 322/3/3 ✓ - 319/2 -	0.038 - 0.038 - 0.041 - 0.082 ✓ 0.101 ✓	0.038 0.038 0.041 0.082 0.101
	योग	5	0.300 ✓	0.300 ✓
25	कंचनबाई पिता बंशीलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	- 367/2 - - 67 - - 78/4/2 ✓ - 317 ✓	0.205 ✓ 0.038 ✓ 0.253 ✓ 0.126 ✓	0.205 0.038 0.063 0.126
	योग	4	0.622	0.432 ✓
26	अमृतलाल पिता प्यारजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	- 368/1 ✓ - 197/1 - - 322/3/1 -	0.177 ✓ 0.041 - 0.083 ✓	0.177 0.041 0.083
	योग	3	0.301	0.301 ✓
27	गोवर्धन, रोड़जी पिता शिवनारायण, कमलाबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	322/3/4 ✓	0.082 ✓	0.082
	योग	1	0.082	0.082 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
28	गोवर्धन, रोड़जी पिता शिवनारायण, कमलाबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	— 368/2 ✓ 137/1/10 ✓ 66 ✓ — 197/4 ✓ — 65/2 ✓ — 321/4 ✓	0.177 ✓ 0.506 ✓ 0.126 ✓ 0.041 ✓ 0.038 ✓ 0.105 ✓	0.177 0.114 0.126 0.041 0.038 0.105
	योग	6	0.993 ✓	0.601 ✓
29	शंकर पिता गोपाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	— 369 ✓	0.417 ✓	0.417 ✓
	योग	1	0.417 ✓	0.417 ✓
30	रुकमणीबाई बेवा खीमा, शेतानबाई, बिहारी, रमेश पिता खीमा जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	— 383 ✓ — 396 ✓ — 434 ✓	0.228 ✓ 0.620 ✓ 1.214 ✓	0.228 0.620 1.214
	योग	3	2.062	2.062 ✓
31	मांगीलाल पित कालू जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	— 454/1/1 ✓ — 46/1 ✓ — 78/5/1 ✓	0.305 ✓ 0.146 ✓ 0.253 ✓	0.305 0.146 0.126
	योग	3	0.704	0.577 ✓
32	लक्ष्मीनारायण, बिहारीलाल पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	— 190/1 ✓ — 231/2/1 ✓	0.158 ✓ 0.184 ✓	0.158 0.040
	योग	2	0.342 ✓	0.198 ✓
33	करणसिंह, रमेश पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	— 458/2 ✓ — 231/2/2 ✓	0.240 ✓ 0.185 ✓	0.240 0.040
	योग	2	0.425 ✓	0.280 ✓
34	बिहारीलाल, अनारसिंह, कालू, गोरीलाल पिता हीरा, दुर्गा, राधाकिशन पिता किशन, कंचनबाई बेवा किशन, दुधारसिंह, लक्ष्मीबाई पिता रोड़जी जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	— 386/492 ✓ — 203 ✓ — 415 ✓ — 417 ✓ — 421 ✓ — 364 ✓	0.316 ✓ 0.266 ✓ 0.240 ✓ 0.367 ✓ 0.481 ✓ 0.405 ✓	0.316 0.266 0.240 0.367 0.481 0.405
	योग	6	2.075	2.075 ✓
35	शिवजी पिता बददा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	— 3/1/4 ✓ — 88/2 ✓ — 88/1 ✓ — 78/1/5 ✓	2.000 ✓ 0.063 ✓ 0.063 ✓ 1.000 ✓	0.600 0.009 0.009 1.000
	योग	4	3.126	1.618 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
36	बृजमोहन पिता जगन्नाथ जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	68 ✓ 367/1 ✓ 70 ✓ 78/4/1 ✓	0.076 ✓ 0.200 ✓ 0.253 ✓ 0.253 ✓	0.008 0.200 0.152 0.063
	योग	4	0.782	0.423 ✓
37	रामप्रसाद पिता नन्दा जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	78/4/3 ✓	0.253 ✓	0.063 ✓
	योग	1	0.253 ✓	0.063 ✓
38	देवीलाल पिता नन्दा जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	78/4/4 ✓	0.253 ✓	0.063 ✓
	योग	1	0.253 ✓	0.063 ✓
39	रामचन्द्र पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	71/2/1 ✓ 204/3 ✓ 205/3 ✓ 187/3 ✓ 194/2 ✓ 416/2 ✓	0.506 ✓ 0.064 ✓ 0.167 ✓ 0.046 ✓ 0.186 ✓ 0.091 ✓	0.354 0.064 0.016 0.046 0.186 0.091
	योग	6	1.060	0.757 ✓
40	राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	43/2 ✓ 335 ✓	0.177 ✓ 0.051 ✓	0.177 0.021
	योग	2	0.228 ✓	0.198 ✓
41	कालू पिता उंकार जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	73/482/3/1 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓
	योग	1	0.316 ✓	0.316 ✓
42	रामचन्द्र पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	73/482/3/2 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓
	योग	1	0.316 ✓	0.316 ✓
43	शंकर पिता कालू जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	78/5/2 ✓	0.253 ✓	0.126 ✓
	योग	1	0.253 ✓	0.126 ✓
44	बद्री पिता मेहताब जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	79/1/3 ✓	1.000 ✓	0.900 ✓
	योग	1	1.000 ✓	0.900 ✓
45	कंचनबाई बेवा प्रभुलाल, विजयसिंह पिता प्रभुलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	79/2 ✓	0.190 ✓	0.095 ✓
	योग	1	0.190 ✓	0.095 ✓
46	शिवनारायण पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	204/4/1 ✓ 413 ✓ 205/4/1 ✓	0.021 ✓ 0.228 ✓ 0.055 ✓	0.021 0.228 0.005
	योग	3	0.304 ✓	0.254 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
47	अमृतलाल पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	179 ✓ 204/4/2 ✓ 205/4/2 ✓ 86 ✓	0.152 ✓ 0.021 ✓ 0.021 ✓ 0.101 ✓	0.152 ✓ 0.021 ✓ 0.006 ✓ 0.050 ✓
	योग	4	0.295 ✓	0.229 ✓
48	रमेश पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	204/4/3 ✓ 205/4/3 ✓	0.021 ✓ 0.091 ✓	0.021 ✓ 0.005 ✓
	योग	2	0.112	0.026 ✓
49	दरियावसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	210/1 ✓ 337/1/1 ✓ 167/1/1 ✓ 214 ✓	0.217 ✓ 0.026 ✓ 0.241 ✓ 0.076 ✓	0.174 ✓ 0.008 ✓ 0.241 ✓ 0.072 ✓
	योग	4	0.560 ✓	0.495 ✓
50	गजराजसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	337/1/2 ✓	0.025 ✓	0.005 ✓
	योग	1	0.025 ✓	0.005 ✓
51	प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	91/3 ✓ 167/1/3 ✓	0.667 ✓ 0.120 ✓	0.140 ✓ 0.120 ✓
	योग	2	0.787 ✓	0.260 ✓
52	चन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	91/4 ✓ 210/2 ✓ 211 ✓	0.100 ✓ 0.453 ✓ 0.114 ✓	0.100 ✓ 0.272 ✓ 0.114 ✓
	योग	3	0.667 ✓	0.486 ✓
53	दुधारसिंह, करनसिंह, अनारसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	119 ✓ 201 ✓ 350 ✓	1.947 ✓ 0.885 ✓ 0.316 ✓	0.097 ✓ 0.885 ✓ 0.316 ✓
	योग	3	3.148 ✓	1.298 ✓
54	मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज भू-स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़	121 ✓ 120 ✓	0.772 ✓ 0.898 ✓	0.540 ✓ 0.898 ✓
	योग	2	1.670 ✓	1.438 ✓
55	कैलाशनारायण पिता नन्नूलाल जाति ब्रह्मण्य नि.ग्राम भू-स्वामी	122/1/1 ✓	0.253 ✓	0.050 ✓
	योग	1	0.253 ✓	0.050 ✓
56	दरियावसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	126/4 ✓	1.084 ✓	0.054 ✓
	योग	1	1.084 ✓	0.054 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
57	छगनलाल पिता लक्ष्मण जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	128/1/1 ✓ 39/3/1 ✓ 129/2/1 ✓ 130/2/1 ✓ 169/1 ✓ 170/3/1 ✓ 40/1/1 ✓	0.311 ✓ 0.039 ✓ 0.292 ✓ 0.006 ✓ 0.035 ✓ 0.007 ✓ 0.021 ✓	0.063 0.039 0.292 0.006 0.035 0.007 0.021
	योग	7	0.711 ✓	0.463 ✓
58	करनसिंह पिता लक्ष्मण जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	128/1/3 ✓ 39/3/3 ✓ 129/2/3 ✓ 130/2/3 ✓ 169/3 ✓ 170/3/3 ✓ 40/1/3 ✓	0.311 ✓ 0.040 ✓ 0.292 ✓ 0.006 ✓ 0.035 ✓ 0.008 ✓ 0.020 ✓	0.063 0.040 0.292 0.006 0.035 0.008 0.020
	योग	7	0.712 ✓	0.464 ✓
59	दरियावसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	128/2/3 ✓ 129/1/2/2 ✓ 39/1/3 ✓ 129/4/4 ✓ 128/4/2/2 ✓	0.207 ✓ 0.208 ✓ 0.040 ✓ 0.167 ✓ 0.311 ✓	0.076 0.208 0.040 0.167 0.311
	योग	5	0.933 ✓	0.802 ✓
60	गंगाधर पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	128/3 ✓ 38/1/1 ✓ 130/3 ✓ 39/2 ✓ 129/3 ✓	0.622 ✓ 0.538 ✓ 0.020 ✓ 0.120 ✓ 0.499 ✓	0.311 0.538 0.020 0.120 0.499
	योग	5	1.799 ✓	1.488 ✓
61	करनसिंह, नारानसिंह, लक्ष्मण, सुरेश, धापू पिता छगनलाल, दिनेश, धापू पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	128/4/1 ✓ 39/4 ✓ 130/1/1 ✓ 129/1/1 ✓	0.622 ✓ 0.159 ✓ 0.012 ✓ 0.414 ✓	0.435 0.159 0.012 0.414
	योग	4	1.207 ✓	1.020 ✓
62	मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	130/1/2 ✓	0.013 ✓	0.013 ✓
	योग	1	0.013	0.013 ✓

सं.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
63	बापूलाल पिता गंगाधर जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	135 -	2.339 -	1.520 ✓
	योग	1	2.339 ✓	1.520 ✓
64	गोपी, देवा पिता भीमा, मदन, चिमना पिता गंगाराम, भंवरलाल पिता रामा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	136/1 -	0.058 -	0.035
	योग	1	0.058 -	0.035 ✓
65	हरिसिंह, बाबूलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	136/2/2 -	0.225 -	0.034
	योग	1	0.225 -	0.034 ✓
66	नारायण, काली बाई पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	136/2/1 -	0.226 -	0.034
	योग	1	0.226	0.034 ✓
67	लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	137/1/2 -	2.023 ✓	0.405
	योग	1	2.023 ✓	0.405 ✓
68	भंवरलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	137/1/5 - 136/7 - 326 - 424 -	0.760 - 0.600 - 0.063 - 0.873 ✓	0.114 0.600 0.031 0.873
	योग	4	2.296 ✓	1.618 ✓
69	कालूराम पिता मूलचन्द जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	137/2/1 -	0.628 ✓	0.439
	योग	1	0.628 -	0.439 ✓
70	हजारी पिता मूलचन्द जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	137/2/2 -	0.628 -	0.440
	योग	1	0.628 ✓	0.440 ✓
71	भेरूसिंह, लक्ष्मीनारायण पिता घीसा जाति गाडरी नि. ग्राम भू-स्वामी	137/2/3 -	0.628 -	0.440
	योग	1	0.628 -	0.440 ✓
72	छगनलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	204/1 - 205/1 ✓ 187/1 ✓ 416/3 ✓ 422 ✓	0.064 ✓ 0.167 ✓ 0.047 ✓ 0.091 ✓ 0.228 ✓	0.064 0.016 0.047 0.091 0.228
	योग	5	0.597 ✓	0.446 ✓

सं.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
73	नन्नूलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	204/2 ✓ 170/2 ✓ 172/2 ✓ 173 ✓ 187/2 ✓ 192 ✓ 193 ✓ 194/3 ✓ 416/5 ✓ 205/2 ✓ 197/2 ✓	0.061 ✓ 0.130 ✓ 0.085 ✓ 0.202 ✓ 0.046 ✓ 0.126 ✓ 0.126 ✓ 0.186 ✓ 0.091 ✓ 0.167 ✓ 0.041 ✓	0.061 0.130 0.085 0.202 0.046 0.126 0.126 0.186 0.091 0.016 0.041
	योग	11	1.261 ✓	1.110 ✓
74	बद्रीलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	205/5 ✓ 416/4 ✓ 420 ✓ 198 ✓	0.167 ✓ 0.091 ✓ 0.228 ✓ 0.114 ✓	0.016 0.091 0.228 0.114
	योग	4	0.600 ✓	0.449 ✓
75	बिहारीलाल, अनारसिंह, बद्रीलाल पिता रामरतन जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	209 ✓	1.909 ✓	0.382
	योग	1	1.909 ✓	0.382 ✓
76	प्रभुलाल पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	215/1 ✓ 216/2 ✓ 348/1/1 ✓	1.100 ✓ 0.310 ✓ 0.089 ✓	0.330 0.155 0.089
	योग	3	1.499 ✓	0.574 ✓
77	अमृतलाल पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	348/1/2 ✓ 216/1 ✓	0.088 ✓ 0.310 ✓	0.088 0.155
	योग	2	0.398 ✓	0.243 ✓
78	विजयसिंह पिता प्रभुलाल, रामनारायण पिता भीमा, गीताबाई बेवा मांग्या जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	222/2 ✓	0.664 ✓	0.133
	योग	1	0.664 ✓	0.133 ✓
79	कालू पिता कंवरलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	217/2 ✓ 27/1/2 ✓	0.666 ✓ 1.500 ✓	0.133 1.500
	योग	2	2.166 ✓	1.633 ✓
80	बापूलाल पिता सालगराम जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	231/3/1 ✓ 178/1 ✓ 185 ✓ 186 ✓ 78/2/1 ✓	0.127 ✓ 0.055 ✓ 0.101 ✓ 0.089 ✓ 0.189 ✓	0.040 0.055 0.101 0.089 0.189
	योग	5	0.561	0.474 ✓

सं.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
81	हजारीलाल पिता सालगराम जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	231/3/2 ✓ 178/2 ✓ 231/3/3 ✓ 78/2/2 ✓	0.126 ✓ 0.055 ✓ 0.126 ✓ 0.190 ✓	0.040 0.055 0.040 0.190
	योग	4	0.497 ✓	0.325 ✓
82	रामलाल पिता सालगराम जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	231/2/3 ✓ 178/3 ✓ 184 ✓ 78/2/3 ✓	0.126 ✓ 0.054 ✓ 0.139 ✓ 0.190 ✓	0.040 0.054 0.139 0.190
	योग	5	0.509 ✓	0.423 ✓
83	ग्यारसीराम, जशोदीबाई पिता भंवरिया जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	318 ✓ 319/1 ✓ 321/2 ✓	0.089 ✓ 0.013 ✓ 0.104 ✓	0.089 0.013 0.104
	योग	3	0.206	0.206 ✓
84	बिहारी पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	265 ✓	0.051 ✓	0.025
	योग	1	0.051 ✓	0.025 ✓
85	रामचन्द्र पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	332/1 ✓ 196/2 ✓ 200/2 ✓ 333/2 ✓	0.506 ✓ 0.227 ✓ 0.791 ✓ 0.222 ✓	0.455 0.227 0.791 0.176
	योग	4	1.746 ✓	1.649 ✓
86	श्यामाबाई पति गोरीशंकर, लखन, राहुल, मंजू, संगीता पिता गोरीशंकर जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	333/1 ✓ 167/3/1 ✓ 196/1 ✓ 200/1 ✓ 429/1 ✓ 152/1 ✓	0.221 ✓ 0.310 ✓ 0.317 ✓ 0.790 ✓ 0.076 ✓ 0.784 ✓	0.176 0.310 0.317 0.790 0.076 0.784
	योग	6	2.498 ✓	2.453 ✓
87	पन्ना पिता नन्दा जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	338/2 ✓ 176/2 ✓ 189/1 ✓	0.045 ✓ 0.101 ✓ 0.045 ✓	0.040 0.101 0.045
	योग	3	0.191 ✓	0.186 ✓
88	दरियावसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	126/491/3 ✓ 38/1/2/3 ✓	0.186 ✓ 0.179 ✓	0.037 0.179
	योग	2	0.365 ✓	0.216 ✓

सं.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
89	मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	39/1/1 130/4 129/4/1 126/491/1 38/1/2/1 129/1/2/1 128/2/1 128/4/2/1	0.040 0.006 0.166 0.185 0.179 0.207 0.207 0.311	0.040 0.006 0.166 0.037 0.179 0.207 0.076 0.311
	योग	8	1.301	1.022
90	हिन्दुसिंह पिता गोरीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	39/1/2 126/491/2 38/1/2/2 129/4/2 128/2/2	0.040 0.186 0.179 0.167 0.208	0.040 0.037 0.179 0.167 0.076
	योग	5	0.780	0.499
91	शिवनारायण पिता नन्दराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	40/2 170/1	0.082 0.131	0.082 0.131
	योग	2	0.213	0.213
92	धूलजी पिता गोपीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	43/1/1 172/1 44/1	0.089 0.029 0.060	0.089 0.029 0.060
	योग	3	0.178	0.178
93	नन्डूलाल, छगनलाल पिता गोपीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	43/1/2 44/2	0.088 0.180	0.088 0.180
	योग	2	0.268	0.268
94	मांगीलाल पिता चिमना जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	47/2	0.247	0.247
	योग	1	0.247	0.247
95	रामनारायण, हरिसिंह पिता मांग्या, जानीबाई बेवा मांग्या, रोही, अन्नेखवाई पिता मांग्या, कामुबाई, घोसा, गोरीलाल, पर्वत पिता चिमना, कमला, कंचन पिता बंसी, रामप्रसाद, देवीलाल पिता नंदा, ग्यारसीराम पिता भंवरिया, अमृतलाल, शिव, रामचन्द्र पिता प्यारा जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	64	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.063
96	शिव पिता किशन जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	78/1/6	1.000	1.000
	योग	1	1.000	1.000
97	प्रेम पिता हजारी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	78/1/7/2	1.600	1.600
	योग	1	1.600	1.600

सं.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
98	घीसीबाई बेवा चिमनालाल, शीलाबाई, शिवनारायण, गोकुल, रमेश, मथुरालाल पिता चिमनालाल, मदन पिता गंगाराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	117/1 ✓ 136/4 ✓ 136/5 ✓ 117/3 ✓	0.035 ✓ 0.130 ✓ 0.126 ✓ 0.142 ✓	0.035 ✓ 0.130 ✓ 0.126 ✓ 0.142 ✓
	योग	4	0.433	0.433
99	प्रेम, भगवती पिता मांगू, कालीबाई बेवा मांगू जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	134/1 ✓ 188/1 ✓ 180/1 ✓ 75/2 ✓	0.026 ✓ 0.070 ✓ 0.101 ✓ 0.229 ✓	0.026 ✓ 0.070 ✓ 0.101 ✓ 0.229 ✓
	योग	4	0.426	0.426
100	हरि, राधेश्याम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	134/2 ✓ 188/2 ✓ 180/2 ✓	0.025 ✓ 0.069 ✓ 0.101 ✓	0.025 ✓ 0.069 ✓ 0.101 ✓
	योग	3	0.195	0.195
101	गजराजसिंह पिता अमृतलाल नि.ग्राम भू-स्वामी	136/6 ✓	0.210 ✓	0.210 ✓
	योग	1	0.210	0.210
102	देवचंद पिता कालू जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	138/2 ✓	0.246 ✓	0.246 ✓
	योग	1	0.246	0.246
103	छगनलाल पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	163 ✓ 164/1 ✓	0.116 ✓ 0.202 ✓	0.116 ✓ 0.202 ✓
	योग	2	0.318	0.318
104	मांगू पिता बाबरू, भंवरलाल पिता किशनलाल	165 ✓	0.114 ✓	0.114 ✓
	योग	1	0.114	0.114
105	नानजी पिता नंदा जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	166/1 ✓ 189/2 ✓ 338/1 ✓	0.538 ✓ 0.044 ✓ 0.044 ✓	0.538 ✓ 0.044 ✓ 0.040 ✓
	योग	3	0.626	0.622
106	पर्वतसिंह पिता बापूलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	167/1/2 ✓	0.379 ✓	0.379 ✓
	योग	1	0.379	0.379
107	गोरीलाल पिता प्यारजी जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	171 ✓	0.607 ✓	0.607 ✓
	योग	1	0.607	0.607

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
108	रामनारायण पिता बद्रीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	175 ✓ 176/1 ✓	0.139 ✓ 0.101 ✓	0.139 ✓ 0.101 ✓
	योग	2	0.240	0.240
109	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	177/1 ✓ 191/1 ✓	0.084 ✓ 0.005 ✓	0.084 ✓ 0.005 ✓
	योग	2	0.089	0.089
110	शेभाराम पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	177/2 ✓ 191/2 ✓	0.084 ✓ 0.004 ✓	0.084 ✓ 0.004 ✓
	योग	2	0.088	0.088
111	सालगराम पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	177/3 ✓ 191/3 ✓	0.085 ✓ 0.004 ✓	0.085 ✓ 0.004 ✓
	योग	2	0.089	0.089
112	बद्री पिता जगन्नाथ, लालजी पिता दूलीचन्द जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	183 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓
	योग	1	0.101	0.101
113	करनसिंह पिता रामलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	190/2 ✓	0.158 ✓	0.158 ✓
	योग	1	0.158	0.158
114	अमरसिंह पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	195 ✓	0.164 ✓	0.164 ✓
	योग	1	0.164	0.164
115	विजयसिंह पिता प्रभुलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	206 ✓ 207 ✓ 217/1 ✓ 218 ✓ 221 ✓	0.354 ✓ 0.278 ✓ 0.333 ✓ 0.126 ✓ 0.076 ✓	0.354 ✓ 0.278 ✓ 0.266 ✓ 0.126 ✓ 0.076 ✓
	योग	5	1.167	1.100
116	देवकरण पिता गंगाराम जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	213 ✓	0.038 ✓	0.038 ✓
	योग	1	0.038	0.038
117	मांगीलाल पिता लालजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	320 ✓	0.202 ✓	0.202 ✓
	योग	1	0.202	0.202
118	अमृतलाल पिता प्यारजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	321/1 ✓	0.104 ✓	0.104 ✓
	योग	1	0.104	0.104

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
119	लक्ष्मीनारायण, घीसीबाई पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	322/1 ✓	0.266 ✓	0.266 ✓
	योग	1	0.266	0.266
120	रामनारायण पिता प्यारजी जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	322/2 ✓	0.771 ✓	0.771 ✓
	योग	1	0.771	0.771
121	गोरीलाल पिता प्यारजी हि.1/8, मांगीलाल पिता रतीराम हि.1/8, रूकमणी बाई बेवा खीमा, शैतानबाई, बिहारी, रमेश पिता खीमा हि.1/9, गोरीलाल पिता गंगाधर, गुलाबबाई बेवा गंगाधर, जीतमल, श्रीलाल पिता भागमल, विहारी, प्रेम, जीतू पिता बंशीलाल, पारीबाई बेवा बंशीलाल, प्रयुलाल, अभूतलाल, मोहनलाल पिता हीरालाल, गोरीशंकर, रामचन्द्र पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	343 ✓	0.063 ✓	0.063 ✓
	योग	1	0.063	0.063
122	घीसी बाई, काली बाई पिता मोहनलाल, नानूबाई बेवा मोहनलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	348/2 ✓	0.177 ✓	0.177 ✓
	योग	1	0.177	0.177
123	बद्री पिता जगन्नाथ मु. पांचू बेवा जगन्नाथ जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	365 ✓	0.443 ✓	0.443 ✓
	योग	1	0.443	0.443
124	गोरीलाल पिता बंशीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	403/2 ✓ 419 ✓	0.038 ✓ 0.607 ✓	0.038 ✓ 0.607 ✓
	योग	2	0.645	0.645
125	शैतानबाई पति गोरीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	405/1 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓
	योग	1	0.405	0.405
126	रमेश पिता भंवरलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	194/1 ✓	0.186 ✓	0.186 ✓
	योग	1	0.186	0.186
127	भंवरलाल, प्रेम, चन्दूलाल पिता कंवरलाल, लीलाबाई, अयोध्याबाई पिता कंवरलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	423 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓
	योग	1	0.405	0.405
128	हीरालाल पिता रामलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी	426/1 ✓ 427/1 ✓ 428/1 ✓ 438/1 ✓	0.228 ✓ 0.683 ✓ 0.468 ✓ 0.715 ✓	0.228 ✓ 0.683 ✓ 0.468 ✓ 0.715 ✓
	योग	4	2.094	2.094
129	छगनलाल, बहादुर पिता भंवरलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	426/2 ✓ 428/2 ✓	0.227 ✓ 0.468 ✓	0.227 ✓ 0.468 ✓
	योग	2	0.695	0.695
130	रतिराम पिता लक्ष्मण जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	459/2 ✓ 47/1 ✓	0.284 ✓ 0.246 ✓	0.284 ✓ 0.246 ✓
	योग	2	0.530	0.530
131	दयाराम पिता घीसा, रूकमणी बेवा घीसा जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	468 ✓ 469/2 ✓	0.190 ✓ 0.390 ✓	0.190 ✓ 0.390 ✓
	योग	2	0.580	0.580

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
132	काशीराम पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	121/493/1	0.139	0.139
	योग	1	0.139	0.139
133	गणेशीबाई बेवा नन्नुलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	121/493/2	0.138	0.138
	योग	1	0.138	0.138
134	अमृतलाल पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	121/493/3	0.140	0.140
	योग	1	0.140	0.140
135	गौरीशंकर पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	121/493/4	0.140	0.140
	योग	1	0.140	0.140
136	जयराम, रमेश पिता रामचन्द्र जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	321/3	0.104	0.104
	योग	1	0.104	0.104
137	गोपी, देवा पिता भीमा, मदन, चिमना पिता गंगाराम, भंवरलाल पिता रामा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	78/1/3	1.000	0.076
	योग	1	1.000	0.076
138	राजेश पिता हिन्दूसिंह	78/1/4	1.000	0.379
	योग	1	1.000	0.379
139	बापूलाल पिता नारायण जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	75/1	0.222	0.222
	योग	1	0.222	0.222
140	शिव पिता चिमना जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	27/1/1/4	1.763	0.264
	योग	1	1.763	0.264
कुलयोग :-		362	105.692	80.923

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-ए-1905

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
(2013 क. 30 सन 2013))

चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम कालाखेड़ा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची क्र 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची क्र 02 की भूमि की अनुसूची क्र 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)			
कुण्डलिया बॉध परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि का पत्रक			
ग्राम - कालाखेड़ा		तहसील - जीरापुर	
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	72.127	61.317
	योग	72.127	61.317

अनुसूची (1)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	शमिल सर्वे न का पृथक पृथक रकबा	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4		5	6
1	हरिसिंह, सुजान सिंह पिता चैन सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575841119	8/1		0.253	0.054
			12/1		0.287	0.287
			13/1		0.126	0.126
			14/2		0.190	0.190
			18/7		0.127	0.127
			13/2	0.278	0.480	0.480
			14/1	0.202		
			18/1/6		1.000	1.000
			19/2		0.266	0.266
			39		0.569	0.569
			77/2		0.089	0.089
			135/2	0.184	0.456	0.456
			136/2	0.272		
			61/2	0.158	0.500	0.500
			62	0.342		
			107/2		0.031	0.031

			142/2		0.076	0.076
	योग				4.450	4.251
2	बापुलाल पिता शिवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752487042	15/3	0.076	0.221	0.066
			16/3	0.145		0.134
			26/3		0.174	0.174
			17/3		0.120	0.120
			27/3		0.019	0.019
			21/1		0.142	0.142
			35/3	0.269	0.765	0.765
			36/3	0.496		
			38/2		0.082	0.082
			38/3		0.082	0.082
			51/1/2		0.664	0.150
	योग				2.269	1.734
3	कनीराम पिता कवरलाल फुलसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		35/2	0.268	0.765	0.765
			36/2	0.497		
	योग				0.765	0.765
4	कनीराम पिता कवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752487082	15/2	0.076	0.222	0.222
			16/2	0.146		
			15/4	0.076	0.222	0.222
			16/4	0.146		
			17/2		0.121	0.121
			26/4		0.174	0.174
			35/4	0.268	0.765	0.765
			36/4	0.497		
			38/4		0.082	0.082
			51/1/1		0.664	0.150
			17/4		0.120	0.120
			21/4		0.142	0.142
			27/4		0.019	0.019
	योग				2.531	2.017
5	मानसिंह पिता कवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		16/1	0.145	0.145	0.030
			17/1		0.120	0.120
			26/1		0.174	0.174
			27/1		0.019	0.019
			21/3		0.145	0.145
			35/1	0.269	0.765	0.765
			36/1	0.496		
			38/1		0.082	0.082
	योग				1.450	1.335

6	देवीलाल, भगवान सिंह पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/1/3		2.023	2.023
	योग				2.023	2.023
7	देवा पिता कालू जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/14		1.265	1.265
	योग				1.265	1.265
8	हरिसिंह आ. चैनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9775841119	18/1/2		2.000	2.000
	योग				2.000	2.000
9	देवीसिंह पिता प्यार जी बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/5		0.316	0.316
	योग				0.316	0.316
10	मांगीलाल पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/1/4/1		0.674	0.674
			31/3/1	0.380	0.570	0.298
			32/1	0.122		0.122
			34/1/1	0.068		0.068
			31/4/2		0.138	0.138
			31/2/1/1		0.038	0.038
			योग			1.420
11	विष्णुलाल पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/1/4/2		0.675	0.675
			31/3/2	0.379	0.569	0.297
			32/2	0.123		0.123
			34/1/2	0.067		0.067
			31/2/1/2		0.356	0.157
			योग			1.600
12	कालुसिंह पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/1/4/3		0.674	0.674
			31/3/3	0.380	0.569	0.298
			32/3	0.122		0.122
			34/1/3	0.067		0.067
			31/2/1/3		0.356	0.157
			योग			1.599
13	फुलसिंह करणसिंह छगनसिंह कनीराम घनश्याम पिता गोपीलाल कमलाबाई सरदारबाई धापुबाई पुत्री गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/6		0.063	0.063
	योग				0.063	0.063
14	कनीराम पिता गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/9		0.114	0.114
			48		2.782	0.782
			योग			2.896
15	सिद्धु धन्ना पिता बलवंत जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/1/5		0.924	0.924
			31/4/1		0.241	0.241
			योग			1.165

16	देवीसिंह आ. लाला जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		18/1/7		1.391	1.391
	योग				1.391	1.391
17	घनश्याम आ. गोपीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/4/2		0.595	0.595
			18/10		0.126	0.126
			22/2	0.063	0.353	0.353
			23/2	0.063		
			24/2	0.227		
			126/1		1.517	0.025
			137/2/2		0.199	0.199
			योग			
18	मागुबाई पुत्री सम्पतबाई जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		18/13		1.518	1.518
	योग				1.518	1.518
19	कालू सिंह, भगवान सिंह पिता रामलाल, भूलीबाई बैवा रामलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		19/1		0.265	0.265
			40		0.658	0.658
			77/1		0.088	0.088
			61/1		0.158	0.158
			92		0.304	0.304
			107/1		0.032	0.032
			135/1	0.183	0.455	0.455
			136/1	0.272		
			142/1		0.076	0.076
			योग			
20	उकारलाल पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120054587	20/1/1		1.036	1.036
			21/2		0.142	0.142
			27/2		0.019	0.019
			26/2		0.174	0.140
			योग			
21	फूलसिंह पिता जगन्नाथ छगनलाल पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754960357	20/1/2		1.069	1.069
			41/2		0.141	0.141
			42/2		0.683	0.683
			43/2		0.096	0.096
योग				1.989	1.989	
22	सुजानसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9755849634	20/1/3		0.032	0.032
					योग	
23	कनीराम पिता परथी मु. गुलाबाई. बैवा परथी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9174845783	20/2		2.138	2.138
			41/1		0.145	0.145
			42/1		0.682	0.682
			43/1		0.095	0.095
योग				3.060	3.060	
24	करणसिंह आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8224047100	22/1	0.063	0.354	0.354
			23/1	0.063		

			24/1	0.228		
			104/1/1		0.506	0.506
			104/2	0.114	0.329	0.329
			105	0.215		
			49		0.923	0.923
			54/2		0.252	0.252
			योग		2.364	2.364
25	रोडीबाई पति सुजान सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		25		0.367	0.367
			योग		0.367	0.367
26	देवसिंह पिता सूजान सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9644848241	28/1		0.095	0.095
			50/1		0.847	0.847
			53/1		0.752	0.752
			योग		1.694	1.694
27	घनश्याम पिता सूजान सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111895876	28/2		0.095	0.095
			50/2		0.847	0.847
			53/2	0.671	0.671	0.671
			योग		1.613	1.613
28	मेहताब पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111878276	44/1		1.630	0.678
			52/2		2.592	2.000
			85		0.240	0.240
			98/1/1		2.000	1.000
			133/1		0.134	0.134
			योग		6.596	4.052
29	रोशनसिंह आ. नारायणसिंह जाति गुर्जर पता ग्राम निवासी भूमि स्वामी	9630614100	65/1		0.300	0.300
			70/2		0.070	0.070
			110	0.200	0.342	0.342
			111	0.126		
			112/1	0.016		
			योग		0.712	0.712
30	नारायण पिता मथुरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9630614100	52/1		2.592	2.300
			72/3		0.250	0.250
			131/1	0.019	0.199	0.199
			132/1	0.180		
			133/2		0.134	0.134
			योग		3.175	2.883
31	छगन आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8224047100	54/1		1.000	1.000
			84/2		0.063	0.063
			86	0.152	0.215	0.215
			90	0.063		
			योग		1.278	1.278

32	बरदा पिता भोना जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		57/1/1		0.023	0.023
			106/1		0.114	0.114
	योग				0.137	0.137
33	शिवसिंह पिता भंवरलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9174872247	57/1/2		0.125	0.125
			58		0.670	0.670
	योग				0.795	0.795
34	कबुबाई पति बालू सिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		57/2		0.379	0.379
			57/3		0.396	0.396
			88/1	0.171	0.216	0.216
			89/1	0.045		
			योग			
35	फूलसिंह आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8224047100	65/2	0.143	0.699	0.699
			66	0.240		
			67	0.316		
			83/1	0.026	0.278	0.278
			83/2	0.025		
			84/1	0.227		
			69		0.089	0.089
			68		0.190	0.190
			70/1		0.132	0.132
			योग			
36	सैतान बाई पति प्रभुलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		72/2		0.207	0.207
			योग			
37	पूरीलाल पिता कंवरलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		72/4		0.250	0.250
			131/2	0.019	0.209	0.209
			132/2	0.190		
			योग			
38	भेरूलाल आ. रामा दर्यावबाई बेवा रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753151185	74/1		0.012	0.012
			75/1		0.013	0.013
			76/1	0.114	0.279	0.279
			79/1	0.120		
			80/1	0.045		
			91/3/1		0.050	0.050
			109/1		0.120	0.120
योग				0.474	0.474	

39	कंवरलाल पिता रामा जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9697756003	74/2		0.013	0.013
			91/3/2		0.051	0.051
			109/2		0.120	0.120
			75/2		0.012	0.012
			76/2	0.114	0.278	0.278
			79/2	0.120		
			80/2	0.044		
			योग			
40	पुरसिंह मेहताब पिता कंवरलाल नारायण आ. मथरीलाल पुरीबाई बेवा पुरालाल जाति गुर्जर पता निवासी भूमि स्वामी		78	0.139	0.253	0.253
			82	0.114		
			81		0.228	0.228
			योग			
41	शिवलाल गंगाराम पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9174872247	88/2	0.171	0.215	0.215
			89/2	0.044		
			106/2		0.114	0.114
			141/2	0.177	1.441	0.077
			143/2	1.264		0.100
			योग			
42	सिद्धीबाई पिता बरदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		91/2		0.405	0.405
			137/2/1		1.129	1.129
			138/1	0.334	0.999	0.334
			139/1	0.665		0.326
			140		0.405	0.245
			योग			
43	बिरमसिंह ताराबाई पिता ज्वारसिंह पार्वतीबाई बेवा ज्वारसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		96/1	0.193	0.557	0.557
			97/2	0.050		
			112/2	0.314		
			योग			
44	गोपीलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		126/2		1.012	0.500
			127	0.329	0.974	0.974
			128	0.304		
			129	0.050		
			130	0.291		
			137/1/1		0.666	0.666
			योग			
45	कालूसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		137/1/2		0.500	0.500
			योग			0.500

46	गजराजसिंह पिता करणसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	138/2	0.057	0.168	0.057
		139/2	0.111		0.056
योग				0.168	0.113
47	धनश्याम आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	138/3	0.057	0.168	0.057
		139/3	0.111		0.056
योग				0.168	0.113
48	कुलसिंह आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	138/4	0.058	0.170	0.058
		139/4	0.112		0.056
योग				0.170	0.114
योग				72.127	61.317

ग्राम कालाखेड़ा की आबादी क्षेत्र खसरा नम्बर 108 की परिसमितियां भी अधिग्रहण की जाना है।

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा

प्रकरण क्रमांक 1908-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चैनपुरिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चैनपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	लाडबाई पति मांगीलाल जाति सौधिया	10/1	1.223	0.140
	योग	1	1.223	0.140
2	गायत्रीबाई पति होकमसिंह जाति दांगी	10/2	2.000	0.400
		9/1/1	0.270	0.270
	योग	2	2.270	0.670
3	दीपक पिता छीरपाल भटकटे जाति महाजन	9/2/2	2.301	0.250
		7/5	4.553	0.100
	योग	2	6.854	0.350
4	भूरीबाई पति धीरपसिंह जाति बंजारा	25/5	0.713	0.510
	योग	1	0.713	0.510
5	विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौधिया	25/1	1.000	0.560
	योग	1	1.000	0.560
कुलयोग :-		7	12.060	2.230

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्रमांक 915-रीडर-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 20-अ-82-2017-18-पूरक प्रकरण

मंदसौर, दिनांक 13 मार्च 2018

चुंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, निम्नांकित अनुसूची 1 में, नागदा कोटा सेक्शन के रेल्व समपार फाटक 46 कि.मी. 786/10-12 शामगढ आर.औ.बी के निर्माण में कस्बा शामगढ की निजी खाता भूमि की आवश्यकता है। वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पूर्णवास और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार "अधिनियम 2013" (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित की जाती है कि, निम्न वर्णित अनुसूची क्रमांक 2 की भूमि अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक-1

कस्बा शामगढ तहसील शामगढ, जिला मंदसौर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5
1	कस्बा शामगढ	0.178 है.	-	0.178 है.

अनुसूची क्रमांक- 2

(नागदा कोटा सेक्शन फाटक क्र. 786/10-12 पर आर.औ.बी. निर्माण, कस्बा शामगढ)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	ईस्माईल पिता नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी शामगढ	1226/3	0.619	0.178	-	0.178
योग:-			0.619	0.178	-	0.178

नोट:- भूमि का नक्षा प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 26th February 2018

No. 244-Confdl.-2018-II-2-1-2018.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Advance/Orientation Course (Second Batch) for the District Judges (Entry Level) promoted in the years 2017-2018 and selected through Limited Competitive Examination) from 5th March 2018 to 16 March 2018 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Course.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2018

क्र. 48-स्था. सैट-2018.—श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2018 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों को प्रारंभ एवं अन्त में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया, को अस्थायी रूप से मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (लेखा) के पद पर कार्य करते रहते। अतः उक्त अवधि दिनांक 22 से 24 फरवरी 2018 तक मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन).

जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2018

क्र. A-358-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 14 से 16 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 फरवरी 2018 के तथा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-360-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2018 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 जनवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. A-362-दो-2-23-2017.—श्री पी. सी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 16 से 26 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1142-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1144-दो-2-57-2015.—श्री आर. पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2017 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2015 से वर्ष 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस)

के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-1856-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2018 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 फरवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्र. B-1267-दो-2-40-2017.—श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 14 से 24 फरवरी 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-1269-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 20 से 24 फरवरी 2018 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 19 फरवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1273-दो-2-58-2007.—श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 4 मार्च 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1276-दो-2-26-2014.—श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 6 से 8 फरवरी 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1897-दो-2-25-2015.—श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 5 से 7 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1899-दो-2-58-2017.—श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 12 से 16 फरवरी 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1902-दो-2-100-2017.—श्री कीर्ति कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 19 से 23 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कीर्ति कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कीर्ति कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1904-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 20 से 24 फरवरी 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1906-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 23 से 31 जनवरी 2018 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1908-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 31 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1910-दो-2-18-2015.—श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 5 से 7 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 से 4 मार्च 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्र. 231-गोपनीय-2018-दो-3-1-2018.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री विशाल शर्मा	मुरैना	मुरैना	मुरैना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री श्याम सुंदर झा	रीवा	रीवा	रीवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री हेमराज सनोडिया	देवास	देवास	देवास	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री सुशील कुमार जोशी	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री अमित सिंह सिसौदिया	सागर	सागर	सागर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री पवन कुमार पटेल	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री हर्ष सिंह बहरावत	इंदौर	इंदौर	इंदौर	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10	श्री अमजद अली	भोपाल	भोपाल	भोपाल	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्र. 277-गोपनीय-2018-दो-3-250-57 (भाग-36).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 दिसम्बर 2017, 19 दिसम्बर 2017, 30 दिसम्बर 2017, 6 फरवरी 2018 एवं 7 फरवरी 2018 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2

(प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री हर्ष राज दुबे (मेरिट क्रमांक 04), (आदेश क्रमांक 3812).	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2.	श्री मनमोहन सिंह कौरव (मेरिट क्रमांक 05), (आदेश क्रमांक 3808).	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, श्योपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3.	श्री विनीत साकेत (मेरिट क्रमांक 46), (आदेश क्रमांक 3778).	अनूपपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अनूपपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4.	श्री मोहित परसाई (मेरिट क्रमांक 49), (आदेश क्रमांक 3782).	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5.	सुश्री रेशमा खातून (मेरिट क्रमांक 58), (आदेश क्रमांक 3859).	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6.	श्री विनोद कुमार चौधरी (मेरिट क्रमांक 76), (आदेश क्रमांक 3850).	बैदन (सिंगरौली)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुख्यालय बैदन जिला सिंगरौली के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7.	सुश्री नेहा परस्ते (मेरिट क्रमांक 84), (आदेश क्रमांक 3835).	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8.	श्री जितेन्द्र रावत (मेरिट क्रमांक 85), (आदेश क्रमांक 3837).	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9.	सुश्री परिधी उईके (मेरिट क्रमांक 86), (आदेश क्रमांक 3836).	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मंदसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2018

क्र. 280-गोपनीय-2018-दो-2-1-2018-(भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री इरशाद अहमद, सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2018

क्र. D-1858-दो-2-128-2017.— श्रीमती संगीता यादव, फेकल्टि मेंबर (Jr.-I) एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 15 मार्च 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता यादव, फेकल्टि मेंबर (Jr.-I) एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो फेकल्टि मेंबर (Jr.-I) एम.पी.एस.जे.ए., के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 19 फरवरी 2018

क्र. ए-240-तीन-10-42/75.— एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि श्री सुभाष सोलंकी, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान खरगोन के अतिरिक्त भीकनगांव में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, खरगोन में ही

बैठक करेंगे. खरगोन-भीकनगांव श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No. A/240-III-10-42/75.— It is hereby directed that Shri Subhash Solanki, IV Additional District and Sessions Judge, Khargone, who was directed to hold sitting at Bhikangaon in addition to his place of posting for a period of 15 days in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Khargone only on all working days in the month. The sitting of Khargone-Bhikangaon Link Court is hereby discontinued.

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्र. बी-1051-तीन-6-6-64.— मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3(सी)14/83/ इक्कीस-बी (1), दिनांक 3 सितम्बर 1993 द्वारा ग्वालियर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के पीठासीन अधिकारी के रूप में श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ग्वालियर को, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त किया जाता है:—

अनुसूची

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954).

मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956).

No. B-1051-III-6-6/64.—Shri Manvendra Pratap Singh, Judicial Magistrate, First Class, Gwalior is hereby appointed as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate, First Class established by the State Government *Vide* Notification of government of Madhya Pradesh Law & Legislative Affairs Department, Bhopal No. 3(c) 14/83/XXI-B(1), dated 3rd September 1993 for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below. This notification

is being issued in supersession of all the previous notification, issued in this regard:—

SCHEDULE

The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954)

The Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956).

जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2018

क्र. बी-1153-तीन-10-40/78.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय, अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666-तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी. में निम्नानुसार त्रुटि सुधार किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 22 एवं 36 क्रमशः इन्दौर एवं सागर सिविल जिलों तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	इंदौर	इंदौर	34*	इंदौर	50	इंदौर	64
		डॉ. अंबेडकर नगर	5	डॉ. अंबेडकर नगर	5	डॉ. अंबेडकर नगर	8
		सांवेर	1	सांवेर	2	सांवेर	2
		देपालपुर	1	देपालपुर	3	देपालपुर	2
36	सागर	हातोद				हातोद	1
		सागर	10*	सागर	7	सागर	11
		खुरई	3	खुरई	2	खुरई	3
		रेहली	2	रेहली	1	रेहली	1
		बण्डा	1	बण्डा	3	बण्डा	2
		बीना	2	बीना	1	बीना	2
		देवरी	1	देवरी	1	देवरी	1
				गढ़ाकोटा	1		

No. B-1153-III-10-40-78.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C-4666-III-10-40-78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16th December, 2016 following correction is Made. In the said notification, in the Table, for the serial number 22 and 36, Indore and Sagar respectively the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Indore	Indore	34*	Indore	50	Indore	64
		Dr. Ambedkar Nagar.	5	Dr. Ambedkar Nagar.	5	Dr. Ambedkar Nagar.	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sanwer	1	Sanwer	2	Sanwer	2
		Depalpur	1	Depalpur	3	Depalpur	2
						Hatod	1
36	Sagar	Sagar	10*	Sagar	7	Sagar	11
		Khurai	3	Khurai	2	Khurai	3
		Rehli	2	Rehli	1	Rehli	1
		Banda	1	Banda	3	Banda	2
		Bina	2	Bina	1	Bina	2
		Deori	1	Deori	1	Deori	1
						Garhakota	1

*denotes corrections.

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2018

क्र. 256-गोपनीय-2018-दो-3-250-57 (भाग-36).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1501-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-36), दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 की सारणी के सरल क्रमांक 8 पर उल्लेखित सुश्री अंकिता गुप्ता के नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित “प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)” के स्थान पर “प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)” एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 67/गोपनीय-2018-दो-3-250-57 (भाग-36), दिनांक 12 जनवरी, 2018 की सारणी के सरल क्रमांक 32 पर उल्लेखित श्रीमती सरिता पारस के नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित “प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)” के स्थान पर “प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)” पढ़ा जावे.

मो.फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्र. 43-स्था.सैट-2018—श्रीमती एम.जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश काल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला, को अस्थायी रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयीं हैं. अतः अवधि दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 को मूलभूत नियम 26 (ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2018

क्र. 66-स्था.सैट-2018—श्रीमती रश्मि प्रशान्त, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 26 फरवरी से 12 मार्च 2018 तक, कुल पन्द्रह दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश कालावधि के दौरान श्रीमती रश्मि प्रशान्त को अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा.

आदेशानुसार,
चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन).